




*हकीर लजकी
टकी ल अ क्की ऐक्य;*

ऑफ केंद्र फी केंद्र

2007&2008



दक्षिण तय वक लख

dshtz ty vk lx
Hjir&Hhe , oat y l d kku %rF;

- भौगोलिक क्षेत्र एवं अवस्थिति 328.7 मिलियन हैक्टेयर
80-4' अक्षांतर एवं 370-6' उत्तर देशांतर
680-7' रेखांश एवं 970-25' पूर्व

- जनसंख्या 2006 1128.52 मिलियन
(2001 की जनगणना के अनुसार
(अनुमानित))

Ū o"Hziforzi if'peh {h-ha 100 feylehVj l s
पूर्वी क्षेत्र में 11000 मिलीमीटर तक

- वृहद नदी बेसिन 253 मि. हैक्टेयर वाले 12 आवाह क्षेत्र
(आवाह क्षेत्र 20000
वर्ग किलोमीटर से अधिक)

- मध्यम नदी बेसिन 25 मिलियन हैक्टेयर वाले 46 आवाह क्षेत्र
(आवाह क्षेत्र 2000 और
20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच)

- महत्वपूर्ण नदियों की कुल 14464 किलोमीटर
नौगम्य लम्बाई

ty l d kku

- औसत वार्षिक वर्षा (2001-2005) 3693.6 वि. घन मीटर
- माध्य वार्षिक प्राकृतिक अपवाह 1869 वि. घन मीटर
- अनुमानित उपयोगी सतही जल क्षमता 690 वि. घन मीटर
- कुल पुनःपूर्ति योग्य भू-जल संसाधन 433 वि. घन मीटर
- सिंचाई के लिए उपलब्ध 369.6 घन मीटर
भू-जल संसाधन
- घरेलू औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के 71 वि. घन मीटर (लगभग)
लिए उपलब्ध भू-जल क्षमता
- चरम सिंचाई क्षमता 140 मि. हैक्टेयर

- सतही जल से सिंचाई क्षमता 76 मि. हैक्टेयर
- भूजल से सिंचाई क्षमता 64 मि. हैक्टेयर
- पूर्ण की गई वृहद तथा मध्यम परियोजनाओं के कारण उपलब्ध भंडारण (10 मि. घन मीटर से कम सक्रिय क्षमता सहित) 225.14 वि. घन मीटर
- निर्माणाधीन / विचाराधीन परियोजनाओं के फलस्वरूप उपलब्ध अनुमानित अतिरिक्त संभावित सक्रिय भंडारण 171.43 वि. घन मीटर

कुल कृष्य भूमि

- कुल कृष्य भूमि 182.8 मि. हैक्टेयर
- सकल बुवाई क्षेत्र 190.6 मि. हैक्टेयर
- निवल बुवाई क्षेत्र 141.3 मि. हैक्टेयर
- सकल सिंचित क्षेत्र 79.5 मि. हैक्टेयर
- निवल सिंचित क्षेत्र 58.5 मि. हैक्टेयर

अन्तिम जल विद्युत क्षमता

- अन्तिम जल विद्युत क्षमता (अनुमानित) 148701 मेगावाट
- 31 मार्च, 2008 तक विकसित क्षमता 30873 मेगावाट

v/; {k dh vky 1s



केन्द्रीय जल आयोग की वर्ष 2007-08 की इस वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित करते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस रिपोर्ट में देश के जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन में किए गए योगदान को दर्शाते हुए केन्द्रीय जल आयोग के संगठनात्मक ढांचे, कार्यों और गतिविधियों बारे में पूरी जानकारी दी गई है।

केन्द्रीय जल आयोग ने जल क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक नेतृत्व और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई तथा वर्ष 2007-2008 में सभी तकनीकी और नीतिगत मामलों पर जल संसाधन मंत्रालय को आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी। केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने विभिन्न समितियों की अध्यक्षता की तथा विभिन्न मामलों में काफी योगदान दिया। केन्द्रीय जल आयोग ने सिन्धु जल संधि प्रावधानों के अन्तर्गत मामलों के संबंध में सिन्धु बेसिन की बगलिहार और अन्य परियोजनाओं के बारे में मंत्रालय को तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी। वर्ष के दौरान, वृहत् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और अन्य जल संसाधन विकास स्कीमों के मूल्यांकन के नियमित कार्यकलापों, वृहत् मध्यम और विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण, (ईआरएम) परियोजनाओं का प्रबंधन, परियोजनाओं से संबद्ध पर्यावरणीय मामलों, जलीय संरचनाओं के अभिकल्प, जल विज्ञानीय पर्यवेक्षण और अध्ययन तथा बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया गया। इस अवधि के दौरान केन्द्रीय जल आयोग की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:-

ijle 'kZvlf 1 ylgdlj 1 ok a%

- भारत तथा अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल आदि जैसे पड़ोसी देशों में 137 जल संसाधन विकास परियोजनाओं के संबंध में अभिकल्प परामर्श।

Thy 1 d klu ifj; kt ukv h d k izklu vlf eW; klu %

- जल संसाधन विकास परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन तथा बहु-उद्देश्यीय सिंचाई/बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की स्वीकृति।
- 69 वृहत्, 26 मध्यम और 9 विस्तार/नवीनीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं का प्रबंधन तथा 133 परियोजनाओं का कमान क्षेत्र विकास कार्य।
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 4483.95 करोड़ रुपये की केन्द्रीय अनुदान निर्मुक्ति हेतु प्रस्तावों की जांच।
- जल निकायों के नवीकरण, पुनःस्थापन और पुनरुत्थान हेतु स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावों की जांच।
- देश में 81 जलाशयों की भंडारण स्थिति का प्रबंधन।

ck+izaku %

- असम, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात जैसे विशेष राज्यों जिन्हें भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा, में प्रभावी बाढ़ प्रबंधन की सहायता के लिए 2007 की मानसून अवधि के दौरान 8214 पूर्वानुमानों (97.22 प्रतिशत यथार्थता के साथ) को समय पर जारी करना।
- बाढ़ नियंत्रण हेतु बाढ़ प्रबंधन/मास्टर योजना की 35 स्कीमों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन।

अध्यक्ष

१/० द० क० क० १/०

अध्यक्ष
केन्द्रीय जल आयोग

fo"l; &oLrq

*v/; {k dh vlgj 1s
o"Zdh eq; &eq; mi yfU'k ka*

पृष्ठ संख्या

अध्याय-I	प्रस्तावना	9 - 20
अध्याय-II	जल संसाधन विकास	21 - 27
अध्याय-III	नदी प्रबंधन	28 - 36
अध्याय-IV	बेसिन आयोजना	37 - 43
अध्याय-V	अभिकल्प एवं परामर्श	44 - 58
अध्याय-VI	जल प्रबंधन, जलाशय अवसादन और परियोजना के बाद मूल्यांकन	59 - 62
अध्याय-VII	परियोजनाओं का मूल्यांकन	63 - 69
अध्याय-VIII	परियोजनाओं का प्रबोधन	70 - 79
अध्याय-IX	निर्माण उपकरण आयोजना एवं प्रबंधन	80 - 81
अध्याय-X	अन्तर-राज्यीय मामले	82 - 88
अध्याय-XI	जल संसाधन परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रबंधन	89 - 92
अध्याय-XII	विदेशी सहायता	93 - 96
अध्याय-XIII	पड़ोसी देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	97 - 101
अध्याय-XIV	कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण	102 - 103
अध्याय-XV	प्रशिक्षण	104 - 108
अध्याय-XVI	सतर्कता	109
अध्याय-XVII	विभिन्न समितियों में केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व	110 - 125
अध्याय-XVIII	प्रचार एवं प्रकाशन	126 - 127

vfhkYi %

- केन्द्रीय जल आयोग के अभिकल्प एकक ने 137 जल संसाधन विकास परियोजनाओं के लिए जलीय संरचना की विभिन्न किस्मों का विस्तृत अभिकल्प तथा आरेखण किया। वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत 103 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तकनीकी जांच अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध में की गई।

unh izaku %

- देश में फैले 878 स्थलों पर जल विज्ञानीय पर्यवेक्षण किए गए।
- 9 प्रमुख नदी बेसिनों में फैले 175 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों (28 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्थलों सहित) को चालू किया गया। बाढ़ मौसम 2007 के दौरान 8214 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए जिसमें से 7996 (97.22 प्रतिशत) परिशुद्धता की निर्धारित सीमाओं के भीतर थे। बाढ़ मौसम के दौरान दैनिक बाढ़ बुलेटिन तथा साप्ताहिक बाढ़ समाचार पत्र जारी किये गये। 89 लाल बुलेटिन (अभूतपूर्व बाढ़ स्थिति हेतु) और 124 नारंगी बुलेटिन (उच्च बाढ़ स्थिति हेतु) जारी किए।
- चंबल और महानदी बेसिनों में विद्यमान 55 केन्द्रों के अलावा मार्च, 2008 तक 147 केन्द्रों में उपग्रह पर आधारित दूरमापी प्रणाली की संस्थापना की गई।
- भूटान में 35 जल मौसम-विज्ञानीय स्थलों के रख-रखाव के लिए भूटान शाही सरकार को सहायता उपलब्ध करायी गई।
- उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में 13 (भारत में 11 और नेपाल में 2) जल विद्युत परियोजनाएं अन्वेषणाधीन थीं।
- मिजोरम में 57 लघु सिंचाई योजनाएं अन्वेषणाधीन थीं। 43 योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है तथा शेष 14 योजनाओं के संबंध में अन्वेषण कार्य/रिपोर्ट तैयार करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है।
- वर्ष 2007-08 में मार्च, 2008 तक के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए 35 बाढ़ प्रबंधन योजनाओं/मास्टर योजनाओं की जांच/मूल्यांकन किया गया।
- "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" के अंतर्गत 2007-08 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर और उड़ीसा की सरकार को निधियों को निर्मुक्ति हेतु 126 बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के संबंध में कार्रवाई की गई।
- बाढ़ों के नियंत्रण और उसके प्रभावों को कम करने के लिए राष्ट्रीय संदर्भ योजना तैयार करने हेतु सितम्बर, 2007 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सदस्य (नदी प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी विशेषज्ञ दल का गठन किया गया।

t.y vk kt uk

- केन्द्रीय जल आयोग में 63 नई वृहद सिंचाई परियोजनाएं, 25 संशोधित वृहद सिंचाई परियोजनाएं, 53 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और 21 जल विद्युत ऊर्जा योजनाएं मूल्यांकनाधीन हैं। सलाहकार समिति द्वारा 37 परियोजनाओं, जिसमें 15 वृहद, 16 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और 6 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं शामिल हैं, को निवेश स्वीकृति हेतु स्वीकृत की गई।
- 104 वृहद, मध्यम तथा विस्तारण/नवीकरण/आधुनिकीकरण (ई.आर.एम), ए.आई.बी.पी. के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं तथा 133 कमान क्षेत्र विकास (CAD परियोजनाओं) का प्रबोधन किया गया।

- साप्ताहिक आधार पर 151.77 बी.सी.एम. की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता वाले 81 महत्वपूर्ण जलाशयों का प्रबोधन किया गया।
- ए.आई.बी.पी. कार्यक्रम के तहत 4483.95 करोड़ की केन्द्रीय अनुदान की निर्मुक्ति के प्रस्तावों की जांच।
- जल संसाधन मंत्रालय को अंतर्राज्यीय जल विवाद जैसे कि कावेरी जल विवाद, मंडोवी जल विवाद, कृष्णा जल विवाद तथा रावी-ब्यास जल विवाद पर तकनीकी सहायता प्रदान की।

ekuo l d kku izdk %

- देश के भीतर 167 सेवारत अधिकारियों को प्रशिक्षण, सेमिनार/कार्यशाला आदि में भाग लेने के लिए भेजा गया तथा 27 सेवारत अधिकारियों ने विदेश में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे ने केन्द्रीय/राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 882 अधिकारियों के लिए 34 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 2 कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

v/; k & 1 i r k b u k

1-1 dññz t y vk lx dk bfrgk

केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन विकास के क्षेत्र में देश का एक शीर्षस्थ संगठन है, जो कि श्रम विभाग के संकल्प सं. डी. डब्ल्यू 101(2), दिनांक 5 अप्रैल, 1945 के तहत "केन्द्रीय जल मार्ग, सिंचाई एवं नौवहन आयोग" के नाम से अस्तित्व में आया। वर्ष 1951 से इसे "केन्द्रीय विद्युत आयोग" में शामिल कर दिया गया और पुनः इसका नाम "केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग" (के.ज. एवं वि.आ.) रखा गया। कृषि और सिंचाई मंत्रालय में आए परिवर्तनों के पश्चात् केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के जल स्कंध को वर्ष 1974 में "केन्द्रीय जल आयोग" का नाम दिया गया, जो अभी भी बना हुआ है। इस समय केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है और यह इसका प्रमुख तकनीकी अंग है। इसका प्रबंधन केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा संवर्ग द्वारा किया जाता है, जो जल संसाधन मंत्रालय की एकमात्र संगठित सेवा है।

1-2 1 x Bu

केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान एक अध्यक्ष हैं, जो कि भारत सरकार के पदेन सचिव स्तर के अधिकारी हैं। केन्द्रीय जल आयोग का कार्य तीन स्कंधों, अर्थात् अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध, जल आयोजना एवं परियोजना स्कंध तथा नदी प्रबंधन स्कंधों में बंटा हुआ है। इनसे सम्बद्ध कार्य संबंधित स्कंधों के अधीन हैं और प्रत्येक स्कंध के एक पूर्णकालिक सदस्य, जो कि भारत सरकार के पदेन अपर सचिव स्तर के अधिकारी हैं, के अधीन रखा गया है। प्रत्येक स्कंध, जिसमें अनेक संगठन शामिल हैं, उसे सौंपे गये कार्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों और कर्तव्यों के निपटान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने में विभिन्न स्तर के अधिकारी मुख्य अभियंता/निदेशक/अधीक्षण अभियंता/उपनिदेशक/अधिशासी अभियंता /सहायक निदेशक/सहायक अधिशासी अभियंता तथा अन्य अभियांत्रिकी तथा गैर-अभियांत्रिकी अधिकारियों व सहायक स्टॉफ द्वारा सदस्य को सहायता प्रदान की जाती हैं। इसमें अलग से एक मानव संसाधन प्रबंध एकक है, जिसके प्रधान मुख्य अभियंता है, जो केन्द्रीय जल आयोग के मानव संसाधन प्रबंध/विकास, वित्तीय प्रबंधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक मामलों से संबंधित कार्यों को देखते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्यों में सेवारत इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए पुणे में राष्ट्रीय जल अकादमी कार्य कर रही है, जो सीधे अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करती है। अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:-

v/; k

संगठन का प्रधान-देश के सतही जल संसाधनों के समग्र आयोजना एवं विकास से सम्बद्ध विभिन्न कार्यकलापों की देख-रेख और कुल मिलाकर आयोग के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है।

1 nL: t y vk k uk, oai fj: k uk

यह स्कंध राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार बेसिन-वार सतही जल क्षेत्रों की समग्र आयोजना एवं विकास तथा जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय संदर्शी योजना, जल संसाधन परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन तथा परियोजनाओं के निरूपण एवं कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता देने, लक्षित लाभों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए चुनिंदा परियोजनाओं का प्रबोधन करने, अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए परियोजनाओं को तैयार करने,

पर्यावरणीय पहलुओं, परियोजनाओं के लिए निर्माण तथा मशीनरी से संबंधित मदों तथा जल संसाधन आदि में दूरस्थ संवेदी तकनीकी के प्रयोग आदि के लिए उत्तरदायी हैं ।

1 nL; ¼ffhdYi , oa vuq akku½

यह स्कंध देश की नदी घाटी परियोजनाओं की आयोजना, व्यवहार्यता अध्ययन, मानकीकरण तथा अभिकल्प आदि में मार्ग-दर्शन करने तथा सहायता उपलब्ध कराने और वृहद एवं मध्यम बांधों की सुरक्षा संबंधी पहलुओं, परियोजनाओं का जल विज्ञानीय अध्ययन, अनुसंधान कार्यकलापों का समन्वय, आदि जैसे कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी है ।

1 nL; ¼unh izaku½

यह स्कंध नदी आकृति विज्ञान, बाढ़ प्रबंध, बाढ़ प्रबंधन स्कीमों की तकनीकी आर्थिक जांच और उसकी स्वीकृति, निकासी, कटाव रोधी उपाय से संबंधित तकनीकी मामलों का मार्गदर्शन करने, जल विज्ञानीय तथा जल मौसम विज्ञानीय आंकड़ों का संग्रहण, सभी प्रमुख बाढ़ प्रवण नदियों के बाढ़ पूर्वानुमान का निरूपण और चुनिंदा महत्वपूर्ण जलाशयों का अंतर्वाह पूर्वानुमान, कमान क्षेत्र विकास आदि को ध्यान में रखते हुए वृहत् एवं मध्यम परियोजनाओं का प्रबोधन कराने के लिए उत्तरदायी है ।

वर्ष 2007-2008 के दौरान अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों के पदों की पदधारिता निम्न प्रकार है :-

1 अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	श्री एस.के. दास (01.04.2007 से 31.07.2007) श्रीबी0एस0आहूजा* (01.08.2007से 31.03.2008)
2 सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान)	श्री बी. एस. आहूजा* (01.04.2007 से 09.04.2007) श्री ए.बी. पाल (11.04.2007 से 31.08.2007) डॉ0 डी.वी. थरेजा (12.02.2008 से 31.03.2008)
3. सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना)	श्री बी.एस. आहूजा* (1.04.2007 से 31.03.2008)
4. सदस्य (नदी प्रबंध)	श्री ए.बी. पाल (01.04.2007 से 10.04.2007) श्री आर.एन.पी. सिंह (11.04.2007 से 31.07.2007) श्री एम.एल. गोयल* (13.08.2007 से 12.11.2007) श्री आर.सी. झा (12.02.2008 से 31.03.2008) * अतिरिक्त प्रभार (वर्तमान कार्य)

1-3 ieqk dk Z

केन्द्रीय जल आयोग सामान्यतः बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन के उद्देश्य के लिए संबंधित राज्य में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए स्कीमों के बारे में संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके इन्हें प्रारंभ करने, समन्वय करने और विकसित करने के सामान्य उत्तरदायित्व को निभाता है । आयोग, आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार की किसी भी स्कीम का निर्माण तथा निष्पादन कार्य भी कर सकता है ।

उपर्युक्त उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :-

- आवश्यकतानुसार आवश्यक सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य करना, विद्युत उत्पादन के संबंध में नदी घाटी के विकास के लिए अभिकल्प एवं योजनाएं तैयार करना, गुरुत्व प्रवाह अथवा लिफ्ट द्वारा सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रबंध, पुनर्वास एवं पुनः स्थापना, मृदा संरक्षण, जलमग्नता रोधी उपाय, क्षारीय और लवणीय मृदा का सुधार, जल निकास तथा पेयजल आपूर्ति करना ।
- भारत सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार की ओर से किसी भी नदी घाटी विकास योजना का निर्माण कार्य शुरू करना ।
- जब भी आवश्यकता हो, किसी विशेष क्षेत्रों तथा इलाकों के लिए नदी घाटी तथा विद्युत विकास योजनाओं के अन्वेषण, सर्वेक्षण तथा तैयारी में राज्य सरकारों (गठित किए गए आयोगों, निगमों अथवा (निकायों) को सलाह तथा सहायता देना ।
- जल संसाधन विकास के संबंध में भारत सरकार को सलाह देना, विभिन्न राज्यों के बीच अधिकारों तथा विवादों, जो जल के संरक्षण एवं उपयोग संबंधी किसी योजना को प्रभावित कर सकते हैं और नदी घाटी विकास से संबंधित अन्य कोई मामला हो उसे आयोग को भेजा जा सकता है ।
- जल संसाधनों के बेसिन-वार विकास के संबंध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को सलाह देना ।
- अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित सभी मामलों के बारे में भारत सरकार को सलाह देना ।
- जल मार्गों, ज्वारीय नदियां, वर्षा, अपवाह तथा तापमान, भू-जल संसाधनों, जलाशयों की गाद, द्रवचालित संरचनाओं का व्यवहार, पर्यावरणीय पहलुओं आदि के बारे में, आंकड़े इकट्ठा करना, संग्रहण में समन्वय करना, प्रकाशित करना तथा इनका विश्लेषण करना और इन मामलों के बारे में केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करना ।
- समूचे भारत में जल की गुणवत्ता सहित जल संसाधनों तथा इनके उपयोग से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों को एकत्रित करना, रख-रखाव करना तथा प्रकाशित करना और जल संसाधनों के संबंध में केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करना ।
- नदी घाटी विकास के सभी पहलुओं के संबंध में भारत तथा विदेश में भारतीय इंजीनियरों के प्रशिक्षण से संबंधित स्कीमें प्रारंभ करना तथा उसकी व्यवस्था करना ।
- सिंचाई परियोजनाओं के उपस्करणों, पर्यवेक्षण तथा रिकार्ड की पद्धतियों, सामग्री और निर्माण, अभिकल्प और प्रचालन को मानकीकृत करना ।
- सिंचाई के निरन्तर विकास के लिए सिंचाई परियोजनाओं के सामाजिक-कृषि-आर्थिक तथा पारिस्थितिकी संबंधी पहलुओं के संबंध में अध्ययन करना ।
- बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई, नौवहन, जल-विद्युत विकास आदि जैसी नदी घाटी विकास स्कीमों के विभिन्न पहलुओं तथा सम्बद्ध संरचनाओं और अभिकल्प विशेषताओं पर अनुसंधान कार्य करना तथा समन्वय करना ।
- जल संसाधन विकास के लिए दूरस्थ संवेदन सेटेलाइट तकनीक तथा नदी पूर्वानुमान एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास जैसी आधुनिक आंकड़ा संग्रहण तकनीकों को बढ़ावा देना ।
- विद्यमान और भावी बांध-सुरक्षा पहलुओं का अध्ययन करना तथा बांध सुरक्षा उपायों के लिए उपस्करणों को मानकीकृत करना ।

- नदी रूख का दृष्टांकन करने के लिए तटीय अपरदन/तटीय क्षरण समस्याओं को देखने के लिए आकारकीय अध्ययन शुरू करना तथा ऐसे सभी मामलों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह देना।
- परीक्षण एवं अनुसंधान करना तथा जल संसाधनों के किफायती एवं इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ऐसी ही अन्य गतिविधियां आयोजित करना।
- जल संसाधनों के उपयोग तथा संरक्षण के क्षेत्र में और देश में हुई प्रगति तथा उपलब्धियों के बारे में प्रोत्साहन एवं जन-जागरूकता पैदा करना।

1-4 *ef; ky;*

इस समय केन्द्रीय जल आयोग (मु.) में मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में 18 संगठन हैं जिसमें 9 संगठन जल आयोजना एवं परियोजना के अंतर्गत हैं, 6 संगठन अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध के अन्तर्गत हैं तथा 2 संगठन नदी प्रबंध स्कंध के अन्तर्गत हैं। इसके अलावा मुख्यालय में मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) की अध्यक्षता में मानव संसाधन प्रबंध एकक भी है। संगठनों का ब्यौरा संगठनात्मक संरचना में दिया गया है।

1-5 *{k-l; dk ky;*

जल संसाधन क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करने तथा राज्य सरकार के विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से केन्द्रीय जल आयोग ने प्रमुख नदी बेसिनों में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है। मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में के.ज.आ. के 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये कार्यालय बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद, लखनऊ, नागपुर, पटना, शिलांग तथा सिलीगुड़ी में स्थित हैं।

1-6 *dkfeZl izaku*

1 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग के कर्मचारियों की संख्या 3545 है, जब कि स्वीकृत पद 5115 हैं। मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत तथा भरे हुए पदों का ब्यौरा सारणी 1.1 में दिया गया है। विभिन्न वर्गों में स्वीकृत तथा भरे हुए पदों का सारांश तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.1
कर्मचारियों की संख्या

वर्ग	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या
मुख्यालय	1995}	3467
क्षेत्रीय कार्यालयों	3120}	
कुल	5115	3467

तालिका 1.2
स्वीकृत तथा भरे हुए पदों का समूह-वार ब्यौरा

क्रम संख्या	वर्ग	स्वीकृत	भरे हुए
1.	समूह "क"	709	504
2.	समूह "ख"	1028	618
3.	समूह "ग"	2406	1572
4.	समूह "घ"	972	773
<i>dy</i>		<i>5115</i>	<i>3467</i>

1-7 *IyW Ldle rFk okWZl ct V*

1-7.1 *IyW Ldle*

वर्ष 2007-08 के दौरान प्लान योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	योजनाओं के नाम	उद्देश्य/ कार्य का क्षेत्र	ग्यारहवीं योजना का परिव्यय	(करोड़ रूपए)		
				वित्त वर्ष 2007-08 (केन्द्रीय जल आयोग का घटक)	बजट प्राक्कलन	वित्तीय प्राक्कलन
1.	राष्ट्रीय जल अकादमी	• जल संसाधन विकास के क्षेत्र में राज्य और केन्द्रीय संगठनों से सेवारत इंजीनियरों के लिए प्रषिक्षण	15.00	2.00	1.97	1.71
2.	जल विज्ञान परियोजना (चरण-2)	• 13 राज्यों और 8 केन्द्रीय एजेंसियों में जल संसाधन आयोजना और प्रबंधन से संबंधित सभी क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा जल विज्ञानीय सूचना प्रणाली के स्थायी और प्रभावी उपयोग का विस्तार करना और बढ़ावा देना ।	कुल लागत 631.83 करोड़ रूपए केन्द्रीय जल आयोग का घटक 29.60 करोड़ रूपए	4.60	0.46	0.29
3.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	• आंकड़ों के संग्रहण और आदान-प्रदान के लिए संबंधित राज्य और केन्द्रीय विभागों से संपर्क स्थापित करके राष्ट्रीय स्तर पर जल संसाधनों संबंधी सूचना प्रणाली का विकास करना ।	234.30	22.32	15.52	14.4

4.	जल संसाधन विकास योजनाओं का अन्वेषण	<ul style="list-style-type: none"> • सर्वेक्षण और क्षेत्रीय अन्वेषण से संबंधित गतिविधियों को करना। जल के अंतर-बेसिन अंतरण की योजनाओं सहित विभिन्न जल संसाधन विकास योजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता/व्यवहार्यता रिपोर्टों और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। 	290.00 करोड़ में से 40.00 करोड़	4.00	3.14	3.31
5.	बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	<ul style="list-style-type: none"> • यंत्रीकरण प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना करना (दसवीं प्लान योजना के फ़ैले हुए कार्य)। • पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन (ईएसए)। • अभिज्ञात परियोजनाओं के लिए जोखिम मूल्यांकन अध्ययन और अन्य विशेषीकृत अध्ययन। • बांध सुरक्षा गतिविधियों संबंधी विशेष प्रयोजन के पैकेजों का प्रशिक्षण और विकास। • सिंधु और कृष्णा बेसिनों के लिए तैयार किए गए सामान्यकृत पी.एम.पी. एटलस के लिए शेष अदायगी। • कृष्णा बेसिन के लिए सामान्यकृत पी.एम.पी. एटलस का अंकीकरण (दसवीं प्लान योजना के फ़ैले हुए कार्य)। • गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों के लिए सामान्यकृत पी.एम.पी. एटलस तैयार करना तथा अंकीकरण करना। • बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्वास परियोजना के अन्तर्गत तैयार किए गए एटलस का उन्नयन और अंकीकरण (डीएसएआरपी)। 	10.00	1.00	0.63	0.48
6.	बाढ़ पूर्वानुमान	<ul style="list-style-type: none"> • दसवीं योजना के शेष कार्य। • आंकड़ा संग्रहण, संचारण, बाढ़ पूर्वानुमान निरूपण/एकत्र करना। • अतिरिक्त 222 केन्द्रों पर दूरमापी (टेलीमीटरी) प्रणाली का संस्थापन। 	130.00	16.00	14.30	13.71

7.	सीमा क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियाँ एवं कार्य	सीमा स्थित नदियों पर नदी प्रबंधन गतिविधियों में निम्न शामिल है:- • जल विज्ञानीय पर्यवेक्षण • आवश्यकतानुसार पड़ोसी देशों के सहयोग से अन्वेषण एवं आवश्यक बाढ़ नियंत्रण उपाए।	कुल परिव्यय 601.00 करोड़ रूपए, केन्द्रीय जल आयोग परिव्यय 118.95 करोड़ रूपए	10.67	6.50	6.28
8.	अवसररचना विकास	• योजना मे निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल है:- (i) केन्द्रीय जल आयोग की भूमि एवं भवन। (ii) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की भूमि एवं भवन। (iii) जल संसाधन मंत्रालय का आई.टी विकास और (iv) केन्द्रीय जल आयोग के कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रणाली का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	कुल लागत 115.00 करोड़ रू० के.ज.आ. घटक (i) भूमि एवं भवन- 57.00 करोड़ रू० (ii) केन्द्रीय जल आयोग की कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रणाली का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण- 6.00 करोड़ रू०	6.15	2.32	2.59

1-7.2 *ok'kZ ct V*

वर्ष 2007-2008 के लिए गैर-योजना बजट परिव्यय और व्यय तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3
केन्द्रीय जल आयोग (गैर-योजना) की योजनाएं-परिव्यय और व्यय

<i>2701& ogn , oae/; e fl plbZ</i>		<i>kdjM#: i, ea</i>	
<i>001 t ; kt ukv/ck ule</i>	<i>ct V iAdyu 2007&08</i>	<i>ekpZ 2008 rd Q;</i>	
1-	निर्देशन एवं प्रशासन	14.05	13.78
2-	आंकड़ा संग्रहण	43.75	46.35
3-	अनुसंधान	1.10	0.87
4-	प्रशिक्षण	0.55	0.49
5-	सर्वेक्षण और अन्वेषण	6.35	5.54
6-	परामर्श	15.4	13.87
7-	प्रदर्शन एवं व्यापार मेला	0.30	0.13
8-	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रबंधन हेतु कक्ष	0.42	0.44
9-	उपकरण का आधुनिकीकरण, केन्द्रीय जल आयोग आफसेट प्रेस	0.28	0.19

16-	जल आयोजना स्कंध	0.90	0.92
11-	चिनाब बेसिन में जल विज्ञानीय पर्यवेक्षण	1.40	1.20
12-	सेमिनार एवं सम्मेलन	0.004	0
13-	अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में अंशदान	0.015	0
	<i>dy</i>	<i>84.52</i>	<i>85-78</i>
<i>2711&ck+fu; æ.k, oaviogu</i>			
	<i>001 t ; kt ukv h d k u k e</i>	<i>ct V i d d y u</i> <i>2007&08</i>	<i>ekp 2008 rd 0 ;</i>
1-	बाढ़ नियंत्रण	34.1	36.48
2-	बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी केन्द्रों के रखरखाव के लिए भूटान सरकार को अदायगी	0.74	0.71
3-	ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान और जल विज्ञानीय सर्वेक्षण नेटवर्क का सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण	1.40	1.58
	<i>dy</i>	<i>36.24</i>	<i>38-76</i>

1-8 *ijle 'kZl ok a*

केन्द्रीय जल आयोग का अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध तथा अन्वेषण परिमंडल केन्द्रीय विभागों, राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों को आयोजना, सर्वेक्षण व अन्वेषण में तथा नदी घाटी परियोजनाओं के अभिकल्प में भारत तथा विदेश में परामर्श प्रदान कर रहा है।

1-9 *1 j d l j h d k e d k t e a f g l h h d k i x l e h i z k x*

केन्द्रीय जल आयोग के सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकारी प्रयोजनों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग करने के लिए निरन्तर उपाय किए गए। सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) की अध्यक्षता में आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। इन बैठकों में हिन्दी के प्रगामी प्रगति के लिए आवश्यक विभिन्न उपायों पर चर्चा की जाती है तथा लिए गए निर्णयों पर समय पर कार्रवाई की जाती है। इस वर्ष में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में निम्नानुसार कार्रवाई की गई है:-

1. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने तथा राजभाषा विभाग के आदेशों, अनुदेशों आदि के अनुपालन की निगरानी रखने के लिए शिमला, जयपुर, गंगटोक, देहरादून, चण्डीगढ़, चेन्नई और जम्मू स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए।
2. हिन्दी के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा राजभाषा नियमों और प्रोत्साहन योजनाओं आदि के प्रावधानों की व्यावहारिक जानकारी देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में चार हिन्दी कार्यशालाओं और चेन्नई में एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें क्रमशः 68 और 30 अधिकारियों ने भाग लिया।
3. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों का अनुवाद के अलावा केन्द्रीय जल आयोग की वर्ष 2006-07 की वार्षिक रिपोर्ट, जल लेखा परीक्षा और जल

संरक्षण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों, जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 2006-07 की वार्षिक रिपोर्ट, तकनीकी रिपोर्ट, के.ज.आ.(मु0) की वेबसाइट, विश्व जल दिवस संबंधी विषय-वस्तु कागजात और अन्य नेमी सामग्री का हिंदी में अनुवाद किया गया।

4. केन्द्रीय जल आयोग ने हिन्दी में अधिकतम कार्य करने के लिए वर्ष 2005-06 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की राजभाषा वैजयन्ती शील्ड (द्वितीय पुरस्कार) प्राप्त किया।
5. सितम्बर, 2007 में हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं, अर्थात हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन, निबंध-लेखन, आशु भाषण, काव्य स्पर्धा, तकनीकी लेख का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। केन्द्रीय जल आयोग के 'क' ख तथा ग स्थित कार्यालयों अर्थात मध्य गंगा मण्डल-3, वाराणसी, तापी मण्डल, सूरत और सिक्किम अन्वेषण मंडल, सिक्किम तथा आयोग के स्थापना नौ अनुभाग तथा बांध सुरक्षा तथा पुनर्वास निदेशालय को वर्ष के दौरान हिन्दी में अपना सर्वाधिक कार्य करने के लिए वर्ष 2006-07 के लिए राजभाषा चल शील्ड प्रदान की गई।
6. माननीय जल संसाधन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में पुणे में दिनांक 04.01.2008 को हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केन्द्रीय जल आयोग (मु0) की ओर से अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने भाग लिया।
7. हिंदी की प्रगति का प्रबोधन करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति ने केन्द्रीय जल आयोग (मु0) तथा केन्द्रीय जल आयोग के हैदराबाद और रायपुर स्थित कार्यालयों का दौरा किया। समिति ने हिन्दी के प्रगामी उपयोग के लिए विभिन्न उपाए सुझाए। इन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

1-10 *vuq fpr t kfr/ vuq fpr t ut kfr rFlk vU fiNM&oxZ dsfy, vlj{k k*

विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व तालिका 1.4 में दिया गया है :-

rkydk 1-4

vuq fpr t kfr , oa vuq fpr t ut kfr ds vf/kdjk; kdk fofHkU xM&esi frfu/RR
1-1-2008 ds vuq kj 1/2

<i>oxZ</i>	<i>Hjs gg ink dh l d; k</i>	<i>vuq fpr t kfr ds ink dh l d; k</i>	<i>vuq fpr t ut kfr ds ink dh l d; k</i>	<i>v- fi- oxZ ds ink dh l d; k</i>
समूह क	504	58	19	8
समूह ख	618	101	12	4
समूह ग	1572	190	42	51
समूह घ	773	222	79	11
<i>dg</i>	<i>346</i>	<i>571</i>	<i>152</i>	<i>74</i>

टिप्पणी:- उपर्युक्त आंकड़ों में सीएसएस,सीएसएसएस और सीएससीएस संवर्गों से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं किए जाते जिसका नियंत्रण जल संसाधन मंत्रालय और संवर्ग नियंत्रण आर्थिक कार्य विभाग और सांख्यिकी विभाग द्वारा किया जाता है ।

1-11 fodylax Q fDr; lsd fy, vjifkr fjDk LFkku dks Hjs t kus l sl ad/kr fLFkr

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 33 में विकलांग व्यक्तियों हेतु पदों को अभिज्ञात किया गया है तथा 31.12.2007 तक विकलांग व्यक्तियों की स्थिति तालिका 1.5 में दी गई है। पिछले रिक्त स्थानों को भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

rkfydk 1-5 rSikr fodylax Q fDr; lsdh l d; k dh fLFkr

leg	vk p	oh p	, p, p	dy
"क"	3	—	—	3
"ख"	1	—	1	2
"ग"	5	—	—	5
"घ"	2	4	1	7
dy	11	4	2	17

ओ. एच. : शारीरिक रूप से विकलांग, वी. एच. : नेत्रहीन विकलांग, एच. एच. बधिर विकलांग

टिप्पणी:- उपर्युक्त आंकड़ों में सीएसएस,सीएसएसएस और सीएससीएस संवर्गों से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं किए जाते जिसका नियंत्रण जल संसाधन मंत्रालय और संवर्ग नियंत्रण आर्थिक कार्य विभाग और सांख्यिकी विभाग द्वारा किया जाता है।

1-12 dY; k kdjh mik; rFk i ml kgu

विद्यमान विभिन्न कल्याणकारी उपाय तथा प्रोत्साहन इस प्रकार है :-

1-12-1 fgrdljh fuf/k

केन्द्रीय जल आयोग में हितकारी निधि की स्थापना 1966 में की गई थी, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक विपदाओं में होने वाली क्षति को पूरा करने तथा स्वयं के कैंसर, क्षयरोग आदि जैसी लम्बी बीमारियों पर होने वाले चिकित्सा व्यय की पूर्ति के लिए सहायता प्राप्त करने के हकदार सदस्यों को तथा सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारी के परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह वित्तीय सहायता निम्नलिखित दो प्रकार से उपलब्ध कराई जाती है:-

- 15,000 रुपये की तत्काल राहत, तथा
- 10,000 रुपये तक दीर्घावधि राहत, जो दस मासिक किस्तों में देय है।

इस निधि का संचालन शासी निकाय द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक अवैतनिक सचिव, एक कोषाध्यक्ष और 8 सदस्य हैं। इस निधि के लेखा परीक्षित लेखे वार्षिक आम सभा की बैठक में आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। विद्यमान अंशदान की दर 10 रुपये प्रतिमास है। वर्ष 2007-2008 के दौरान तत्काल राहत के 6 मामलों तथा दीर्घावधि निधि के 2 मामलों को हितकारी निधि के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया।

1-12-2 *dk&vllj'sVo fflQV, oaO&M I k kbVh*

डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन को-ऑपरेटिव थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला केन्द्र, विद्युत विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, जल संसाधन मंत्रालय का प्रधान भुगतान एवं लेखा कार्यालय और केन्द्रीय जल आयोग का भुगतान एवं लेखा कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कल्याण और लाभ के लिए मार्च 1959 से कार्य कर रही है जिसका पंजीकृत कार्यालय पश्चिमी खंड-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में स्थित है। यह सोसाइटी 1,00,000/-रूपये तक नियमित ऋण तथा 8000/- रूपये तक आपातकालिक ऋण उपलब्ध कराती है जो क्रमशः 60 तथा 10 मासिक किश्तों में 9 % प्रति वर्ष ब्याज दर से वसूल किया जाता है। सोसाइटी सेवा-निवृत्त होने वाले सदस्यों को उपदान (ग्रेच्युटी) की अदायगी करती है तथा सदस्य कल्याण निधि से दिवंगत सदस्यों का बकाया ऋण माफ करती है। इसने दिल्ली की सर्वोत्तम सहकारी समिति होने के नाते अनेक पुरस्कार जीते हैं।

1-12-3 *[ky rFlk I kdfird xfrfof/k la*

केन्द्रीय जल आयोग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने अन्तर-मंत्रालयी एथलेटिक्स तथा खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया तथा अपने बढ़िया प्रदर्शन से ख्याति अर्जित की। श्री अश्विनी कुमार ने बंगलौर में आयोजित चौदवें एशिया मास्टर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए 4x400 मीटर रिले रेस से कांस्य पदक प्राप्त किया। केन्द्रीय जल आयोग की हॉकी की टीम ने अन्तरमंत्रालयी हॉकी प्रतियोगिता 2007-08 में टीम चैम्पियनशिप जीती। श्री सतीश कुमार ने दिल्ली स्टेट मास्टर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2007-08 में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया। केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने अन्तरमंत्रालयी प्रतियोगिता 2007-08 में तैराकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। केन्द्रीय जल आयोग जल तंत्र के सदस्यों ने अन्तरमंत्रालयी संगीत एवं नृत्य और लघु नाटिका प्रतियोगिता 2007-08 में वाद्य, संगीत, लोक-नृत्य, लोक संगीत, कारनेटिक सुगम संगीत और हिन्दुस्तानी सुगम संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

1-12-4 *vuq fpr t kfr/ vuq fpr tut kfr@vlf, fi NM&ox@'Wjlfjd : lk I sfodykx Q fDr; kdsfy, tul á dZd{k dh LFki uk djuk*

केन्द्रीय जल आयोग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति /अन्य पिछड़ेवर्ग/ विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक जनसंपर्क कक्ष की स्थापना की गई है।

1-13 *dlnh ty vk lx dk iqxBu*

व्यवसायिक तरीके से राष्ट्रीय जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए डा0 एस आर0 हाशिम, तत्कालीन सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि "केन्द्रीय जल आयोग के पुनर्गठन के समूचे प्रश्न पर सक्षम परामर्शदाताओं की नियुक्ति करके विस्तार से अध्ययन" किया जाए।

तदनुसार, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 2001 को उपर्युक्त अध्ययनों के लिए परामर्श का कार्य भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ महाविद्यालय, हैदराबाद को सौंप दिया है। अध्ययन में विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:- (1) केन्द्रीय जल आयोग और इसके कार्यों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन। (2) 2025 के लिए जल क्षेत्र में भावी प्रक्षेपण (3) 2025 के लिए भावी प्रक्षेपणों के संबंध में

केन्द्रीय जल आयोग के मिशन और केन्द्रीय जल आयोग के संबंध में संगठनात्मक संरचना तथा इससे सम्बद्ध मुद्दे ताकि मिशन को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा सके ।

सितम्बर, 2002 में भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ महाविद्यालय द्वारा मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तत्पश्चात् विचाराधीन विषयों के अनुसार अध्ययन की सिफारिशों को अन्तिम रूप देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के साथ पारस्परिक क्रिया संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई। भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ महाविद्यालय ने अन्तिम रिपोर्ट जुलाई, 2007 को प्रस्तुत की गई थी।

1-14 द्वांरक त्प वरु लरु दस्य, उरुखरुद ?रुकरु रुकरु =

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग के लिए नागरिक घोषणा-पत्र सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग के नागरिक घोषणा तैयार करने के लिए एक कार्यदल गठित किया गया था, जिसके सदस्य-सचिव और नोडल अधिकारी मुख्य अभियंता (बीपीएमओ) थे। जल संसाधन मंत्रालय की सहमति से नागरिक घोषणा-पत्र को अन्तिम रूप दिया गया है और केन्द्रीय जल आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

1-15 1 पुरुकरु दुरु वरु/रुकरु वरु/रुकरु; रु

संसद द्वारा 15 जून, 2005 को अधिनियमित सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 (अधिनियम के 120वें दिवस) को लागू हो गया । केन्द्रीय जल आयोग ने अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित किया है । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अनुपालना में केन्द्रीय जल आयोग से संबंधित सूचना को इसके कार्यालय की वेबसाइट <http://cwc.gov.in> के जरिए सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखा है।

2007-08 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना हेतु 179 अनुरोध प्राप्त हुए थे। सभी मामलों में सूचना उपलब्ध करायी गई थी।

v/; k & 2 ty l d kku fockd

2-1 Hkjr eaty l d kku

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा देश के जल संसाधनों का आवधिक मूल्यांकन किया जा रहा है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार देश की जल संसाधन क्षमता जो नदियों में प्राकृतिक अपवाह के रूप में पाई जाती है, लगभग 1869 बिलियन घन मीटर है। यह विश्व के कुल नदी प्रवाह के 4 प्रतिशत से ज्यादा है। तथापि, स्थलाकृति की विभिन्न बाधाओं तथा स्थान व समय के असमान वितरण की वजह से यह अनुमान लगाया गया है कि कुल वार्षिक जल क्षमता का लगभग 1123 बिलियन घन मीटर से ही लाभदायी उपयोग लिया जा सकता है। इसे उपयोज्य सतही जल के माध्यम से 690 बिलियन घन मीटर तथा भू-जल के माध्यम से 433 बिलियन घन मीटर प्राप्त किया जा सकता है।

यद्यपि पेयजल प्रयोजन हेतु जल को जल उपयोग में उच्च प्राथमिकता दी गई है, तथापि सिंचाई, जल का प्रमुख उपभोक्ता है। मूलभूत सिंचाई क्षमता, जिसे वृहत, मध्यम तथा लघु परियोजनाओं के जरिए उपयोग योग्य सतही जल संसाधनों का उपयोग करके सृजित किया जा सकता है, लगभग 75.9 मिलियन हैक्टेयर होगी। भूजल के उपयोग में आने वाली सिंचाई क्षमता अब 64 मिलियन हैक्टेयर आंकी गई है। इस प्रकार सतही और भू-जल संसाधनों से कुल सिंचाई क्षमता 139.9 मिलियन हैक्टेयर होगी। इसके अलावा, इसमें अधिशेष से कमी वाले बेसिनों में सुदूर अंतर-बेसिन अंतरण द्वारा लगभग 35 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जा सकती है। प्रमुख नदी बेसिनों में जल संसाधन क्षमता को केन्द्रीय जल आयोग प्रकाशन – जल और संबद्ध सूचना जनवरी, 2005 संबंधी पुस्तिका में दिया गया है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर समाज की वर्तमान तथा भावी जल तथा खाद्यान्नों की आवश्यकताओं को सही ढंग से पूरा करने के लिए सरकारों द्वारा जल संसाधन से सम्बद्ध मामलों के लिए निम्नलिखित अभिवृद्धि/प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है :-

- जल उपयोग क्षमता में सुधार करना,
- कमान क्षेत्र विकास तथा सहभागी सिंचाई प्रबंध,
- बाढ़ प्रबंधन तथा अपरदन नियंत्रण,
- तटीय अपरदन का संरक्षण,
- बांध सुरक्षा तथा पुनर्वास,
- विद्यमान जल निकायों का पुनःस्थापन एवं पुनःरुद्धार,
- भू-जल का उपयुक्त विनियमन एवं प्रबंध,
- भू-जल का पुनःभरण,
- दक्षिणी नदियों से शुरु होने वाली नदियों के अन्तः संयोजन संपर्क हेतु कार्यसूची पर कार्रवाई करना,
- ग्रामीण पेयजल आपूर्ति तथा सफाई।

केन्द्रीय जल आयोग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इन दबाव/प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान दे रहा है।


2-2 ty l d kku {k dh iedk fo 'k'rk a

चूँकि समूचे देश में वर्षा की असमानता सुपरिचित है, इसलिए विभिन्न योजना अवधियों में सिंचित कृषि के लिए जल संसाधनों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। विद्यमान प्रणालियों के समेकन के साथ-साथ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने की प्रमुख कार्य नीति रही है।

वृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा कमान क्षेत्र विकास के माध्यम से सिंचाई सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

2-2-1 *fl pkbZ{lerk %ogn-rFlk e/; e fl pkbZ{ls-*

देश की मूलभूत सिंचाई क्षमता अनुमानतः 139.9 मिलियन हैक्टेयर आंकी गई है, जिसमें से वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्त सिंचाई क्षमता 58.47 मिलियन हैक्टेयर आंकी गई है। वृहद, तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई क्षमता जो 1951 में 9.7 मिलियन हैक्टेयर थी, दसवीं योजना (अनुमानित) के अंत तक बढ़कर 42.277 मिलियन हैक्टेयर हो गई है। ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य वृहद एवं मध्यम सिंचाई के क्षेत्र में 9 मिलियन हैक्टेयर तक अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को प्राप्त करना है। कमबद्ध योजना अवधियों में सृजित क्षमता के संचयी आंकड़ें चित्र 2.1 में दिये गये हैं।



चित्र 2.1 :- योजना-पूर्व एवं योजना अवधि (संचयी) (वृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षेत्र) के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता में वृद्धि

2-2-2 *ogn rFlk e/; e fl pkbZifj; kt uk a*

1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू किये जाने के समय पर देश में 74 वृहद तथा 143 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं थीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1951 की योजनावधि से लेकर 2007 की दसवीं योजना के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या इस प्रकार है: 368 वृहद, 1087 मध्यम तथा 215 विस्तार/ नवीनीकरण/आधुनिकीकरण स्कीमें जिसमें से दसवीं योजना के अंत तक 202 वृहद, 865 मध्यम और 126 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं को पूरा कर लिए जाने की आशा है जिसका ब्यौरा तालिका 2.1 में दिया गया है। दसवीं योजना के अंत तक सृजित संचयी सिंचाई क्षमता 42.277 मिलियन हैक्टेयर होने के अनुमान है तथा ग्यारहवीं योजना हेतु लक्ष्य 9 मि.है. रखा गया है। नौवीं योजना के अंत तक वृहद तथा मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से सृजित राज्यवार संचयी क्षमता तथा दसवीं योजना तक सम्भावित संचयी उपलब्ध तालिका 2.2 में दी

गई है। वृहद् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सृजित सिंचाई क्षमता का विकास तथा विभिन्न योजना अवधियों में तदनुरूपी परिव्यय/व्यय तालिका 2.3 में दिया गया है।

rkfydk 2-1

*nl oha; kt uk rd 'lq dh xbZrFlk i wZ dh xbZogn/ e/; e vlf
foLrlj@uohdj.k@vklqfudldj.k ifj; kt ukvldh l d; k*

<i>oxz</i>	<i>'lq dh xbZi fj; kt ukvldh l d; k</i>			<i>i wZ ghuo kyh l d dfor ifj; kt ukvldh l d; k</i>			<i>X; kjgoh ; kt uk rd yst kbZxbZ</i>
	<i>; kt u&i n</i>	<i>; kt u</i>	<i>dg</i>	<i>; kt u&i oZ</i>	<i>; kt u</i>	<i>dg</i>	
वृहत्	74	368	442	74	202	276	166
मध्यम	143	1087	1230	143	865	1008	222
विस्तार/ नवीनीकरण/ आधुनिकीकरण	—	215	215	—	126	126	89
कुल	217	1670	1887	217	1193	1410	477

Ldr %X; kjgoh i po"lZ ; kt uk ds fy, t y l d k lu l aalh dk Zljh ny dh fji l dZ (2007-12)

rkfydk 2-2

*ogn~, oae/; e fl plbZ{ks dsek; e l sfl plbZ{sterk dk jkt; ojl l t u
igt kj gDVs j edz*

<i>de l d; k</i>	<i>jkt;</i>	<i>eythw fl plbZ {sterk</i>	<i>uksh 1997&2002½ rd l ft r {sterk</i>	<i>nl oha ; kt uk ds nlku l ft r {sterk dk y/;</i>	<i>nl oha ; kt uk rd l ft r {sterk</i>
1.	आंध्रप्रदेश	5000.00	3303.22	3051.59	3742.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	1.20	1.20
3.	असम	970.00	243.92	174.37	312.90
4.	बिहार	5223.50	2680.00	1714.83	2959.00
5.	झारखंड	1276.50	354.47	230.45	603.97
6.	गोआ	62.00	21.17	15.33	37.65
7.	गुजरात	3000.00	1430.37	1300.83	2218.50
8.	हरियाणा	3000.00	2099.49	1849.97	2191.36
9.	हिमाचल प्रदेश	50.00	13.35	7.51	15.45
10.	जम्मू-कश्मीर	250.00	179.69	168.75	203.30
11.	कर्नाटक	2500.00	2121.12	1844.82	2127.75
12.	केरल	1000.00	609.49	558.87	1090.47
13.	मध्यप्रदेश	4853.07	1386.90	875.63	1451.90
14..	छत्तीसगढ़	1146.93	922.50	760.74	1810.68
15.	महाराष्ट्र	4100.00	3239.00	2147.24	3494.15
16.	मणिपुर	135.00	91.15	72.91	103.05
17.	मेघालय	20.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00

19.	नागालैंड	10.00	0.00	0.00	1.00
20.	उड़ीसा	3600.00	1826.56	1794.17	1989.97
21.	पंजाब	3000.00	2542.48	2485.99	2604.67
22.	राजस्थान	2750.00	2482.15	2313.87	2890.35
23.	सिक्किम	20.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडू	1500.00	1549.31	1549.29	1561.06
25.	त्रिपुरा	100.00	4.90	4.50	18.70
26.	उत्तर प्रदेश	12154.00	7910.09	6334.00	8781.35
27.	उत्तराखण्ड	346.00	280.30	185.41	289.65
28.	पश्चिम बंगाल	2300.00	1683.29	1527.12	1769.81
29.	संघ शासित प्रदेश	98.00	6.51	3.94	6.51
	<i>dy yK; *1 ak 'Wl r i ns'kz</i>	<i>58465-00*</i>	<i>36981-43</i>	<i>30972-13</i>	<i>42271-06</i>

1 k %XI पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए जल संसाधन पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट



rkfydk 2-3
fl pbbZ{lerk ds l t u ea; kt uk&okj ifjQ; vlf l p; h fodkl
logn-, oae/; e ifj; kt uk d


<i>vol/</i>	<i>ifjQ; @</i> <i>Q;</i> <i>(djkmf</i> <i>: lk; sed</i>	<i>l p; h Q;</i> <i>(djkmf</i> <i>: lk; sed</i>	<i>l ftr {lerk</i> <i>(fefy; u</i> <i>gDVsj ed</i>		<i>mi; kx dh</i> <i>xbZ{lerk</i> <i>fefy; u</i> <i>gDVsj ed</i>
			<i>ds</i> <i>nkfku</i>	<i>l p; ,</i>	
योजना-पूर्व अवधि			9.70	9.70	9.70
प्रथम योजना (1951-56)	376	376	2.50	12.20	10.98
दूसरी योजना (1956-61)	380	756	2.13	14.33	13.05
तीसरी योजना (1961-66)	576	1332	2.24	16.57	15.77
वार्षिक योजना (1966-69)	430	1762	1.53	18.10	16.75
चौथी योजना (1969-74)	1242	3004	2.60	20.70	18.39
पांचवी योजना (1974-78)	2516	5521	4.02	24.72	21.16
वार्षिक योजना (1978-80)	2079	7599	1.89	26.61	22.62
छठी योजना (1980-85)	7369	14968	1.09	27.70	23.57
सातवी योजना (1985-90)	11107	26075	2.22	29.92	25.47
वार्षिक योजना (1990-92)	5459	31534	0.82	30.74	26.31
आठवी योजना (1992-97)	21072	52606	2.21	32.95	28.44
नौवी योजना (1997-2002)	49289	101895	4.03	36.98	31.01
दसवी योजना (2002-2007)*	71213	173108	5.30	42.28	34.42

- अनन्तिम

l s %X; kjgoh ipo"KZ ; kt uk dsfy, ty l d kku l wkh dk Zlgj ny dh fji KZ (2007-12)

योजना तथा योजना-पूर्व अवधि के दौरान शुरू की गई तथा पूर्ण की गई वृहत, मध्यम एवं विस्तार/नवीनीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं की संख्या क्रमशः चित्र 2.2, 2.3 एवं 2.4 में दर्शायी गई है ।





2-23 *वर्ष 1971-80 में सिंचाई परियोजनाओं की संख्या*

सिंचाई निदेशालय में सुदृढीकरण के भाग के रूप में प्रारम्भ में मार्च, 1979 में आदिवासी सेल को स्वीकृति दी गई थी। आदिवासी सेल को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य "अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति" के लाभ के लिए वृहद्/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं वाले दिए गए सभी राज्यों के संबंध में आदिवासी उप योजना जिलों के क्षेत्रों के सिंचाई विकास पर वार्षिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करना है। आदिवासी उप योजना जिलों को लाभ देने वाली सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष तैयार की जाती है।

v/; k & 3
unh izak

3-1 ty foKkuh; vkaMka dk Dec) I ag. k rFlk HkMj. k

इस समय केन्द्रीय जल आयोग 878 जल विज्ञानीय पर्यवेक्षण केन्द्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क चला रहा है। इन 878 केन्द्रों में से 300 प्रमापी स्थल, 200 प्रमापी तथा निस्सारण स्थल, 123 प्रमापी निस्सारण और जल गुणवत्ता स्थल तथा 32 प्रमापी निस्सारण तथा गाद स्थल हैं 3 प्रमापी तथा जल गुणवत्ता, 2 हिम जलविज्ञान पर्यवेक्षण स्थल तथा 218 प्रमापी निस्सारण, गाद तथा जल गुणवत्ता स्थल हैं। इन स्थलों का बेसिन-वार वितरण का विस्तृत ब्यौरा नीचे सारणी 3.1 में दिया गया है।

rkydk 3-1
ty foKkuh; Ik; Zsk k LFlyk dh csl u&oj; I d; k

<i>de</i> <i>10</i>	<i>csl u dk uke</i>	<i>LFlyk dh</i> <i>I d; k</i>
1	सिन्धु	34
2	गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना/बराक	450
3	सुवर्णरेखा	12
4	ब्राह्मणी-वैतरणी	12
5	महानदी	37
6	गोदावरी	67
7	कृष्णा	56
8	पेन्नार	8
9	कावेरी	34
10	तापी	18
11	नर्मदा	25
12	माही	12
13	साबरमती	13
14	कच्छ, सौराष्ट्र तथा लोनी से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	15
15	तापी के दक्षिण से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	55
16	महानदी तथा गोदावरी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	12
17	कृष्णा और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	1
18	पेन्नार तथा कावेरी के मध्य पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां	17
	<i>dg</i>	<i>878</i>

क्षेत्रीय यूनितों द्वारा एकत्र किये गये मूल आंकड़ों को उप-मंडल, मंडल तथा परिमंडल स्तर पर संशोधित एवं वैधीकृत किया जाता है और अधिप्रमाणित आंकड़ों को जल वर्ष और जल गुणवत्ता वर्ष पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया जाता है, तत्पश्चात् भण्डारण, अद्यतन सुधार आदि के लिए केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को भेजा जाता है। आंकड़ों के संबंध में आयोजना एवं विकास (पी एंड डी) संगठन तथा सूचना प्रणाली संगठन द्वारा केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अनुरोध के अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं को आंकड़ों का प्रसार किया जाता है।

आयोजना एवं विकास संगठन गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन से संबंधित जल विज्ञानीय आंकड़ों का कम्प्यूटरीकृत प्रपत्र में रख-रखाव करता है। इन नदी बेसिनों के आंकड़ों का वर्गीकृत स्वरूप होने के कारण इन्हें वर्गीकृत आंकड़ों की निर्मुक्ति के लिए बनाए गए प्रक्रिया तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार, वास्तविक उपभोक्ताओं के अनुरोध करने पर ही उपलब्ध कराया जाता है। जल विज्ञान परियोजना चरण-I के क्रियान्वयन के पश्चात् अब अन्य क्षेत्रों के लिए भी कम्प्यूटरीकृत आंकड़े उपलब्ध हैं। आंकड़ों के प्रयोक्ताओं में केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा जो केन्द्र/राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रणाधीन संस्थान/सोसाइटी तथा आई.आई.टी. तथा अनुसंधान संस्थान/स्कालर शामिल हैं।

3-1-1 *ty foKku ifj; kt uk*

केन्द्रीय जल आयोग ने विश्व बैंक की सहायता से भारत के 9 प्रायःद्वीपीय राज्यों में फैली जल विज्ञान परियोजना चरण-1 को क्रियान्वित किया है। परियोजना के अन्तर्गत जल संसाधनों के दीर्घावधि आयोजना, अभिकल्प एवं प्रबंधन हेतु विश्वसनीय आंकड़ों को उपलब्ध कराने तथा आंकड़ों के संग्रहण हेतु अवसंरचना में संवर्धन के साथ-साथ संबद्ध पहलुओं में अनुसंधान कार्यकलापों के लिए जल विज्ञानीय सूचना प्रणाली स्थापित की गई है।

केन्द्रीय जल आयोग ने जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत जल विज्ञानीय और मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों के संबंध में आंकड़ा भंडारण और प्रसारण के लिए सभी सतही और भूजल में भागीदार अभिकरणों के लिए एक सॉफ्टवेयर (विस्डय) विकसित किया है। इसकी सुविधा के लिए विभिन्न डॉटा भंडारण केन्द्रों के मेटा डेटा (आंकड़ों की उपलब्धता संबंधी सूचना) वाले संयोजित कैटेलॉग को बेव (इंडिया-वॉटर कॉम) पर लिया गया है। इस कैटेलॉग में विभिन्न अभिकरणों के पास उपलब्ध डॉटा के प्रकार और इसकी अवधि और बारम्बारता, जिसके लिए इसे उपलब्ध कराया गया है, को डॉटा उपयोगकर्ताओं को सीधे उपलब्ध कराएगा और उपयोगकर्ता डॉटा अनुरोध फाइल खोल सकते हैं। अब तक उत्पादित डॉटा अनुरोध फाइल को सभी संबंधित डॉटा भंडारण केन्द्रों को ई-मेल कर दिया है और ये डॉटा भंडारण केन्द्र उपयोगकर्ता की पात्रता को प्रमाणित करने के पश्चात इनकी आपूर्ति कर सकते हैं।

जल विज्ञान परियोजना-1 के पश्चात, जल विज्ञान परियोजना-1। शुरू की गई है। इसमें जल विज्ञान परियोजना-1 के पैटर्न पर चार और राज्यों अर्थात् पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पांडिचेरी में जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली की स्थापना और आंकड़ों के उपयोग के लिए मौजूदा नौ राज्यों और आठ केन्द्रीय अभिकरणों में ऊर्ध्वाधर विस्तार की परिकल्पना की गई है।

केन्द्रीय जल आयोग की जल विज्ञान परियोजना चरण-2 के प्रस्ताव में दो मुख्य घटक शामिल हैं - संस्थागत सुदृढीकरण और ऊर्ध्वाधर विस्तार। संस्थागत सुदृढीकरण के तहत आंकड़ा प्रसारण तथा जानकारी का आदान-प्रदान तथा संभार तंत्र आदि द्वारा जलविज्ञान परियोजना-1 के समेकन का प्रस्ताव है। ऊर्ध्वाधर विस्तार घटक के तहत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परिकल्पित प्रमुख क्रियाकलाप पद्धति विज्ञान/प्रोटोकॉल के मानकीकरण सहित जलविज्ञानीय अभिकल्प सहायक साफ्टवेयर का विकास है।

प्रस्ताव की अनुमानित लागत 2962.98 लाख रूपए हैं।

I *1 fllxr 1 q<hdj. k*

इस घटक के अन्तर्गत जल विज्ञान-1 के दौरान अपेक्षित हार्डवेयर/साफ्टवेयर के प्रशिक्षण, उन्नयन/पुनःस्थापन, वेबसाइट के अनुरक्षण, आंकड़ों के प्रचार-प्रसार, जानकारी का आदान-प्रदान, कार्यशाला/सेमिनार/अध्ययन दौरों आदि के माध्यम से क्षमताओं के सुदृढीकरण के रूप में जल विज्ञान-1 के अन्तर्गत किए गए लाभों को समेकित करने का प्रस्ताव है।

आंकड़ों के संसाधन, संगठन और प्रबंधन के क्षेत्र में संगणक क्षमताओं को बढ़ाने तथा देश में साफ्टवेयर को विकसित करने का प्रस्ताव है ताकि ए.एम.सी. से संबद्ध समस्याओं को दूर किया जा सके। अतिरिक्त डाटा अर्थात् जल उपयोग, सामाजिक-आर्थिक स्थिति आदि को समेकित करने के लिए डाटा भण्डारण केन्द्र साफ्टवेयर का उन्नयन करने की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे परियोजना के क्षेत्रीय ऊर्ध्वाधर विस्तार घटक के अन्तर्गत सभी सहभागी अभिकरणों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करेगी। राष्ट्रीय जल अकादमी में अतिरिक्त अवसंरचना संबंधी सुविधाओं का सृजन करने के लिए प्रावधान किया गया है।

II *1/okZj foLrkj*

t y foKkuh vffhdYi l gk d l kkuh dk fodk

विभिन्न राज्य अभिकरणों द्वारा विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं के निरूपण में जलविज्ञानीय विश्लेषण एकसमान नहीं हैं और आज भी इनमें से कुछ परियोजनाओं को आनुभाविक सूत्रों का उपयोग करके निरूपित किया जा रहा है, जोकि अब उपयोग में नहीं हैं। जलविज्ञानीय विश्लेषण विभिन्न आंकड़ा परिदृश्यों के अन्तर्गत विभिन्न विकल्पों के उपयोग में सीमित रूप में ही प्रयोग किया जा रहा है। जल विज्ञान-।। के अन्तर्गत युक्तिमूलक अभिकल्प एवं विश्लेषण हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए यंत्रों का विकास करने तथा पूर्ण जल प्रणाली के जल विज्ञान के अध्ययन सहित एकीकृत जल संसाधन विश्लेषण करने का प्रस्ताव है।

परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप प्रस्तावित हैं:—

- जलविज्ञानीय विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन हेतु व्यापक साफ्टवेयर
- एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के महत्वपूर्ण आदान के रूप में जल विज्ञान विश्लेषण के मानक पद्धतियों का विकास
- हिम जलविज्ञान में बेहतर प्रौद्योगिकी का विकास
- गैर-प्रमापी स्रवण क्षेत्रों के लिए अभिकल्प सहायक साधन
- कृषि अपवाह स्कीमों के लिए अभिकल्प सहायक साधन

t y foKku&AA dh fLFkr

यह परियोजना अक्टूबर, 2005 में आर्थिक मामलों की मंत्रीमण्डलीय समिति द्वारा स्वीकृत की गई थी तथा भारत सरकार तथा विश्व बैंक के बीच परियोजना संबंधी समझौते पर 19 जनवरी, 2006 को हस्ताक्षर किए गए थे। केन्द्रीय जल आयोग की प्रमुख गतिविधियों की स्थिति निम्न प्रकार है:—

- जल विज्ञान अभिकल्प सहायक साधनों (सतही जल) के विकास संबंधी टी.ओ.आर. तथा ई.ओ.आई. को मार्च, 2008 में समाचार पत्रों में तथा यू.एन.डी.बी पर ऑनलाइन प्रकाशित किया गया। विभिन्न अभिकरणों/फर्मों से प्राप्त ई.ओ.आई. प्रस्ताव दिनांक 28.03.2008 को खोले गए। इनका मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।
- जल विज्ञानी अभिकल्प सहायक साधनों के प्रस्ताव के लिए अनुरोध तैयार कर लिया गया है तथा विश्व बैंक से अनमति लेने के प्रक्रिया में है।
- राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे में अतिरिक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने संबंधी अनुमान जल संसाधन मंत्रालय के पास भेजे गए हैं।
- *mIs; i vWZ v/; ; ulh dk fodk* :-आंध्रप्रदेश(1), गुजरात(4), उड़ीसा(2), मध्यप्रदेश(2), महाराष्ट्र(4), एन.आई.एच(5) तथा बीबीएमबी(1) से प्राप्त पी.डी.एस-एस.डब्ल्यू के अवधारणा नोट्स पर विचार-विमर्श करने के लिए सहभागी अभिकरणों की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

3-2 ck+i vWZvku , oaps'kous l ok a

तकनीकी आर्थिक कारणों से हमारे देश में जहां कहीं भी बाढ़ प्रबंध उपाय नियोजित एवं निष्पादित किए जाते हैं, वे केवल कुछ सीमा तक की बाढ़ के लिए होते हैं, जबकि अत्यधिक मात्रा वाली बाढ़ें तबही मचा देती हैं। तदनुसार प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों के समानान्तर बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली तैयार की गई हैं, जो आगमिक बाढ़ों की अग्रिम जानकारी बाढ़ की क्षति को कम करने तथा बचाव/राहत उपायों की बेहतर आयोजना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बाढ़ पूर्वानुमान जलाशयों (बहुउद्देश्यीय) के इष्टतम विनियमन में भी सहायता प्रदान करता है।

भारत में वैज्ञानिक तरीके से बाढ़ पूर्वानुमान कार्यकलापों का प्रारम्भ 1958 में हुआ जब भूतपूर्व केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना में आने वाली बाढ़ों के बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनियां जारी करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान एकक की स्थापना की थी। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस सेवा का विस्तार अब तक भारत के लगभग सभी प्रमुख बाढ़ प्रवण अन्तर्राज्यीय नदी बेसिनों को शामिल करने के लिए किया जा चुका है। इस समय 175 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र हैं इनमें से 147 स्तरीय पूर्वानुमान केन्द्र तथा 28 अंतर्वाह पूर्वानुमान केन्द्र वृहत बांधों/बराजों पर हैं। यह 15 राज्यों, क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, एक संघ शासित केन्द्र दादरा नगर हवेली तथा दिल्ली संघ शासित क्षेत्रों में फैले 71 नदी उप बेसिनों सहित देश में 9 वृहद् नदी प्रणालियों को कवर करती है।

औसतन केन्द्रीय जल आयोग बाढ़ मौसम के दौरान प्रति वर्ष लगभग 6000 पूर्वानुमान जारी कर रहा है। सामान्यतया ये पूर्वानुमान नदी क्षेत्र, बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों और बेस केन्द्रों के आधार पर 12 से 48 घंटों पहले जारी किए जाते हैं। बाढ़ पूर्वानुमान के उद्देश्य से 878 गॉज और निस्सरण स्थलों पर जल वैज्ञानिक आंकड़े और 500 वर्षा गॉज— स्थलों पर जल मौसम वैज्ञानिक आंकड़े रखे जा रहे हैं, जिन्हें लगभग 550 वॉयरलैस केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए संप्रेषित किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक विभाग के बाढ़ प्रबंध कार्यालयों से मौसम की संक्षिप्त जानकारी मौसम पूर्वानुमान/भारी वर्षा चेतावनी आदि भी एकत्र की जा रही है। (आई.एम.डी. के बाढ़ मौसम विज्ञानी कार्यालय)

3-2-1 2007 *ea*ck+*i*vk²ku fu²iku


बाढ़ मौसम 2007 (मई से अक्टूबर) के दौरान 8214 बाढ़ पूर्वानुमान (6515 स्तरीय पूर्वानुमान तथा 1585 अन्तर्वाह पूर्वानुमान) जारी किए गए, जिसमें से 7996 (97.22 प्रतिशत) पूर्वानुमान पर्याप्ता की सीमा के भीतर थे। बाढ़ के मौसम में 250 केन्द्रों से अधिक के रियल टाइम प्रतिघंटा आंकड़ें (बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र तथा कुछ वैसे स्टेशन) वेब द्वारा एकत्रित, समेकित, विश्लेषित किए गए तथा क्षेत्रों की बाढ़ रिपोर्ट बनाने के लिए प्रयोग किए गए।

2007 के बाढ़ के मौसम में (मई से अक्टूबर) 147 स्तरीय पूर्वानुमानों केन्द्रों में से 8 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों नामशः राजघाट पर सुवर्णरेखा (उड़ीसा), एन.टी.रोड क्रॉसिंग पर जियाभारली, एन.एच रोड ब्रिज क्रॉसिंग पर पुथीमारी, गोलकगंज पर संकोश, करीमगंज पर कुशीयारा और माटीजुरी पर खटखल (सभी असम में), अयोध्या में घाघरा (उत्तरप्रदेश), माथाभंगा में जलढाका (पश्चिम बंगाल) पर अभूतपूर्वक स्थिति देखी गई (जहां बाढ़ के मौसम में उच्चतम बाढ़ स्तर प्राप्त हुआ तथा पहले के एच. एफएल. से अधिक हो गया)।

पूर्वानुमानों के प्रबोधन के अतिरिक्त कुछ बेसिनों (उनमें से अधिकांश बेस केन्द्र हैं) में 200 केन्द्रों के प्रति घंटा स्तरीय आंकड़ों का प्रबोधन, संग्रहण और विश्लेषण किया गया था और प्रमुख नदियों, अर्थात् गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र गंगा आदि की बाढ़ की स्थिति का लम्बी दूरी के पूर्वानुमान (सलाहकार स्वरूप के) का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया गया। इसे वेबयुक्त साफ्टवेयर द्वारा प्राप्त किया गया जो नई दिल्ली में केन्द्रीय जल आयोग, एफएफएम निदेशालय के केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के साथ प्रत्येक मंडलीय आंकड़ा केन्द्र के साथ जुड़ा है। अधिकांश महत्वपूर्ण जानकारी विभिन्न उपभोक्ता एजेंसियों के अलावा वास्तविक समय आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (गृह मंत्रालय) को भेजी गई थी।

3-2-2 *ck*+*cy*1*Vu*

केन्द्रीय जल आयोग प्रभावित राज्य सरकारों तथा अपने अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर बाढ़ मौसम के दौरान दैनिक बाढ़ बुलेटिन तथा विशेष बाढ़ बुलेटिन जारी कर रहा है। वर्ष 2007 के दौरान कुल 213 विशेष बुलेटिन (अभूतपूर्व 89 तथा अन्य बाढ़ स्थिति-124) जारी किए गए। इसके, अतिरिक्त 154 सामान्य बुलेटिन जारी किए गए जिसमें दोनों स्तर तथा अंतप्रवाह पूर्वानुमान सूचना शामिल है।



fp= 3-1 बाढ़ पूर्वानुमान निष्पादन (1997–2006)

3-23 *ck+i vkkzku l vkvkdk vkkhvdhj. k*

केन्द्रीय जल आयोग बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं को अद्यतन तथा आधुनिक बनाने में निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि इसे अधिक यथार्थ, प्रभावी और समय परक बनाया जा सके। बाढ़ पूर्वानुमान कई चरणों पर किया जाता है अर्थात् आंकड़ा पर्यवेक्षण, संग्रहण, संचारण, संकलन और विश्लेषण पूर्वानुमानों का निरूपण और उनका प्रचार-प्रसार। बाढ़ पूर्वानुमान को अधिक सटीक, प्रभावी तथा समयबद्ध बनाने के लिए आधुनिकीकरण क्रियाकलाप सतत् आधार पर किए जा रहे हैं।

नवीं योजना के वास्तविक समय डाटा समेकन तथा इसके संचारण के लिए 55 केन्द्रों पर, चम्बल में (20) तथा महानदी बेसिन में (35) टेलीमीटरी प्रणाली प्रतिस्थापित की गई। दसवीं योजना में निचली गंगा बेसिन (दामोदर नदी) कृष्णा बेसिन, गोदावरी बेसिन, पेन्नार बेसिन, निचली महानदी बेसिन, अपर ब्रह्मपुत्र बेसिन तथा यमुना बेसिन में 168 केन्द्रों में टेलीमीटरी प्रणाली का प्रतिस्थापन कार्य लिया गया था। इनमें से 31.03.2008 तक 147 केन्द्रों पर कार्य पूर्ण किए गए तथा शेष केन्द्रों पर कार्य प्रगति पर है।

डिब्रूगढ़ (असम), नई दिल्ली (ऊपरी यमुना मंडल), आगरा, हैदराबाद (निचली कृष्णा मंडल), हैदराबाद (निचली गोदावरी मंडल), करनूल, भद्राचलम, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, आसनसोल तथा मैथन में दसवीं योजना में हाथ में लिए गए 11 मॉडलिंग केन्द्रों का कार्य भी प्रगति पर है। जहां वी.एस.ए.टी. द्वारा जयपुर (राजस्थान) तथा बुर्ला (उड़ीसा) स्थित वर्तमान अर्थ केन्द्रों से प्रतिघंटा आंकड़ा संचारित किया जाएगा।

पिछले दो दशकों में केन्द्रीय जल आयोग में पूर्वानुमान के लिए कम्प्यूटरीकृत गणितीय मॉडलों का प्रयोग प्रारंभ किया गया है। पांच इस प्रकार के जल विज्ञानीय मॉडल जैसे कि एसएसएआरआर, एचईसीआईडी, एनआईसी, एनएएम-सिस्टम 11 (माइक-11) और सीडब्ल्यूसीएफएफएल, यू.एन.डी.पी. तथा केन्द्रीय जल आयोग- डी.एच.आई स्कीमों के तहत प्राप्त किए गए।

हाल में, विश्व बैंक सहायता प्राप्त डीएसएआरपी स्कीम के तहत विंडो आधारित माइक-11 मॉडल साफ्टवेयर खरीदा गया है।

गृह मंत्रालय की यू.एस.ए.आई.डी. के तहत सहायता प्राप्त आपदा प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत जलवायु पूर्वानुमान, बाढ़ पूर्वानुमान संबंधी निर्णय समर्थन प्रणाली और महानदी बेसिन का आप्लावन पूर्वानुमान

मॉडल के विकास संबंधी कार्य तथा सतलुज बेसिन के लिए ताजा बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने का कार्य प्रगति पर है।

3.3 *ck+ilfkr vkdyu vlf ck+{kr*

केंद्रीय जल आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों एवं राज्य प्राधिकारियों से बाढ़ से क्षति संबंधी आंकड़े एकत्र और समेकित किए गए। विगत 10 वर्षों में बाढ़ से हुए क्षति संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं:—

rkfydk 3-1

विगत 10 वर्षों में दौरान बाढ़ से हुई क्षति

<i>o'</i>	<i>iHfor {k- Hefy; u gDV; j ed</i>	<i>iHfor tul d; ; Hefy; u ed</i>	<i>dy {kr HjHk: lk sed</i>
1998	10.845	47.435	8860.721
1999	7.765	27.993	3612.760
2000	5.382	45.013	8864.544
2001	6.175	26.463	7109.416
2002	7.090	26.323	2574.543
2003	6.503	34.466	4434.354
2004	8.031	34.215	3336.591
2005	3.376	29.684	2822.155
2006	0.437	28.015	662.095
2007	3.549	41.462	3939.898

3.4 *ck+izaku dk Z*

भारत के 329 मिलियन हैक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने वर्ष 1980 की अपनी रिपोर्ट में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 329 मिलियन हैक्टेयर में 40 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है जिसमें से 32 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को संरक्षण योग्य निर्धारित किया गया है। मार्च, 2006 तक लगभग 16.7436 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को उपयुक्त स्तर तक सुरक्षा प्रदान की गई। यह सुरक्षा तटबंधों के निर्माण (34398 कि०मी०), जल निकास चैनल (51318 मिलियन हैक्टेयर), शहर बचाव कार्य (2432) और गाँवों (4984) के स्तर को ऊँचा उठाकर प्रदान की गई है।

3.5 *ck izaku dk De*

भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, नदी प्रबंधन, जल निकास विकास, बाढ़ प्रूफिंग और समुद्र कटावरोधी कार्यों को प्रारंभ करने के लिए XI योजना के दौरान राज्यों को 8000 करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय योजना के तहत "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" एक राज्य क्षेत्र स्कीम प्रारंभ की है। केंद्रीय वित्तपोषण के लिए स्कीमों का निर्धारण गंभीर आपातकालिक स्थिति और भारत सरकार के पास निधि की उपलब्धता के आधार पर सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाएगा।

इस स्कीम के तहत कार्यों का निष्पादन सामान्यतः राज्य सरकार के बाढ़ नियंत्रण/सिंचाई विभागों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। अपवादिक मामलों में तथा आकस्मिक मामलों के कार्य को भी केंद्रीय संगठनों/उपक्रमों को सौंपा जा सकता है। इस स्कीम की मानीटरिंग केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) और ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में की जाएगी।

गंगा बेसिन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों की स्कीमों का मूल्यांकन और जल निकास विकास और समुद्र कटावरोधी संबंधी सभी स्कीमों का मूल्यांकन केंद्रीय जल आयोग द्वारा किया जाता है। "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के प्रस्ताव तथा गंगा बेसिन राज्यों के साथ-साथ समुद्र कटावरोधी कार्यों के लिए सभी राज्यों के प्रस्तावों पर निधि की निर्मुक्ति के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा कार्यवाही और समन्वय किया जाता है। उपर्युक्त योजना स्कीमों के तहत X योजना में अनुमोदित जम्मू व कश्मीर के आगे लाए गए कार्यों; जम्मू व कश्मीर के 22 नए कार्यों, उड़ीसा के 102 नए कार्यों की कार्यवाही, केंद्रीय जल आयोग में की गई थी।

3-6 *rduklh fo 'kKK ny WbZ H%*

जल संसाधन मंत्रालय ने दिनांक 8 सितम्बर, 2007 के अपने आदेश के तहत "बाढ़ नियंत्रण और इसके प्रभावों को कम करने हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना" तैयार करने के लिए सदस्य (नदी प्रबंध), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी विशेषज्ञ दल (टीईजी) गठित किया है। इस दल में विभिन्न केंद्रीय संगठनों के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न बाढ़ प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

इस दल ने राज्यों बाढ़ समस्या पर विचार-विमर्श करने और बाढ़ नियंत्रण और उसके प्रभावों को कम करने के लिए प्रारंभ की गई/प्रस्तावित उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए तीन बार बैठकें आयोजित की है। दिनांक 29.01.2008 को आयोजित दल की तीसरी बैठक के दौरान दल के सदस्यों को प्रथम मसौदा रिपोर्ट परिचालित की गई थी। तीसरी बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के आधार पर रिपोर्ट में शामिल करने के लिए अपेक्षित सूचना भेजने हेतु विभिन्न राज्यों से अनुरोध किया गया है।

3-7 *ck+(h oxkZj. k*

वर्ष 1975 से विभिन्न राष्ट्रीय मंच पर बाढ़ क्षेत्रीकरण संबंधी कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ क्षेत्रीकरण के लिए एक मॉडल बिल तैयार की गई थी और राज्यों द्वारा कानून बनाने के लिए वर्ष 1975 में सभी राज्यों को परिचालित की गई थी।

केंद्रीय जल आयोग बाढ़ क्षेत्रीकरण संबंधी दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु राज्यों पर निरंतर दबाव डाल रहा है। इस प्रयास में सुविधा के लिए केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ क्षेत्र प्रबंधन की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला पैम्फ्लेट तैयार किया है और इसे सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया है। मणिपुर ने वर्ष 1978 में बाढ़ क्षेत्रीकरण संबंधी कानून बनाया था, परंतु अभी तक बाढ़ क्षेत्रों का सीमांकन नहीं किया है। राजस्थान सरकार ने भी अपने राज्य में कानून बनाया है, परंतु इसे अभी तक लागू नहीं किया है। उत्तर-प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने कानून बनाने संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अन्य कानून बनाने के संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की है।

केंद्रीय जल आयोग ने समोच्च रेखा के पास बड़े पैमाने (1:15,000) पर स्थलाकृतिक मानचित्रों को तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है ताकि राज्य सरकारें विभिन्न तीव्रता वाले बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर सकें और इस संबंध में विकास संबंधी गतिविधियों विनियमित कर सकें। स्थलाकृतिक मानचित्रों को तैयार करने के लिए अभिज्ञात 1,06,000 वर्ग कि०मी० के प्राथमिक क्षेत्र में से लगभग 56,000 वर्ग कि०मी० को कें०ज०आ० के जमा कार्य के रूप में भारतीय सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षित किया गया था और राज्य सरकारों को मानचित्र आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिए गए हैं। तथापि, राज्यों से उपयुक्त प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण इस स्कीम को वर्ष 1991 में बंद कर दिया गया था।

गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 14वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में उक्त गतिविधि को पुनः चालू किया गया था और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, असम और जम्मू व कश्मीर राज्यों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र (54,740 वर्ग कि० मी) के उपलब्ध मानचित्रों के अद्यतन और अंकन (डिजिटेशन) करने के लिए मार्च, 2006 में केंद्रीय जल आयोग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

3-8 *unh vkZfr foKku*

हमारे देश के लिए नदी आकृति विज्ञान अध्ययन और उपयुक्त नदी नियंत्रण कार्यों का समुचित क्रियान्वयन आवश्यक हो गया है क्योंकि प्रत्येक वर्ष देश का बहुत बड़ा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो जाता है जिससे केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा किए गए बाढ़ नियंत्रण उपायों के रहने के बावजूद जान और माल की भारी क्षति होती है। इस प्रकार की समस्याएं मुख्यतः अनुप्रवाह खंडों में साद/अवसाद के लाने और जमा होने के कारण बढ़ती ही जा रही हैं। बाढ़ से उत्पन्न समस्या के निवारण के लिए प्रभावी कार्यनीति तैयार करने हेतु नदी के विशेष प्रकृति के विषय में गहन जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। "नदियों पर गाद जमना: समस्याएं और समाधान" विषय पर दिनांक 12 और 13 फरवरी को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित संगोष्ठी में नदी आकृति विज्ञान की प्रकृति के प्रबोधन की भी सिफारिश की गई है। समस्या की गंभीरता को ध्यान रखते हुए केंद्रीय जल आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान संबंधित आंकड़ों के क्षेत्र सर्वेक्षणों और संग्रहणों के अतिरिक्त दूर संवेदी तकनीकों का उपयोग करते हुए 6 बाढ़ प्रवण नदियों अर्थात् ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक, घाघरा, सतलुज और गंगा (इलाहाबाद से बक्सर तक के खंड में) की आकृतिक अध्ययन किया है। बहु-विषयी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जून, 2006 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा भारत की हिमालयी नदियों के नदी आकृतिक अध्ययन संबंधी स्थायी समिति का गठन किया गया था। इस समिति में जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, केंद्रीय विद्युत अनुसंधानशाला, रुड़की, एनआरएसए, हैदराबाद, अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अहमदाबाद, जीएसआई, आईडब्ल्यूआई, जल संसाधन/सिंचाई विभागों और संबंधित बेसिन के राज्य सरकार के अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केंद्रों से हैं और सदस्य (नदी प्रबंध) इस समिति के अध्यक्ष हैं और निदेशक (आकृतिक विज्ञान) इसके सदस्य सचिव हैं। स्थायी समिति की पहली बैठक 11 दिसम्बर, 2006 को आयोजित की गई थी। "भारत की हिमालयी नदियों की आकृतिक विज्ञान संबंधी स्थायी समिति" की पहली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्यवाही की जा रही है। ग्यारहवीं योजना के दौरान "जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम" स्कीम योजना के तहत 16 नदियों अर्थात् ब्रह्मपुत्र, महानन्दा, महानदी, यमुना, तापी, कृष्णा, तुंगभद्रा, शारदा, राप्ती, कोसी, बागमती और इसकी वितरिकाओं, सुबनसिरी और ब्रह्मपुत्र की पगलादिया वितरिकाओं का आकृतिक अध्ययन प्रारंभ करना प्रस्तावित है और इस स्कीम के लिए व्यय वित्त समिति ज्ञापन को अनुमोदित कर दिया गया है।

3.9 त्रि-आयामी प्रयोगशाला प्रणाली

केन्द्रीय जल आयोग भारत के सभी बृहत् नदी बेसिनों को शामिल करके विभिन्न पैरामीटरों के विश्लेषण के लिए त्रि-आयामी प्रयोगशाला प्रणाली के साथ 371 प्रमुख स्थानों पर जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। भारत की मुख्य नदियों पर स्तर-एक प्रयोगशालाएं 258 क्षेत्रीय जल गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्रों पर स्थित हैं जिनमें नदी जल के भौतिक पैरामीटर जैसे तापमान, रंग, गन्ध, विशेष चालकता कुल धुलनशील ठोस पदार्थ, फॉस्फोरस और घुलनशील ऑक्सीजन का पता लगाया जाता है। इसके अलावा नदी जल के 25 भौतिक रसायन विशेषताओं और जीवाणु संबंधी पैरामीटरों का विश्लेषण करने के लिए चुनिंदा प्रभागीय मुख्यालयों पर 24 स्तर दो प्रयोगशालाएं स्थित हैं। 4 स्तर तीन/दो प्रयोगशालाएं वाराणसी, दिल्ली, हैदराबाद और कोयम्बटूर में कार्य कर रही हैं जहां पर 41 पैरामीटर, भारी अवयव/विषैले पैरामीटर और कीटाणुनाशक जिसमें शामिल है, का विश्लेषण किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों को आंकड़ा आधार प्रणाली में कम्प्यूटरीकृत किया जाता है और जल गुणवत्ता वर्ष पुस्तिका और जल गुणवत्ता बुलेटिनों के रूप में प्रचार-प्रसार किया जाता है जिन्हें वार्षिक तौर पर प्रकाशित किया जाता है और जल गुणवत्ता बुलेटिन नियमित रूप से जारी किए जाते हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल संसाधनों की गुणवत्ता को बनाए रखने में समन्वित प्रयासों के लिए जून, 2001 के पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण का गठन करके एकीकृत रूप से जल गुणवत्ता प्रबोधन पर बल दिया है। केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अधिकतर राज्य स्तर की जल गुणवत्ता पुनरीक्षण समितियों के सदस्य-सचिव हैं।

पारिस्थितिकीय प्रणाली को संरक्षित करने के लिए नदियों में न्यूनतम प्रवाहों पर जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण को परामर्श देने के लिए सदस्य (नदी प्रबंध) की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल ने जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है। जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण की पाँचवीं बैठक में अध्यक्ष ने न्यूनतम प्रवाहों के निर्धारण में जल गुणवत्ता पहलुओं को शामिल करते हुए रिपोर्ट में संशोधन करने का सुझाव दिया था और तदनुसार जल गुणवत्ता पहलुओं को शामिल करते हुए रिपोर्ट को संशोधित किया गया था तथा जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए दिनांक 02.08.2007 को प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट में

संस्तुत न्यूनतम प्रवाहों को अपनाने के लिए कानूनी एवं संस्थागत पहलुओं पर कार्य करने के लिए मुख्य अभियंता (ईएमओ) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई हैं।

3-10 rVh vijnu

तटीय अपरदन पूरे देश में महसूस की जाने वाली एक प्रक्रिया है और भारत वर्ष इससे अलग नहीं है। भारतीय तटरेखा के एक बड़े भाग को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित जैसे विभिन्न कारणों से निरन्तर अपरदन का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय हाउड्रोग्राफिक कार्यालय, देहरादून के अनुसार भारतीय तटरेखा की लम्बाई बढ़कर 7516.60 कि०मी० हो गई है।

समुद्रीय अपरदन से समुद्री राज्यों/संघशासित प्रदेशों के नाजुक तटीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वयन/विचाराधीन हैं।

3-10-1 jkVh rVh l j{k k ifj; kt uk

तट अपरदन से समुद्री राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के तटीय क्षेत्रों के संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना तैयार की जा रही है, ताकि बाह्य संसाधनों अथवा अन्य घरेलू संसाधनों के माध्यम से वित्त-पोषण की संभावना का पता लगाया जा सके। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश का प्रस्ताव परियोजना में शामिल करने हेतु स्वीकार्य पाया गया है जबकि आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात के तटीय राज्यों और लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश से केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित प्रदेश ने अभी तक कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

3-10-2 dnh ik kt r ; kt uk

दसवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए 20.64 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से तटीय और गंगा बेसिन राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों में नाजुक अपरदन रोधी कार्यो संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना मार्च, 2004 में अनुमोदित की गई थी। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, तमिलनाडु के तटीय संरक्षण कार्यो तथा तट पोषण संबंधी मार्गदर्शी परियोजना और तटीय एटलस की तैयारी संबंधी प्रस्तावों को योजना में शामिल किया गया था। यह योजना अब राज्य क्षेत्र को अन्तरित कर दी गई है और संशोधित करके 46.17 करोड़ रूपए कर दिया गया है।

ग्यारहवीं योजना के दौरान, समुद्रकटावरोधी कार्यो को "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" के तहत वित्तपोषित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्यों को 8,000 करोड़ रूपयें की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

3-10-3 LFh; h rVh l j{k k v h izaku ifj; kt uk

तटीय संरक्षण से संबंधित भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बीच विचार-विमर्श के निष्कर्ष के अनुसार एडीबी ने गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के लिए स्थायी तटीय संरक्षण और प्रबंधन परियोजना तैयार करने के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर राशि से कम राशि की केंद्रीय सहायता के प्रावधान को अनुमोदित कर दिया है। इस तकनीकी सहायता को जापान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए और एडीबी द्वारा शासित अनुदान से वित्तपोषित किया जाएगा। तकनीकी सहायता परियोजना जिसका उपयोग महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों में स्थायी तटीय संरक्षण और प्रबंधन के लिए निवेश परियोजना तैयार करने के लिए किया जाएगा को अप्रैल, 2008 में प्रारंभ करने की संभावना है।

v/; k; &A
csf u vk kt uk

4-1 jkVt ty vk kt uk

देश के विभिन्न भागों में जल के असमान वितरण और बाढ़ एवं सूखे के बार-बार आने से जल संसाधनों के विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सभी संबंधितों की भागीदारिता पर बल दिया गया है । जल संसाधनों के विकास एवं उपयोग की आयोजना एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया है जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और लाभभोगियों के बीच गहन सामंजस्य होता है ।

4-2 jkVt ty l d kku if"kn

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद (रा0 ज0 सं0 परिषद) का गठन मार्च, 1983 में एक राष्ट्रीय शीर्ष निकाय के रूप में किया गया, जिसके अध्यक्ष, माननीय प्रधान मंत्री जी हैं । परिषद का संघटन चित्र 4.1 में दर्शाया गया है । परिषद की अब तक 5 बैठकें हो चुकी हैं ।

<i>v/; k; &A</i> <i>Hljr dsizkuea-h</i>	
<i>mik; k;</i> <i>dshz ty l d kku ea-h</i>	
<i>l nl;</i> <i>dshz ea-h</i> <ul style="list-style-type: none"> • वित्त • कृषि • विद्युत • ग्रामीण विकास • शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन • नौवहन • पर्यावरण एवं वन • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता • पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास • आदिवासी मामले • उपाध्यक्ष: योजना आयोग • <i>dshz jkt; ea-h</i> – जल संसाधन – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 	<i>l nl;</i> *सभी राज्यों के मुख्य मंत्री *भारत के केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रमुख
<i>l fpc</i> सचिव-केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय	

fp=& 4-1 jkVt ty l d kku if"kn dh l apuk

दिनांक 1 अप्रैल, 2002 को राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की 5 वीं बैठक में हुए विचार-विमर्श और तदनन्तर बनी सर्वसम्मति के पश्चात् परिषद द्वारा राष्ट्रीय जल नीति 2002 अपनाई गई जिसे सभी संबंधितों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया । नीति का शीर्षक 'राष्ट्रीय जल नीति – 2002' है ।

jkVt ty ulfr ij vuqWZdkjZkbZ

निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की पांचवीं बैठक के दौरान सहमति प्रकट की गई थी:—

- प्रत्येक राज्यों के लिए जल नीति तैयार करना।
- नीति के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से एक प्रचालनात्मक कार्रवाई योजना तैयार करना।

तदनुसार, माननीय केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में 5 फरवरी, 2003 को आयोजित सिंचाई मंत्रियों के 12 वें राष्ट्रीय जल संसाधन सम्मेलन में राष्ट्रीय जल नीति, 2002 के क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई योजना को अपनाया गया। इस कार्रवाई योजना में राष्ट्रीय जल नीति (2002) के प्रत्येक प्रावधान के लिए प्रस्तावित कार्रवाई बिन्दुओं और इसके कार्यान्वयन के संबंध में सक्रिय आदानों को उपलब्ध कराने वाले अभिज्ञात मंत्रालयों/विभाग का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें कार्रवाई बिन्दुओं के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित समय सीमा का भी उल्लेख किया गया है।

4.3 jkVt ty chWZ

राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन में प्राप्त प्रगति की समीक्षा के लिए और समय-समय पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद को प्रगति की सूचना देने के लिए भारत सरकार ने सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में सितम्बर, 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया है। कुछ संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिव, अध्यक्ष (केन्द्रीय जल आयोग) और राज्य/संघ शासित सरकारों के मुख्य सचिव इसके सदस्य हैं और सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना) इसके सदस्य सचिव हैं। बोर्ड की संगठनात्मक संरचना चित्र 4.2 में दर्शायी गई है।

बोर्ड ने अभी तक 12 नियमित और 2 विशेष बैठकें आयोजित की हैं। 5 जनवरी, 2005 को हुई बोर्ड की 12वीं बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई:—

- राष्ट्रीय जल बोर्ड की 11वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई।
 - (क) राज्य जल नीतियों संबंधी रिपोर्ट।
 - (ख) नदी बेसिन संगठनों के उपयुक्त मॉडल की सिफारिश करने के लिए अतिरिक्त सचिव (जल संसाधन), की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट।
- समयबद्ध तरीके से सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
- भू-जल प्रबंधन।
- सहभागी सिंचाई प्रबंधन।
- सृजित संसाधनों और सुविधाओं का स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु विनियामक यान्त्रिकी की आवश्यकता।

v/; t
I fpo
dshh t y I d kku H-ky;

<p>सदस्य : सचिव – केन्द्रीय मंत्रालय : – कृषि – आयोजना – ग्रामीण विकास – शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन – नौवहन – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – पर्यावरण एवं वन अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग</p>	<p>I nL; भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव</p>
---	--

I nL; & I fpo
सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), कें.ज.आ.

fp=& 4-2 jkVt t y cWZ

4-3-1 jkL; t y&ultr r\$lj djuk@viukuk

गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों ने बैठक में सूचित किया कि उन्होंने राज्य जल नीति को पहले ही अपना लिया है। संघ शासित राज्य दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली ने सूचित किया कि वे राष्ट्रीय जल नीति, 2002 का अनुसरण कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा के संबंध में यह सूचित किया गया था कि उनकी जल नीति तैयार/अपनाए जाने के अधीन है। अन्य राज्यों/संघ राज्य शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने उल्लेख किया है कि उनकी जल नीति प्रक्रियाधीन है।

4-3-2 unh cfl u I & Bu

राष्ट्रीय जल बोर्ड ने अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में नदी बेसिन संगठन संबंधी एक समिति का गठन किया है, जिसके आयुक्त (पी.पी.), जल संसाधन मंत्रालय, सदस्य-सचिव हैं। आठ राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। जून, 2004 में आयोजित इसकी चौथी बैठक में समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसे अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद, राष्ट्रीय जल बोर्ड की 12 वीं बैठक में इस पर विचार-विमर्श किया गया था। समिति के सदस्य रिपोर्ट की जांच करने और अपनी टिप्पणियों/विचार भेजने के लिए सहमत हो गए थे।

समिति द्वारा यथासंस्तुत नदी बेसिन संगठनों की स्थापना को व्यापक रूप से सहमति प्रदान की गई थी। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जांच और प्रस्तावित ढाँचे पर टिप्पणियों/प्रेक्षण प्रस्तुत करने के लिए और अधिक समय देने के लिए अनुरोध किया है। विचार-विमर्श करने के बाद यह सहमति प्रकट की गई थी कि के अंततः 31 मार्च, 2007 तक अपनी टिप्पणियों/प्रेक्षण प्रस्तुत कर देंगे।

XI योजना के तहत तीन नदी बेसिन संगठनों के गठन का प्रस्ताव है, जिसके एसएफसी ज्ञापन मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में सचिव (ज.स.) की इच्छानुसार राज्यों को भेजने के लिए नदी बेसिन संगठन संबंधी संकल्पना दस्तावेज भी तैयार किया गया है जिसमें उक्त अभिज्ञात तीनों बेसिन/उप बेसिन स्थित हैं। तीन प्रस्तावित नदी बेसिन हैं अर्थात् ब्राह्मनी-वैतरणी, साबरमती और पेन्नार।

4-33 *fl plbZifj; kt ukvldk l e; c) : i eaf0; kb; u*

राज्यों ने सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने संबंधी कार्यसूची में प्रकाशित कार्रवाई/मदों को भेजा है। सिंचाई परियोजनाओं के समयबद्ध रूप में क्रियान्वयन के संबंध में राज्यों द्वारा अनेक मदों का उल्लेख किया गया था। राज्यों द्वारा भेजे गए सुझावों में लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता, समयबद्ध रूप में अन्तर्राज्यीय मामलों के समाधान के लिए उपयुक्त तंत्र की स्थापना करना, जल संसाधन विकास परियोजनाओं की पर्यावरणीय और वन स्वीकृति संबंधी मानकों को सरल बनाना, एआईबीपी के तहत मानकों में छूट प्रदान करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मानकों की पुनरीक्षा करना, केंद्रीय ऋण सहायता की निर्मुक्ति समय को अक्टूबर और मार्च के स्थान पर अप्रैल-मई और नवम्बर-दिसम्बर में परिवर्तित करना, मूल्यांकन और स्वीकृति की प्रक्रिया में गति लाना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की पद्धति पर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं का वित्तपोषण आदि शामिल है। यह भी सुझाव दिया गया था कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने की जरूरत है।

पुनर्वास मुद्दों और पर्यावरण एवं वन समस्याओं के संबंध में महाराष्ट्र राज्य ने सूचित किया है कि राज्य ने राज्य पुनर्वास प्राधिकरण गठित किया है और परियोजनाओं की वन एवं पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक दल का भी गठन किया है।

4-34 *Hw y izaku*

बैठक के दौरान भूजल विकास की अवस्था, भूजल संसाधनों के अतिदोहन के मुद्दे और इसके विनियमन के लिए कानून बनाने की प्रगति की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम राज्यों ने सूचित किया है कि उनके राज्यों में इस समय भूजल का कोई अतिदोहन नहीं हो रहा है इसलिए उन्हें भूजल के अतिदोहन के संबंध में कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। आंध्रप्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और लक्षद्वीप जैसे कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि आवश्यक अधिनियम/कानून बनाए और क्रियान्वित किए गए हैं। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश राज्यों ने सूचित किया है कि अधिनियम/विधेयक का निरूपण/अधिनियमन प्रगति पर है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उक्त के संबंध में समयबद्ध रूप में कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया था। पंजाब राज्य ने कहा है कि वे भूजल के संबंध में कानून बनाने के पक्ष में नहीं है। बोर्ड ने समान विचार के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसे कानून की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति का पुनर्वालोकन करने के लिए अनुरोध किया है। कुछ राज्यों ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और अधिशेष बाढ़ के जल को गहरे जलभूतों में व्यपवर्तित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है।

4-35 *l gllkxrk fl plbZizaku ½lvkbZe½*

आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों ने सूचित किया है कि भारी संख्या में जल प्रयोक्ता संघों का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों ने उल्लेख किया है कि आवश्यक अधिनियम पारित कर दिया गया है और क्रियान्वयनाधीन हैं। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों ने सूचित किया है कि सहभागिता सिंचाई प्रबंधन संबंधी कानून बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। केरल राज्य ने उल्लेख किया है कि सहभागिता सिंचाई प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अत्यधिक कार्य करने की आवश्यकता है और उल्लेख किया है कि इस मामले को समुचित रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य ने उल्लेख किया है कि सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है। जल संसाधनों के समग्र विकास में पणधारियों/किसानों की भूमिका को बोर्ड द्वारा सराहना की गई और राज्य मौजूदा सिंचाई अधिनियमों के अधिनियमन/संशोधन की प्रक्रिया में प्रगति लाने के लिए सहमत हो गए हैं।

4-36 *l d kvlv vlf l ft r l fo/kvld ds LFll; Rb dks l fuif'pr djus ds fy, fofu; led ræ dh vko'; drk*

महाराष्ट्र राज्य ने सुचित किया है कि महाराष्ट्र जल नियामक प्राधिकरण (एनडब्ल्यूआरए) का गठन पहले से ही कर लिया गया है और यह कार्य कर रहा है। हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर-प्रदेश ने उल्लेख किया है कि नियामक तंत्र के गठन की प्रक्रिया चल रही है। बोर्ड ने समयबद्ध रूप में जल संसाधनों के इष्टतम, न्यायोचित और समान प्रबंधन, आवंटन और उपयोग के लिए उपर्युक्त नियामक तंत्र की स्थापना की आवश्यकता के संबंध में राज्यों पर दबाव डाला है।

44 *ty dk varj cfl u vlrj. k vlf jkVfr ty fodkl vflkdj. k ds l kfk i ljLi fjd okr k*

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ जल संसाधन विकास के लिए सम्पर्क नहरों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अन्तर बेसिन अन्तरणों और क्षेत्रीय सर्वेक्षण और अन्वेषणों के साथ-साथ अधिशेष जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल देने के लिए जल संतुलन अध्ययन और सम्पर्क नहर अध्ययनों के कार्य में लगा हुआ है। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग सदस्य, (जल आयोजना एवं परियोजना) और सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) केन्द्रीय जल आयोग इस संस्था और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के शासी निकाय के सदस्य हैं।

4-41 *jkVfr ty fodkl vflkdj. k dh rdukdh l ygdj l fefr*

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी की शासकीय निकाय ने एजेंसी द्वारा तैयार किए गए विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों की जाँच और संवीक्षा करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति गठित की है। सदस्य (अभि. एवं अनु.), केन्द्रीय जल आयोग एवं सदस्य (ज.आ. एवं परि.), केन्द्रीय जल आयोग राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य हैं।

तकनीकी सलाहकार समिति की 36वीं बैठक 19 जुलाई, 2007 को हुई थी और निम्नलिखित रिपोर्टों के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई थी :-

- (i) उकाई बांध तक तापी बेसिन का प्रारम्भिक जल संतुलन अध्ययन
- (ii) पार-तापी नर्मदा संपर्क परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट
- (iii) पार्वती-कालीसिंध-चम्बल संपर्क परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट
- (iv) महानदी-गोदावरी-कृष्णा पेनार-कावेरी-वैगई-गुण्दर संपर्क की संपर्क प्रणाली की व्यवहार्यता रिपोर्ट
- (v) दमन गंगा-पिंजल संपर्क परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट
- (vi) एन.पी.पी. के हिमालयी नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययनों की स्थिति
- (vii) जोगी गोपे-तीस्ता फरक्का संपर्क परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट
- (viii) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययनों की स्थिति
- (ix) केन्द्रीय जल आयोग के परामर्श से राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के जल संतुलन अध्ययनों को अंतिम रूप देना

4-42 *er; leg*

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की शासी निकाय की 42वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में अधिशेष जल के बंटवारे के संबंध में राज्यों के बीच सर्वसम्मति की प्रक्रिया तथा नदियों को आपास में जोड़ने के संबंध में स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने से संबंधित मामलों पर विचार करने तथा उन पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक सर्वसम्मति दल का गठन किया गया है।

सर्वसम्मति दल की अभी तक नौ बैठकें हुई हैं। पारबती-कालीसिंध-चम्बल (पी.के.सी.) के संबंध में विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए 28 जून, 2007 को सर्वसम्मति दल की 9 वीं बैठक आयोजित की गई थी।

4-43 *ufn; lkdks i lj t kks l xdh dk Zexfr 'kyrk ykus l xdh l fefr*

जल संसाधन मंत्रालय ने नदियों की संपर्क परियोजना के कार्य में गतिशीलता लाने के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया है :-

- 1) सचिव, जल संसाधन की अध्यक्षता में पर्यावरणविदों एवं सामाजशास्त्रियों तथा नदियों के परस्पर जोड़ने संबंधी अन्य विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की गई है। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इस समिति के सदस्य हैं। सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 08.01.2008 को समिति की चौथी बैठक आयोजित की गई थी।
- 2) केन बेतवा संपर्क परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के समग्र कार्य के प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में केन बेतवा संपर्क विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रबोधन समिति। समिति की पाँचवी बैठक 20 फरवरी, 2008 को आयोजित की गई थी जिसमें केन बेतवा संपर्क परियोजना और पी.ई.आर.टी., सी.पी.एम. चार्टों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने संबंधी विभिन्न कार्यों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।
- 3) सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में गठित केन बेतवा संपर्क संचालन समिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग सदस्य हैं। 2 फरवरी, 2007 को हुई संचालन समिति की प्रथम बैठक में केन बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने तथा महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाने पर चर्चा की गई।

4-5 *tyk'k iphyu*

4-5-1 *fjgh tyk'k laqr iphyu lfevr*

रिहन्द जलाशय संयुक्त प्रचालन समिति की 20 वीं बैठक सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना) की अध्यक्षता में 28 मार्च, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें वर्ष 2007-08 के लिए प्रचालन योजना को अंतिम रूप दिया गया था और अभिकल्पित स्तर तक एमडीडीएल के पुनर्स्थापन के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था।

4-5-2 *fu. lz l efflz izklyh vk; kt uk'k'k' 'ku l i'k'k' lve Mykua'k'*

विश्वबैंक वित्तपोषित जल वैज्ञानिक परियोजना-II के तहत डेसिशन सपोर्ट सिस्टम (प्लानिंग) तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की इस कार्य के लिए नोडल सजेंसी है। परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने और डीएसएस (प्लानिंग), मुख्य अभियंता (वीपीएमओ) के प्रमुख तकनीकी कार्यों पर विचार करने के लिए संचालन समिति (फोकल ग्रुप) की अब तक 6 बैठकें आयोजित की गई हैं।

4-6 *, dldr unh csl u vk; kt uk fodd , oai'aku*

राष्ट्रीय जल नीति, 2002 के अनुसार "जल एक कमी वाला और बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है जिसे राज्यों के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एकीकृत और पर्यावरणीय आधार पर नियोजित, विकसित, संरक्षित और प्रबंधित किया जाना है। स्थाई तरीके से इस महत्वपूर्ण संसाधन को विकसित, संरक्षित, उपयोग और प्रबंध संबंधी प्रयासों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य द्वारा नियन्त्रित किया जाना है।" इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दामोदर बराक बेसिन का व्यापक प्रणाली अध्ययन (सीएसएस) करने के लिए एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। निदेशक (डब्ल्यूएसई), केन्द्रीय जल आयोग इस दल के नेता हैं और केन्द्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार प्रत्येक से दो सदस्य हैं तथा दामोदर घाटी निगम और अधीक्षण अभियंता (जल वैज्ञानिक परिमंडल), केन्द्रीय जल आयोग, मैथन इस समिति के सदस्य सचिव और समन्वयक हैं। दामोदर बराक बेसिन का व्यापक प्रणाली अध्ययन संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इसे सदस्य सचिव, डीवीआरआरसी के माध्यम से कोबेसिन राज्यों और दामोदर घाटी निगम को परिचालित किया गया है।

4-7 *ns'k ea fofok mi; lxl ds fy, ty dh mi y'krk vk' vk'; drk dk vkdyu djus l wakh lfk; h mi l fevr*

देश में विविध उपयोगों के लिए जल की उपलब्धता और आवश्यकता का आकलन करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्थायी उप-समिति का गठन किया गया है। सदस्य (ज.आ.एवं परियोजना), केंद्रीय जल आयोग, इसके अध्यक्ष हैं और मुख्य अभियंता (बीपीएमओ), केंद्रीय जल आयोग, सदस्य सचिव हैं। इस उपसमिति में जल से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी प्रतिनिधि हैं।

इस समिति का कार्य जल के विभिन्न उपयोगों के संबंध में जल आयोजना और समन्वय के समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के लिए अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति जिसके आयुक्त (पीपी) सदस्य सचिव हैं तथा जल से संबंधित विभिन्न मंत्रालय/विभाग सदस्य हैं जिन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। उप समिति की अंतिम रिपोर्ट स्थायी समिति के सदस्य सचिव को उनके विचारार्थ भेजी गई थी।

48 *ty l d kluadh miyCkrk vlf vto'; drk l wath l pkyu l fefr*

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ की बढ़ी हुई जनसंख्या की तुलना में "शहरी क्षेत्र में जल संसाधनों की आवश्यकता और इसकी उपलब्धता पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की गई है। अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, संचालन समिति के सह-अध्यक्ष हैं तथा अध्यक्ष, केंद्रीय भूजल बोर्ड, सदस्य (नदी प्रबंध), कें.ज.आ., संयुक्त सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय, निदेशक (एनआईएच), निदेशक (हुडको) और आयुक्त (पीपी), जल संसाधन मंत्रालय सदस्य हैं और मुख्य अभियंता (बीपीएमओ), कें.ज.आ. इस समिति के सदस्य सचिव हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार एक करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाले 35 शहरी समूहों (यूएस) पर स्थिति रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया और जल संसाधन मंत्रालय को भेजा गया।

49 *rdukh ysk@fj iWZ*

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तकनीकी लेख/रिपोर्ट तैयार की गई थी:-

- (क) विश्व जल दिवस-2008 के लिए "एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन" पर विषय वस्तु लेख तैयार किया गया था।
- (ख) "जल संसाधन संरक्षण-पणधारियों की भूमिका" नामक शीर्षक से तकनीकी लेख तैयार किया गया था।
- (ग) "जल संसाधनों के आकलन संबंधी प्रणाली" पर तकनीकी लेख तैयार किया गया और उसे प्रस्तुत किया गया।
- (घ) वर्तमान परिदृश्य में प्रकाशित अनुसंधान लेखा की तुलना में देश के उपयोज्य जल संसाधनों पर तथ्यात्मक टिप्पणी तैयार की गई।

v/; k & 5 vfhkYi , oai jke 'kZ

5-1 I kkk/

केन्द्रीय जल आयोग का अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध, जल संसाधन परियोजनाओं को अभिकल्प और परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका का निर्वहन करता है। इस स्कंध के विभिन्न एकक जल संसाधन क्षेत्र में अभिकल्प परामर्श, तकनीकी अध्ययनों और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़े हैं। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त इस स्कंध में विभिन्न अभिकरणों द्वारा नियोजित जल संसाधन विकास परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन भी किया जाता है।

अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध की प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:—

1. जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना और अभिकल्प।
2. जल वैज्ञानिक अध्ययन।
3. मौजूदा बाँधों की सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा और प्रबोधन।
4. बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन।
5. अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण समन्वय।

5-2 vfhkYi vlf vuq akku Idak dh I jpk

देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित जल संसाधन परियोजनाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और विशेष डिजाइन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध में निम्नलिखित चार एकक हैं:—

1. अभिकल्प (उत्तर एवं पश्चिम) एकक
2. अभिकल्प (उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण) एकक
3. अभिकल्प (पूर्व एवं उत्तर-पूर्व) एकक
4. अभिकल्प (नर्मदा बेसिन)

उपर्युक्त प्रत्येक एककों में जल विज्ञान सिविल अभिकल्प (एचसीडी), कंक्रीट एवं चिनाई बाँध अभिकल्प (सीएमडीडी), तटबंध अभिकल्प (ईएमबी), फाटक अभिकल्प (जीडी) और बराज एवं नहर अभिकल्प (बीसीडी), आदि जैसे विषयों के विशेषज्ञ निदेशालय हैं।


5-3 vfhkYi , oav uq akku Idak ds dk Z

5-3-1 ty l d kku ifj; kt ukvkdh vk; kt uk, oa vfhkdYi

वर्ष 2007-2008 के दौरान अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध एककों द्वारा नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर 137 परियोजनाओं के संबंध में अभिकल्प संबंधी परामर्शी सेवाएं प्रदान की गईं:-

क्रमांक	वर्ग	
	निर्माण स्तर पर परियोजनाएं	97
	अन्वेषण और आयोजना स्तर पर परियोजना (जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है)	33
	विशेष समस्याओं वाली परियोजनाएं	7
		137

सभी 137 परियोजनाओं का ब्यौरा चित्र-5.1 में और परियोजनाओं की सूची अनुबंध-5.1 में दर्शाई गई है ।



fp= 5-1 वर्ष 2007-08 के दौरान अनुसंधान एवं अभिकल्प स्कंध में परामर्शी परियोजनाएं

कुछ प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो इस समय अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध में अभिकल्पित/तैयार की जा रही हैं, निम्न प्रकार हैं:-

1/2 ips'oj cgmns'lt ifj; kt uk , oa i vkhZxfj iqfuz'led chak vkhZr&us'ky/ l a pr ifj; kt uk/2

भारत-नेपाल द्विपक्षीय सहयोग के अन्तर्गत पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यक्षेत्र पर सक्रिय रूप से विचार विमर्श किया जा रहा है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने हेतु इसे परिभाषित किया जा रहा है। 1996 में यथाहस्ताक्षरित महामहिम नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच हुई संधि में पंचेश्वर परियोजना, शारदा बराज परियोजना और टनकपुर बराज परियोजना समेत महाकाली नदी के एकीकृत विकास के लिए रूपरेखा

1/2 Ngjh clak ifj; kt uk 1/2 1/2

टिहरी बांध परियोजना प्रथम बहु-उद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना है जो इसकी व्यापक क्षमता को काम में लाने के लिए नदी भागीरथी पर निर्माण करने हेतु शुरू की गई है और यह टिहरी जल विद्युत विकास निगम द्वारा निष्पादित की जा रही है। 260.5 मीटर ऊँची मृदा एवं प्रस्तरपूर बांध का निर्माण किया गया है, जो विश्व का चौथा ऊँचा बांध है। बांध और अनुबद्ध संरचना, अर्थात् शूट उत्पलाव, शैफ्ट उत्पलाव, अन्तर्वर्ती स्तरीय निर्गम आदि हेतु निर्माण आरेखण सहित अभिरूप इंजीनियरी और परामर्श की अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध द्वारा देखरेख की जा रही है। बाएं तथा दाएं अंत्याधार से जुड़े भराव बांध के कोर में निरीक्षण दीर्घा उपलब्ध कराई गई है जो भारत में पहली बार के लिए शुरू किए गए प्रस्तरपुर बांध की एक अनूठी विशेषता है। जलाशय का नियंत्रित भराव 29 अक्टूबर, 2005 को शुरू हो गया था और परियोजना, यूनिट iv) 17.07.2006, यूनिट iii) 05.10.2006 को और यूनिट ii) 30.01.2007 को प्रारंभ की गई थी, विद्युत उत्पादन के लिए तैयार हो गई थी। अंतिम युनिट को मार्च, 2007 के मध्य में प्रारंभ किया गया।

सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग, टिहरी जल विद्युत विकास निगम के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। केन्द्रीय जल आयोग, टिहरी बांध के सुरक्षा पहलुओं विशेषकर भूकम्प संबंधी मामलों तथा जलाशय की प्रथम भराई के बारे में टिहरी जल विद्युत विकास निगम तथा विद्युत मंत्रालय को सलाह दे रहा है।

1/2 dW'soj ty fo/q ifj; kt uk 1/2 1/2

कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना टिहरी विद्युत परिसर का एक एकीकृत भाग है, जिसमें भगीरथी नदी की जल-विद्युत क्षमता का विकास करने के लिए टिहरी बांध एवं जल विद्युत संयंत्र (1000 मेगावाट) टिहरी पम्प भंडारण संयंत्र (1000 मेगावाट) और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (400 मेगावाट) शामिल है। इस परियोजना में भगीरथी नदी पर 97.5 मीटर ऊँचा गुरुत्व बांध के निर्माण और टिहरी बांध स्थल के लगभग 20 किलोमीटर अनुप्रवाह पर टिहरी जिले के पिंडरस गांव के निकट कोटेश्वर पर 4X100 मेगावाट संस्थापित क्षमता के साथ दाएं तट पर पदाग्र सतही विद्युत गृह की परिकल्पना की गई है। कोटेश्वर बांध द्वारा सृजित जलाशय कोटेश्वर जल स्कीम के लिए संतुलन जलाशय के साथ-साथ पम्पिंग भंडारण कार्य करेगा। इससे 2400 मेगावाट की प्रतिस्थापित क्षमता वाले उत्तरी ग्रिड में बड़े षीर्ष केन्द्र के रूप में टिहरी विद्युत परिसर का कार्य करने में सुविधा होगी।

केन्द्रीय जल आयोग और टिहरी जल विद्युत विकास निगम के बीच सम्पन्न समझौता ज्ञापन के अनुसार अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध कोटेश्वर बांध, उत्प्लव मार्ग, विद्युत गृह, अंतर्ग्राही और विर्सजनी तथा यंत्रिकरण हेतु अभिकल्प परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। परियोजना के सभी सिविल घटकों का उत्खनन और निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। बाँध, स्पिलवे, विद्युतगृह, संरचना, सेवाखाड़ी (सर्विस बे), इन्टेक और टेलरेस के निर्माण का आरेखण परियोजना प्राधिकारियों को सौपा गया है।

1/2 ylgjhux ikyk rFlk rikou fo".lx<+ty fo/q ifj; kt uk 1/2 1/2

वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम तथा केन्द्रीय जल आयोग के बीच 600 मै.वा. लोहरीनाग पाला तथा 520 मै.वा. तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तकनीकी तथा स्थल से सम्बद्ध मामलों हेतु निर्माण के दौरान प्रीअवार्ड इंजीनियरी तथा सहायता सहित पूर्ण अभिकल्प इंजीनियरी हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 2005-06 के दौरान दोनों परियोजनाओं की पूर्ण निविदा चरण आरेखण जारी किए हैं। वर्ष 2006-07के दौरान लोहारी नागपाला परियोजना के लिए दबाव शाफ्ट के गढ़ाई तथा उत्थापन के लिए विशिष्ट आरेखण तथा दाबरानी प्रवेश व प्रवेशद्वार के लिए निर्माण आरेखण जारी किए गए हैं। दोनों परियोजनाएं निर्माणाधीन है। विन्यास (लेआउट), उत्खनन आदि के लिए निर्माण-आरेखन वर्ष 2007-08 के दौरान जारी कर दिए गए हैं।

5-3-2 iwlbrj fls eaty l d kku focld ifj; kt uk a

केन्द्रीय जल आयोग के पास बहुउद्देशीय, सिंचाई, जल आपूर्ति और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अभिकल्प एवं परामर्श कार्य हेतु पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक समर्पित अभिकल्प एकक है। इसके कार्य के दायरे में ब्रह्मपुत्र बोर्ड, नीपको, राज्य सरकारी विभागों आदि द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं अथवा केन्द्रीय जल

आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उत्तर-पूर्व की अन्वेषित स्कीमों के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्टें और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना भी शामिल है। पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्टें और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी मूल्यांकन भी किया जा रहा है।

इस समय निर्माण स्तर पर 18 परियोजनाएं हैं, जिसके लिए केन्द्रीय जल आयोग के अभिकल्प अनुसंधान स्कंध द्वारा अभिकल्प संबंधी परामर्श दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 11 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी विस्तृत विद्युत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं।

अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध में निम्नलिखित परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत जल वैज्ञानिक अध्ययन एवं अभिकल्प संबंधी कार्य प्रगति पर है:—

Øe 1 jkt; @ifj; kt uk

ILFK

v: .kpy ins'

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | लोहित बांध परियोजना | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर |
| 2. | जियाधल बहुउद्देशीय परियोजना | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर |
| 3. | नूरानंग चू-नदी पर जल-विद्युत परियोजना | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर |
| 4. | त्वांग चू जल-विद्युत परियोजना | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर |
| 5. | न्यूकचरोंग चू जल-विद्युत परियोजना | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर |
| 6. | केमांग जल विद्युत परियोजना | निर्माण चरण |

v/ε

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 7. | करबी लंगपी जल विद्युत परियोजना | निर्माण चरण |
| 8. | पगलादिया बाँध सिंचाई परियोजना | निर्माण चरण |
| 9. | भारभाग अपवहन विकास योजना-स्लूस रेगूलेटर | निर्माण चरण |
| 10. | अमजूर अपवहन विकास योजना | निर्माण चरण |

ef. kig

- | | | |
|-----|----------------------------|---------------------------------|
| 11. | खुगा बहुउद्देशीय परियोजना | निर्माण चरण |
| 12. | थाऊबल बहुउद्देशीय परियोजना | निर्माण चरण |
| 13. | धोलेथाबी बराज परियोजना | निर्माण चरण |
| 14. | इरांग जल विद्युत परियोजना | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण पर |

esky;

- | | | |
|-----|-----------------------------|----------------------------------|
| 15. | मन्टडू जल विद्युत परियोजना | निर्माण चरण |
| 16. | जादूकाटा बांध परियोजना | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर |
| 17. | कुलसी बहुउद्देशीय परियोजना | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर |
| 18. | जादुकाटा बाँध परियोजना | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर |
| 19. | गनोल जल विद्युत परियोजना | निर्माण चरण |
| 20. | न्यूमटू जल विद्युत परियोजना | निर्माण चरण |

let kje

- | | | |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|
| 21. | कोलादयनी जल विद्युत परियोजना, स्तर-i | निर्माण चरण |
| 22. | कोलादयनी जल विद्युत परियोजना, स्तर-ii | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर |
| 23. | तुईरिनी जल विद्युत परियोजना, | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर |
| 24. | तुईवाल जल विद्युत परियोजना | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर |
| 25. | तुइचेंग जल विद्युत परियोजना | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर |

f=ijj

- | | | |
|-----|---------------------------|-------------|
| 26. | कलासी बराज | निर्माण चरण |
| 27. | मनु मध्यम सिंचाई परियोजना | निर्माण चरण |
| 28. | चापाईचेरा बाँध परियोजना | निर्माण चरण |
| 29. | हावड़ा बाँध परियोजना | निर्माण चरण |

5-4 *ty foKkuh v/; ; u*

जल विज्ञानीय अध्ययन संगठन, जो अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध के अन्तर्गत एक विशेषज्ञ यूनिट है, देश की अधिकांश परियोजनाओं के संबंध में जल विज्ञानीय अध्ययन करता है। वर्ष 2007-08 के दौरान जल विज्ञानीय संगठन ने जल विज्ञानीय दृष्टि से 103 परियोजनाओं पर कार्य किया जिसमें से परामर्श हेतु 12 परियोजनाएं तथा जल विज्ञान की तकनीकी जांच/अध्ययन हेतु 91 परियोजनाएं थीं। उपर्युक्त के अलावा जल विज्ञानीय संगठन यूनिट जल विज्ञान से संबंधित अन्य विशिष्ट कार्य भी कर रहा है जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है:-

5-4.1 *viek'h vlog {k= dsfy, ck+iDdyu eMMy*

आर्थिक और समय की बाध्यता के कारण जल संसाधनों के आयोजक सभी स्थानों पर जल मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों का संग्रहण नहीं कर पाते हैं। छोटे और मध्यम आवाह क्षेत्र जहां क्रास अपवाह संरचनाओं, सड़कों और रेल पुलों, छोटी जलीय संरचनाओं का नियोजन किया जाता है, को बाढ़ अभिकल्प के प्राक्कलन की आवश्यकता होती है। जल विज्ञानीय अध्ययन संगठन ने अभिकल्प बाढ़ के युक्तिसंगत अनुमान के लिए क्षेत्रीय मॉडलों की भारतीय रूपरेखा तैयार की है। देश को 7 क्षेत्रों में और आगे 26 जल मौसम विज्ञानी समरूपी उप-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अभी तक 21 बाढ़ प्राक्कलन रिपोर्टें, जिसमें 24 उप-क्षेत्र शामिल हैं, को प्रकाशित किया गया है।

5-4.2 *l lekt/ l EHWor vt/kdre o'lk k h ei h/2, Vyl*

अभिकल्प वर्षण अनुमानों, जो अभिकल्प बाढ़ परिमाण का अभिकल्प करने में बुनियादी अदान हैं, का इस समय आयोजना एवं अभिकल्प के अन्तर्गत नए बांधों के मामले दर मामले पर परिकलन किया जाता है परन्तु ये बड़ी संख्या में विद्यमान बांधों का पुनः मूल्यांकन हेतु बोझिल है। अभिकल्प बाढ़ अध्ययनों में अभिकल्प झंझावात गहराई का प्राक्कलन प्रमुख बाधा पायी गई है। क्योंकि आवश्यक आंकड़े कुछ ही संगठनों, अर्थात् आई.एम.डी. और केन्द्रीय जल आयोग, के पास उपलब्ध है। इस पर काबू पाने के लिए सामान्य सम्भावित अधिकतम वर्षण एटलस को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें अभिकल्प झंझावात गहराई का प्रथम प्राक्कलन देने के लिए समूचे देश शामिल है। सामान्य सम्भावित अधिकतम वर्षण एटलस तैयार किया गया है और नदी बेसिनों, अर्थात् कावेरी तथा पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली अन्य नदियां, कृष्णा के दक्षिण, गोदावरी और निकटवर्ती नदी बेसिन, महानदी, ब्रह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा और अन्य निकटवर्ती नदियां, सोन, बेतवा, चम्बल, माही, नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी और अन्य निकटवर्ती नदियां और पश्चिमी घाट क्षेत्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, के लिए प्रकाशित किया गया है। 2007-08 के दौरान परामर्श के माध्यम से सम्भावित अधिकतम वर्षण/एटलस तैयार किया गया है। सम्भावित अधिकतम वर्षण एटलसों के प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी प्रस्ताव है ताकि राज्यों के इंजीनियर अपने अध्ययनों में इनका प्रयोग कर सकें।

5-4.3 *fo'o csl lslgk rk iDr ty foKku ifj; kt ukAI*

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जल विज्ञान परियोजना- II के अंतर्गत जल विज्ञानीय अध्ययनों संबंधी संगठन, केंद्रीय जल आयोग के जल विज्ञानीय अभिकल्प सहायताओं के विकास संबंधी घटक का कार्य जल विज्ञान (द.) निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। इस घटक के अंतर्गत तीन जल विज्ञानीय अभिकल्प सहायताओं की आयोजना है जिसमें जल विज्ञान संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

5-5 *ckkk ds l gj/ll igyq/ldh l eh/ll, oavk; kt uk*

बांध सुरक्षा संगठन, बांध सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित मामलों को देख रहे हैं :-

- अन्य जलीय संरचनाओं के अलावा बांधों और विद्युत गृहों में यंत्रीकरण।
- बांध दरार मॉडलिंग और नींव समस्याओं जैसे विशेष विश्लेषण।
- कम्प्यूटर की सहायता से अभिकल्प।
- बड़े बांधों का प्रबोधन एवं पुनर्वास।

5-5-1 *clkk l j{kk l xbu ds varxz' lyku ldlax*

(I) *clkk i qolx' , oal qkkj ifj; kt uk Mvklj vkbz h/2*

बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्वास परियोजना, बाँध सुरक्षा के अंतर्गत स्कीमें (डीएसएआरपी) जिसे विश्व बैंक (ऋण 2241—आई एन) द्वारा सहायता उपलब्ध कराई है, से प्राप्त निष्पादन और लाभ के आधार पर यह प्रस्ताव किया गया है कि बांध सुरक्षा कार्यकलापों का विस्तार उन राज्यों में भी किया जाए जिनमें बड़े बांधों की संख्या अत्यधिक है। 11 सहभागी राज्यों, अर्थात्, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से प्राप्त विवरणों के आधार पर बांध सुरक्षा आश्वासन, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन परियोजना, जिसे अब बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना का नाम दिया गया है, नामक योजना तैयार की गई है। तदंतर, मध्यप्रदेश और उड़ीसा को उनके विशेष अनुरोध पर परियोजना में शामिल किया गया। राज्य घटक में इस योजना के अंतर्गत परिकल्पित कुल व्यय 2019.73 करोड़ रुपये है। इस परियोजना का उद्देश्य बांध सुरक्षा और सुधार निधि की स्थापना करके चुनिंदा विद्यमान बांधों तथा संबद्ध अनुबद्ध की सुरक्षा में सुधार करना तथा इष्टतम स्थाई निष्पादन करना है। बांध सुरक्षा आश्वासन, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन (डीएमएआरडीएमपी) और सुधार निधि के विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में सहभागी राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच बराबर समन्वय करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने निम्न दो समितियों का गठन किया है :-

- i) सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति
- ii) सदस्य (अभि. एवं अनु.), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में तकनीकी समिति

वर्ष 2007-08 के दौरान बांध सुरक्षा और सुधार निधि के संबंध में राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों तथा परियोजना से संबद्ध विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के लिए 20 अप्रैल, 2007 को राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति की चौथी बैठक आयोजित की गई थी।

विश्व बैंक दल (तैयारी मिशन) ने 20 सितम्बर से 16 नवम्बर, 2005 के दौरान आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। दूसरा विश्व बैंक मिशन ने 16 जनवरी से 3 फरवरी, 2008 के दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का दौरा किया।

राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति की चौथी बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मौजूदा 10 परियोजनाओं का पर्यावरणीय और सामाजिक ऑकलन अध्ययन संबंधी कार्य को जून, 2007 में मेसर्स परामर्शी इंजीनियरिंग सेवाएं (भारत) प्राइवेट, लिमिटेड को सौंपा गया। परामर्शदाता द्वारा विचारार्थ विषय के अनुसार अब तक तीन रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं। तीसरी रिपोर्ट अर्थात् अंतिम रिपोर्ट के मसौदे की केन्द्रीय जल आयोग में संवीक्षा की जा रही है।

M 1/2 XI ; kt uk ds varxz' clkk l j{kk v/; ; u , oavk kt uk

जल संसाधन मंत्री द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 10.00 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से "बाँध सुरक्षा अध्ययन एवं आयोजना" नामक एक नई स्कीम के लिए व्यय वित्त समिति ज्ञापन (एसएफसी) को स्वीकृत किया गया है। इस स्कीम में वर्तमान बाँध सुरक्षा क्रियाकलापों को जारी रखने और केन्द्रीय जल आयोग में बाँध सुरक्षा की तकनीकी विशेषता में सुधार को जारी रखने की योजना है।

M 1/2 X; ljgola; kt uk ds varxz' funskd 1/4 l , eMib dsfy, vol jpuk fodkl

स्वीकृत योजना स्कीमों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नत तकनीक अपनाने के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रयास प्रारंभ किया गया था। प्रस्तावित कार्यों का, केन्द्रीय जल आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी और योजना स्कीम के अंतर्गत प्रारंभ किए गए क्रियाकलापों और पहले से ही शुरू कार्यकलापों के साथ, क्रियान्वयन पूर्ण अत्यंत आवश्यक हैं। वर्ष 2007-08 के लिए बजट प्राक्कलन 1.70 करोड़ रु० है।

5-5-2 *ckkk 1 g{kk vf/kfu; e*

बॉध सुरक्षा अधिनियम संबंधी मसौदे को अधिनियमित करने के लिए वर्ष 2002 में विभिन्न राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था। बिहार सरकार ने बॉध सुरक्षा अधिनियम, 2006 को पारित किया और उसे दिनांक 04.05.2006 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 24.03.2007 को एक संकल्प अपनाया कि संसद द्वारा कानून के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य में बॉध सुरक्षा कानून विनियमित किया जाए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी आवश्यक बॉध सुरक्षा कानून पारित करने के लिए भारत के संसद को अधिकार प्रदान करते हुए दिनांक 24.07.2007 को संकल्प पारित किया है। केरल सरकार ने केरल सिंचाई और जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 पारित किया था, जिसे बाद में केरल सिंचाई एवं जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से तुरंत संशोधित किया गया था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्य भी अपने संबंधित राज्य विधानसभा में संकल्प संबंधी प्रस्ताव को पारित करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार पहले से ही बॉध सुरक्षा संबंधी केंद्रीय अधिनियम पारित करने संबंधी कार्य पहले ही प्रारंभ कर दिया है।

5-5-3 *jkVt; ckkk 1 g{kk 1 fefr*

भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 1987 में राष्ट्रीय बॉध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) का गठन किया गया था। यह समिति आपदा की स्थिति में पुराने बॉधों के संबंध में उपचारात्मक उपायों के लिए अपनाई गई तकनीकों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है तथा बॉध स्वामित्व वाले राज्यों/अभिकरणों को दिशा-निर्देश प्रदान करता है। अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग इस समिति के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बॉध सुरक्षा समिति की 28 वीं बैठक 03.02.2007 को आयोजित की गई थी।

5-5-4 *HkdEi; vlg vk/kjHw igyqkdh rdukdh t kkk*

आधारभूत इंजीनियरी और भूकम्पीय पहलुओं के संबंध में विभिन्न राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मेघालय और केरल में 29 नदी घाटी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु अध्ययन किया गया था।

5-5-5 *t yk; 1 jpuvkhd; ; hclj. k ij ijke 'WZl ok a*

वर्ष के दौरान, सलमा बॉध के मृदा बॉध (अफगानिस्तान), कुटनी पोषक जलाशय परियोजना का बायों और दायों बांध (मध्य प्रदेश), कुटनी पोषक जलाशय परियोजना चिनाई बॉध के गैर-उत्प्लावी खंडो और लोहरिनागपाला जल विद्युत परियोजना के निस्सादक चैम्बरों के लिए आयोजना और यंत्रीकरण निर्माण आरेखण्ड संबंधी कार्य पूरे किए गए।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, एकीकृत नगुइकी सिंचाई परियोजना (नागालैंड), लोअर जुराला जल विद्युत परियोजना (आंध्रप्रदेश), तीस्ता चरण-II जल विद्युत परियोजना (सिक्किम), पनान जल विद्युत परियोजना (सिक्किम), यागची जलाशय परियोजना (कर्नाटक), न्यू उमत्रू परियोजना (मेघालय), हिप्पार्गी सिंचाई परियोजना (कर्नाटक), हेमावती जलाशय परियोजना (कर्नाटक) के परियोजना रिपोर्टों की तकनीकी जांच और मालप्रभा सिंचाई परियोजना (कर्नाटक) की पुनःसंशोधित रिपोर्ट तैयार की गई।

5-5-6 *HodEi h vfhklyi i kjkeh/jkwl adkh jk'Vh I fefr*

नदी घाटी परियोजनाओं में जलीय संरचनाओं के अभिकल्प भूकम्पीय गुणांक का सुझाव देने संबंधी स्थाई समिति का गठन जून, 1969 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था जिसमें विभिन्न तकनीकी संस्थाओं और सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उक्त का नाम बदलकर अक्टूबर, 1991 में इसे भूकम्पीय अभिकल्प पारामीटरों संबंधी राष्ट्रीय समिति के रूप में पुनर्गठित किया गया। सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग इस समिति के अध्यक्ष हैं। भूकम्पीय अभिकल्प पारामीटरों संबंधी राष्ट्रीय समिति में उल्लेखित विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के भूकम्पीय अभिकल्प पारामीटरों को अन्तिम रूप देने के लिए इस समिति की बैठकों का आयोजन सामान्यतः वर्ष में एक बार किया जाता है।

भूकम्पीय अभिकल्प पारामीटरों संबंधी राष्ट्रीय समिति की 18वीं बैठक केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में 05.07.2007 को आयोजित की गई थी जिसमें 14 परियोजनाओं हेतु अभिकल्प भूकम्प पारामीटरों पर चर्चा की गई। समिति ने 8 परियोजनाओं के लिए गुणांक और रेसपास स्प्रेक्ट्रा को अनुमोदित किया और 2 परियोजनाओं की शर्त के अधीन अनुमोदन प्रदान किया। पद्धति को मानकीकृत करने की दृष्टि से नदी घाटी परियोजनाओं के लिए स्थल विशिष्ट भूकम्प अध्ययन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रारूप तैयार किया गया है जिसपर हाल में होने वाली अगली बैठक में चर्चा किए जाने की सम्भावना है।

5-6 *fo 'kk v/; ; u*

बांध के खराब होने की अप्रत्याशित स्थिति में आप्लावन मानचित्र और आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए बांध दरार विश्लेषण किया जाता है। इससे बांध की परिकल्पित विफलता की स्थिति में बांध के अनुप्रवाह स्थानों में अधिकतम जल स्तर का प्राकवलन किया जाता है। डेनिश जलीय संस्थान, डेनमार्क द्वारा विकसित एक विमीय गणितीय मॉडल माईक-दो का उपयोग करके परामर्शी आधार पर केन्द्रीय जल आयोग में बांध दरार विश्लेषण किया जा रहा है। वर्ष के दौरान तलबुल नौवाहन लाक परियोजना (जम्मू व कश्मीर) के लिए गहराई (ड्राफ्ट) अध्ययन, पोलावरम परियोजना (आंध्रप्रदेश) के लिए प्च जल अध्ययन और इन्द्रावती परियोजना (छत्तीसगढ़) के लिए प्रवाह वितरण और जल परिच्छेदिका अध्ययन पूरे किए गए।

5-6-1 *dkh ty vk lx i frdly;*

केन्द्रीय जल आयोग का पुस्तकालय एवं सूचना ब्यूरो जल संसाधन इंजीनियरी और अन्य सम्बद्ध विषयों से संबंधित एक अत्यन्त प्रतिष्ठित तकनीकी संदर्भ वाले पुस्तकालयों में से एक है जिसमें जल संसाधन के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों की रिपोर्टें सहित 1.25 लाख पुस्तकों तथा बुलेटिनों, समाचार पत्रों और पत्रिकाएं आदि सहित 3.5 लाख पत्रिकाएं और अन्य प्रकाशनों का एक विस्तृत संग्रह है।

पिछले कई वर्षों से पुस्तकालय नियमित रूप से 67 राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल के लिए अंशदान दे रहा है और विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों/सोसाइटियों से पूरक आधार पर लगभग 50 तकनीकी और गैर-तकनीकी पत्रिकाएं/बुलेटिन/समाचार-पत्र/प्रकाशन भी प्राप्त कर रहा है। वर्ष के दौरान पुस्तकालय के लिए हिंदी प्रकाशन खरीदे गए थे।

मार्च, 2008 में पुस्तकालय को नवनिर्मित बहुमंजिली पुस्तकालय भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। नए भवन में पाठकों के लिए पर्याप्त स्थान और उन्नत सुविधाएं हैं। मैप रिकार्ड अनुभाग के लिए अलग से एक तल आरक्षित है। पुस्तकालय भवन में सेमिनार, कार्यशाला, बैठकें आदि आयोजित करने के लिए आडोटेरियम और सम्मेलन कक्ष हैं।

Ø- 1 a jkt; @ifj; kt ukvldh ds ule

v. Meku , oafudkckj }li l eg

1. चौधरी नाला मृदा बांध को ऊपर उठाना (डीपीआर)
2. इंदिरा नाला जल आपूर्ति स्कीम (निर्माण)
3. आर. के. पुर (निर्माण)
4. बम्बू फ्लैट जल आपूर्ति स्कीम (निर्माण)
5. चौधरी नाला परियोजना (निर्माण)
6. कामसरट जल नाला जल आपूर्ति स्कीम (निर्माण)
7. कामसरट नाला जल आपूर्ति स्कीम (डीपीआर)

v. .Mpy izsk

8. कमेंग जल विद्युत (निर्माण)
9. नयूरानांग चु नदी पर जल विद्युत परियोजनाएं (डीपीआर)
10. न्यूकचरांग चु जल विद्युत परियोजना (डीपीआर)
11. तवांग चु नदी पर जल विद्युत परियोजनाएं (डीपीआर)
12. लोहित बांध परियोजना
13. जियाधन बहुदेशीय परियोजना

vle

14. बारभाग जल निकास विकास स्कीम – स्लूइस रेगुलेटर (निर्माण)
15. कार्बी लांगपी जल विद्युत परियोजना (निर्माण)
16. अमजुर जल विकास स्कीम
17. पगलादिया बांध (निर्माण)

fcgkj

18. दुर्गावती जलाशय परियोजना (निर्माण)
19. पश्चिमी कोसी मुख्य नहर (निर्माण)
20. सोन पश्चिमी-पूर्वी संपर्क नहर (निर्माण)
21. तेनुघाट बोकारो (कोनार सि. परि.) (निर्माण)
22. त्रिहुट मुख्य नहर (वाल्मीकीनगर)-निर्माण
23. पूर्वी विद्युत परियोजना (निर्माण)

NR-H X<+

24. मोंगरा सिंचाई परियोजना (निर्माण)
25. सूखा नाला बराज (निर्माण)
26. करी नाला बराज (निर्माण)
27. घुमराइया नाला बराज (निर्माण)
28. केलो सिंचाई परियोजना (डीपीआर)
29. सुतियापत मध्यम सिंचाई परियोजना (निर्माण)

fnlyh

30. पाला बराज (निर्माण)

xhok

31. ओपा बराज (निर्माण)

xt jkr

32. सरदार सरोवर परियोजना (निर्माण)

fgelpy ins'k

33. सेली जल विद्युत परियोजना (डीपीआर)
34. रओली जल विद्युत परियोजना (डीपीआर)
35. शाहनहर सिंचाई परियोजना (निर्माण)
36. रामपुर जल विद्युत परियोजना (डीपीआर)

gfj; k k

37. पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना चरण-II (निर्माण)

t few, oad'elji

38. पर्नाइ जल विद्युत परियोजना (निर्माण)
39. किरथई जल विद्युत परियोजना चरण-दो (डीपीआर)
40. पकलक दुल जल विद्युत परियोजना (निर्माण)
41. तुलबल नौवहन लाक परियोजना (निर्माण)
42. बगलिहार जल विद्युत परियोजना (निर्माण)
43. उपरी सिंध जल विद्युत परियोजना (निर्माण)
44. चेन्नै जल विद्युत परियोजना (निर्माण)
45. इगो-मर्सिलांग जल विद्युत परियोजना (निर्माण)
46. लोअर झेलम परियोजना (निर्माण)
47. सवलकार जल विद्युत परियोजना चरण-3 (निर्माण)
48. उझ स्तर क्रासिंग
49. उरी जल विद्युत परियोजना चरण-II (निर्माण)
50. कृष्णा गंगा जल विद्युत परियोजना (डीपीआर)

>lj/ kM

51. अमानत बराज (निर्माण)
52. गरही जलाशय परियोजना (निर्माण)
53. पूनासी जलाशय परियोजना (निर्माण)
54. तेनूघाट बांध रेडियल क्रेस्ट गेट्स (स्वचालन) -निर्माण
55. गुमानी बराज (निर्माण)
56. बालपहाड़ी म0प्र0 परियोजना (डीपीआर)

duW'd

57. लाकिया टेलिंग बांध (निर्माण)
58. कोचिंग होल मृदा बांध (निर्माण)

e/; ins'k

59. बाण सागर परियोजना (निर्माण)
60. माही मुख्य बांध (निर्माण)
61. माही सब्सिडियरी बांध (निर्माण)
62. इंदिरा सागर परियोजना (निर्माण)

63. कुटनी पोषक जलाशय बांध (निर्माण)
64. समोहा पिक-अप वीयर (निर्माण)
65. गुलाब सागर (मैहन) परियोजना (निर्माण)
66. कुशालपुरा बहुउद्देश्यीय परियोजना (निर्माण)
67. सिंध (चरण-दो) परियोजना मादिखेड़ा बांध (निर्माण)
68. अपर बेडा परियोजना (निर्माण)
69. हैलन परियोजना (निर्माण)
70. अपर नर्मदा परियोजना (निर्माण)
71. पेंच डायवर्जन परियोजना (डीपीआर)
72. बर्गी विपथन परियोजना कैनाल (आरबीसी) साइफोन (निर्माण)
73. मलनजखंड तेलिंग बांध (निर्माण)
74. गांधीसागर बांध (डी.पी.आर.)
75. लोअर गोई परियोजना (निर्माण)
76. केन बेतवा संपर्क परियोजना (डी.पी.आर.)
77. जोबट परियोजना (निर्माण)
78. संजय सागर परियोजना (डी.पी.आर.)
79. यशवंत सागर बांध (निर्माण)
80. मान परियोजना (निर्माण)

egjk'V^a

81. टोटलाडोह ज.वि.परियोजना (डी.पी.आर.)
82. सपन मीडियम सिंचाई परियोजना (डी.पी.आर.)
83. अनेर परियोजना (डी.पी.आर.)
84. लेंडी परियोजना (डी.पी.आर.)

ef. ki q

85. खूगा म.प्र. परियोजना (निर्माण)
86. थोवल ज.वि.परियोजना (निर्माण)
87. आईरंग ज.वि. परियोजना (डी.पी.आर.)
88. घोलेथबी बराज परियोजना (निर्माण)

eslly:

89. मिटडू ज.वि.परियोजना (निर्माण)
90. मिटडू ज.वि.परियोजना चरण -II (डी.पी.आर.)
91. कुलसी बहुउद्देश्यीय परियोजना (डी.पी.आर.)
92. जादूकाटा ज.वि.परियोजना (डीपीआर)
93. गेनोल ज.वि.परियोजना (निर्माण)
94. नया अमट्रू ज.वि. परियोजना (निर्माण)

fet hje

95. कोलोडाइन ज.वि. परियोजना (चरण- I) निर्माण
96. कोलोडाइन ज.वि. परियोजना (चरण- II) (डीपी.आर.)
97. तुईवाल ज.वि. परियोजना (निर्माण)
98. तुइरिनी ज.वि. परियोजना (निर्माण)
99. तुइवंग ज.वि. परियोजना (डी.पी.आर.)

mMh k

100. आनंदपुर बराज परियोजना (निर्माण)
101. जोरनाला एवं इंद्रावती नदियों की निर्माण संरचना

jkt LFku

102. भरतपुर एवं धौलपुर जिलों के लिए जल आपूर्ति परियोजना (निर्माण)

f=i jk

103. मनु मध्यम सिंचाई परियोजना (निर्माण)
104. कलसी बराज (निर्माण)
105. चम्पैचेरा बांध परियोजना (निर्माण)
106. हावड़ा बांध परियोजना (निर्माण)

mUkj k/ kM

107. टिहरी बांध परियोजना (निर्माण)
108. तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना (निर्माण)
109. कोटेश्वर ज.वि. परियोजना (निर्माण)
110. लोहारीनाम पाला ज.वि. परियोजना (निर्माण)
111. टिहरी पम्पित भंडारण स्कीम (निर्माण)
112. मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना (निर्माण)
113. किशु जलविद्युत परियोजना (निर्माण)

fons'kh i fj; kt uk a

vQxhfuLrku

114. सलमा बांध परियोजना (निर्माण)

Hwku

115. पुनातसांगचू चरण-I ज.वि. परियोजना (निर्माण)
116. पुनातसांगचू चरण-II ज.वि. परियोजना (डीपीआर)
117. चेनेरी लघु ज.वि. स्कीम (निर्माण)
118. ग्येत्सा लघु ज.वि. स्कीम (निर्माण)
119. खालांजी लघु जलविद्युत स्कीम (निर्माण)
120. खेलिंग लघु जलविद्युत स्कीम (निर्माण)
121. लुहन्तशी लघु जलविद्युत स्कीम (निर्माण)
122. चुखा डीमचू राजमार्ग परियोजना (निर्माण)
123. थिम्पू लघु जलविद्युत स्कीम (निर्माण)
124. वांगड़ी लघु जलविद्युत स्कीम (निर्माण)

us'ky

125. सप्तकोशी सनकोशी परियोजना (डी.पी.आर.)
126. सप्तकोशी उच्च बांध (डी.पी.आर.)
127. कमला बांध परियोजना (डी.पी.आर.)
128. पंचेश्वर म.प्र. परियोजना (डी.पी.आर.)
129. पूर्णगिरी पुनः विनियामक परियोजना (डी.पी.आर.)
130. रूपालीगढ़ पुनः विनियामक परियोजना (डी.पी.आर.)

fo'kk l eL; kv/okyh ifj; kt uk, a

fgelpy insk

1. पंडोह एवं पोंग बांध

t lew, oad'elj

2. ऊपरी सिंध जलविद्युत परियोजना चरण-II
3. सवालकोट जल विद्युत परियोजना

eglj'V^a

4. बेम्बला सिंचाई परियोजना
5. खडकपूर्णा सिंचाई परियोजना
6. कोयना जलविद्युत परियोजना

mlkj insk

7. रिहंद बांध एवं विद्युत गृह

v/; k; &6
ty izaku/ tyk'k; vol knu , oai fj; kt uk i 'pk' eW; kolu

6-1 tyk'k; l p; u dk izkku

वर्ष 2007-2008 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग ने 151.77 बीसीएम की कुल सक्रिय संचयन क्षमता वाले देश के 81 महत्वपूर्ण जलाशयों के संचयन का प्रबोधन किया है, जिसे तालिका 6.1 में दर्शाया गया है।

rkfydk 6-1
fi Nyso 'Wdh ryuk esplywo 'Wdh l p; u flFKr

(संचयन बी सी एम में)

विवरण		जल वर्ष	
		2006-07 (31 मार्च तक)	2007-08 (31 मार्च तक)
प्रबोधित जलाशयों की संख्या		76	81
एफ आर एल पर कुल अभिकल्पित सक्रिय संचयन		133.021	151.77
01 जून को (जल वर्ष के प्रारम्भ से)	संचयन	29.265	31.12
	एफ आर एल पर संचयन प्रतिशत के रूप में	22	21
	10 वर्षों के औसत संचयन के प्रतिशत के रूप में संचयन	160	152
30 सितम्बर तक (मानसून अवधि के अंत तक)	संचयन	120.747	124.15
	एफ आर एल पर संचयन प्रतिशत के रूप में	91	82
	10 वर्षों के औसत संचयन के प्रतिशत के रूप में संचयन	129	124
मार्च 31 तक	संचयन	88.576	88.39
	एफ आर एल पर संचयन प्रतिशत के रूप में	67	32
	10 वर्षों के औसत संचयन के प्रतिशत के रूप में संचयन	125	125

44 अतिरिक्त (प्रत्येक 0.250 बीसीएम अथवा अधिक की भंडारण क्षमता वाले) जलाशयों को प्रबोधन प्रणाली में शामिल करने के लिए अभिज्ञात किया गया है। इसके समावेश करने से प्रबोधन के अधीन जलाशयों की संख्या 125 हो जाएगी और भंडारण क्षमता 151.77 बीसीएम से बढ़कर 166.5 बीसीएम हो जाएगी अर्थात् अब तक सृजित 225 बीसीएम की कुल क्षमता की लगभग 74 प्रतिशत है।

6-2 dlojh ty cysVu

कावेरी बेसिन में पांच महत्वपूर्ण जलाशयों के संचयन स्थिति का भी दैनिक रूप में प्रबोधन किया जा रहा है और प्रत्येक सप्ताह एक बुलेटिन जारी किया जा रहा है। इस बुलेटिन में कर्नाटक राज्य के चार जलाशयों (काबिनी, हेमावती हरंगी, कृष्णराजा सागर) और तमिलनाडु (मेट्टूर) राज्य के एक जलाशय में अभिकल्पित सक्रिय संचयन क्षमता, चालू वर्ष, पिछले वर्ष का सक्रिय संचयन और गत वर्ष एवं संबंधित सप्ताह के पिछले 10 वर्षों का औसत दिया जाता है। बार चार्ट में (i) कावेरी जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार मासिक/साप्ताहिक प्रवाह केन्द्रीय जल आयोग के बिल्लिगुंडलु जी एण्ड डी स्थल पर मेट्टूर जलाशय के प्रतिप्रवाह और मेट्टूर जलाशय के अंतर्वाह में

मासिक/साप्ताहिक प्रेक्षित प्रवाह और (ii) कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में चार जलाशयों की संयुक्त संचयन स्थिति भी बुलेटिन में दी गई है। ऐसी चार बुलेटिनें प्रत्येक महीने जारी की गई।

6-1 *ty folkt d izaku , oat yk'k vol kuu*

6-3-1 *egbiwkt yk'k kadk ty jk'k l otk k*

जलाशयों का क्षमता सर्वेक्षण एक जारी रहने वाली योजना है, जो अब आठवीं योजना के दौरान शुरू की गई "देश में 30 महत्वपूर्ण जलाशयों का जल राशि सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है और जिसे नौवीं योजना के मध्य से जारी रखा गया। नौवीं योजना के अंत तक 426.59 लाख रूपए की कुल लागत से योजना के अंतर्गत 19 जलाशयों को शामिल किया गया।

329.00 लाख रूपए की अनुमानित लागत से दसवीं योजना के दौरान क्षमता सर्वेक्षण के तहत 15 और जलाशयों को शामिल करने के लिए एक एसएफसी ज्ञापन कार्यान्वयनाधीन है। 10 वीं योजना के अंत तक नौवीं योजना के तीन जलाशयों के स्पिलओवर कार्य (रिपोर्ट को अंतिम रूप देना) तथा अभी तक 4 जलाशयों का सर्वेक्षण कार्य सभी प्रकार से पूरा कर लिया गया है और 3 जलाशयों के सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर हैं।

11 वीं योजना के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के पत्र दिनांक 20.02.2008 द्वारा रूपये 410.00 लाख की अनुमानित लागत पर क्षमता सर्वेक्षण के तहत 20 अन्य जलाशयों को शामिल करने के लिए एक ईएफसी ज्ञापन स्वीकृत किया गया है। इन 20 जलाशयों में से पाँच जलाशयों का 2007-08 में सर्वेक्षण करने के लिए प्रस्ताव आरंभ किया गया।

6-3-2 *ty folkt d izaku vlt ty l p; u ij fltkr fjiwz*

जल विभाजक और जल संचयन संबंधी दूसरी स्थिति रिपोर्ट संबंधी कार्य प्रगति पर है।

6-4 *ty l d klu fodk rtk izaku eanjltk l onu*

जैसा कि नीचे दिया गया है दूरस्थ संवेदी निदेशालय में 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दो विभिन्न योजना स्कीमों में प्रत्येक एक घटक है:-

- "जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम" नामक स्वीकृत योजना स्कीम के तहत "दूरस्थ संवेदी तकनीक का प्रयोग करते हुए जलाशयों में अवसादन का अनुमान"।
- "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" नामक स्कीम के तहत "जल विभाजक नक्शों तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का निर्माण"।

वर्ष 2007-08 के दौरान किए गए कार्यों की प्रगति निम्नवत है:-

- 15 जलाशयों की सैटेलाइट दूरस्थ संवेदी आधारित जलाशय अवसादन अध्ययन (स्पिलओवर) पूर्ण कर लिए गए। दो नए जलाशयों (इन-हाउस) का अध्ययन प्रगति पर है। इसके अलावा 11 वीं योजना के दौरान प्रस्तावित कुल 100 जलाशयों में से 25 नए जलाशयों के कार्य को बाहरी अभिकरणों को देने का कार्य भी प्रगति पर है।
- 11 वीं योजना के दौरान जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास के लिए कार्य/घटक का अंतिम प्रस्ताव अनुमोदन के लिए जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है। यह कार्य संयुक्त रूप से इसरो-डॉस तथा के.ज.आ. द्वारा किया जाएगा।

6-5 *njltk l onh rduld dk iz lx djrs gg ty xd urk@yo. krk@tkjt rk i tkfor {ls=kdks vtkkr djuk*

जल ग्रसनता, लवणता और क्षारीयता के आंकड़ों को अद्यतन करने के उद्देश्य से 'दूरस्थ संवेदन तकनीक का प्रयोग करते हुए पूरे भारत में सभी बृहद और मध्यम परियोजनाओं की सिंचाई

कमानों में जल ग्रसनता और लवणता और/अथवा क्षारीयता प्रभावित क्षेत्रों का आकलन' पर एक अध्ययन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 'क्षेत्रीय दूरस्थ संवेदन सेवा केन्द्र', जोधपुर के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। अध्ययन के प्रथम तथा द्वितीय चरण में राजस्थान, कर्नाटक, गोवा, बिहार, झारखंड और हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब के संबंध में अध्ययन रिपोर्टें तैयार की गईं। इन रिपोर्टों को जल ग्रसनता तथा/लवणता/क्षारीयता प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न सिंचाई निर्देशों की पुनः प्राप्ति के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सुधार करने के लिए उपचारात्मक उपाय प्रारंभ करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है।

इस संबंध में सभी 23 रिपोर्टें जून, 2008 तक पूर्ण होने की प्रत्याशा है। लघु सिंचाई स्कीम में जलग्रसनता तथा लवण प्रभावित क्षेत्रों के मानचित्रण तथा भारत में गैर-कमानी क्षेत्रों तथा सिंचाई कमांड में जलग्रसनता तथा लावण्य मानचित्रण की क्षमता के संवर्धन के लिए बहुसंवेदी तालमेल सैटेलाइट के प्रयोग सिंचाई प्रबंधन में नए संवेदी की के मूल्यांकन/प्रचालन के लिए एक प्रमुख अध्ययन के लिए प्रस्ताव XI वीं योजना स्कीमों में रखा गया है।

6-6 *fu"iknu eW; kdu v/; ; u*

पूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विभागीय रूप से तथा परामर्शदाताओं (वाल्मीस, इमटिस, वेपकॉस, सीडब्ल्यूआरडीएम तथा नेरीवालम) के माध्यम से किया जा रहा है तथा अध्ययनों की रिपोर्टें संबंधित राज्यों के जल संसाधन/सिंचाई विभागों तथा अन्य संबंधित संगठनों को अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए भेजी गईं। परामर्शदाताओं ने 14 ऐसे अध्ययन किए जिसमें (क) प्रणाली निष्पादन, (ख) कृषि आर्थिकी, (ग) सामाजिक आर्थिकी तथा (घ) पर्यावरणीय प्रभाव शामिल है। इसके अतिरिक्त छह अध्ययन विभागीय रूप से किए गए जो मुख्यतः सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन प्रणाली के साथ संबंधित है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परामर्शदाताओं के द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित दस सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया। चार परिचोजनाओं अर्थात् कांची वेर (झारखंड), सम्राट अशोक सागर सिंचाई परियोजना (म.प्र.), सल्की सिंचाई परियोजना (उड़ीसा) तथा शुक्ला सिंचाई परियोजना (असम) के संबंध में प्रारंभिक रिपोर्टें परामर्शदाताओं से प्राप्त हो चुकी है।

वर्ष 2006-2007 के दौरान पांच परियोजनाओं के निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन पर तकनीकी सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित की गई थीं। XI वीं योजना के दौरान सात अन्य सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से तीन अध्ययनों को वर्ष 2008-09 के दौरान प्रदान करने की योजना है।

6-7 *fl pkbZifj; kt ukvldh cpekkdZ*

कुछ समय से विकसित देशों में जल इंडस्ट्री में बेंचमार्किंग का उपयोग हो रहा है। भारत में सिंचाई के क्षेत्र में अब इस अवधारणा को प्रबंधन साधन के रूप में मान्यता मिल रही है। तदनुसार, सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्थापित एक कोर ग्रुप भारत में सिंचाई प्रणालियों की बेंचमार्किंग के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समन्वयकर्ता तथा सुसाध्यकर्ता (Faciliator) के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विभिन्न राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों की सुविधा के लिए सिंचाई परियोजनाओं की बेंचमार्किंग पर के.ज.आ. द्वारा राष्ट्रीय/क्षेत्रीय परियोजना स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। सिंचाई परियोजनाओं की बेंचमार्किंग पर प्रथम राष्ट्रीय कार्यशाला हैदराबाद में फरवरी, 2002 में आयोजित की गई तत्पश्चात् 7 क्षेत्रीय कार्यशालाएं तथा 4 परियोजना स्तर की कार्यशालाएं देश के विभिन्न भागों में आयोजित की गई हैं।

6-8 *ty mi; lx dqkyrk dk v/; ; u*

सिंचाई क्षेत्र ताजे जल का सबसे बड़ा (लगभग 83 प्रतिशत) उपभोक्ता है और सिंचाई जल उपयोग क्षमता में किसी प्रकार का सुधार जल आपूर्ति के नए स्रोत का सृजन करने जैसा है, जिसका जल की विभिन्न प्रतियोगी मांगों में लाभदायी उपयोग किया जा सकता है। जल उपयोग क्षमताएं सामान्यतः निम्न हैं और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अतः यह प्रस्ताव है कि सभी वृहद तथा मध्यम परियोजनाओं में जल उपयोग कुशलता से संबद्ध डाटा बैंक निर्मित किया जाए।

अध्ययन में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं :-

- i) जलाशय भराव क्षमता (अन्तर्वाह एवं निर्मुक्त पद्धति)
- ii) आपूर्ति प्रणाली/वाही क्षमता
- iii) फार्म पर अनुप्रयोग क्षमता
- iv) अपवहन क्षमता
- v) सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता

यह प्रस्ताव है कि कुछ चयनित सिंचाई परियोजनाओं के उपर्युक्त अध्ययन प्रारंभ में किए जाए तथा धीरे-धीरे देश की सभी वृहद तथा मध्यम परियोजनाओं को परामर्शदाताओं के माध्यम से मुख्यतः जल तथा भूमि प्रबंधन संस्थान/सिंचाई प्रबंधन तथा प्रशिक्षण संस्थान/नेरीवालम के माध्यम से शामिल किया जाए। अभी तक देशभर में 43 वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं इन अध्ययनों के लिए हाथ में ली गई है। 25 ड्राफ्ट अंतिम रिपोर्टें तथा 5 अंतिम रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी है तथा टीएसी ने 14 अध्ययनों को स्वीकृति प्रदान कर दी है बशर्ते कि समिति की टिप्पणियों की अनुपालना की जाए।

6-9 *ty ysll&ijllk vlf ty lq/kk*

जल लेखा-परीक्षा, जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे ध्यान में रखते हुए के.ज.आ. ने जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन पर कार्य करने वाले विभिन्न केंद्रीय सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों, एनजीओ आदि के विचारों को ध्यान में रखते हुए "जल लेखा-परीक्षा तथा जल संरक्षण के लिए सामान्य दिशानिर्देश" बनाए है। इन दिशानिर्देशों को के.ज.आ. की वेबसाइट पर दिया गया है। (www.cwc.nic.in)

7-1 ifj; kt uk eW; katu


केन्द्रीय जल आयोग को सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों में से एक कार्य है, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करना। इस कार्य का निष्पादन एवं समन्वय परियोजना मूल्यांकन संगठन द्वारा किया जाता है। परियोजना को तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता स्थापित करने के पश्चात सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं से संबंधित सलाहकार समिति स्वीकृति के लिए परियोजनाओं पर विचार करती है और तत्पश्चात इसे योजना आयोग की निवेश स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा, राज्य जल विद्युत बोर्डों/निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं की केन्द्रीय जल आयोग में जल विज्ञान, सिविल डिजाइन, अन्तर-राज्यीय मुद्दों और लागत की दृष्टि से जांच की जाती है तथा थर्मल परियोजनाओं की कूलिंग और अन्य प्रयोजनों के लिए जल की उपलब्धता की व्यवस्था के लिए जांच की जाती है। इन विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करता है। राज्य सरकारों/शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भेजे जाने पर जल आपूर्ति योजनाओं की तकनीकी पहलुओं की जांच की जाती है।

वृहद एवं मध्यम सिंचाई और जल संसाधन समेकन परियोजनाओं, जो विदेशी सहायता के लिए प्रस्तुत हैं, के संबंध में, मुख्य अभियंता के अन्तर्गत परियोजना तैयारी संगठन इसी प्रकार के कार्य करता है।

7-2 ogr fl plbZifj; kt ukvka dk eW; katu

केन्द्रीय जल आयोग के विशिष्ट निदेशालयों तथा जल संसाधन, कृषि, पर्यावरण एवं वन तथा जनजातीय मामलों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों में 10,000 हैक्टेयर से अधिक कृष्य कमान क्षेत्र वाले वृहद सिंचाई परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं की जांच की जाती है। बहुउद्देश्यीय परियोजना के मामले में विद्युत घटकों की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जाती है। राज्य विकास योजना में शामिल करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की संवीक्षा और जांच तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृति संबंधी मौजूदा प्रक्रिया को संशोधित किया गया है एवं इसे सरल बनाया गया है। अब, मूल आयोजना पहलुओं को शामिल करते हुए तैयार की गई संक्षिप्त प्रारंभिक रिपोर्ट की पहले जांच की जाती है और प्रस्तावों की उपयुक्तता के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग की "सैद्धांतिक" सहमति को सूचित किया जाता है। पर्यावरण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजनाओं संबंधी स्वीकृतियों तथा राज्य वित्त आदि की सहमति प्राप्त करनी होती है और उसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाता है ताकि सलाहकार समिति द्वारा एक बार स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात योजना आयोग से शीघ्र निवेश स्वीकृति प्राप्त हो सके और योजना को विभिन्न स्रोतों से विभिन्न स्वीकृतियों के लिए प्रतीक्षा किए बिना प्रारंभ किया जा सके। संशोधित दो चरणीय स्वीकृति प्रक्रिया अक्टूबर, 2001 से लागू है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान परियोजना मूल्यांकन संगठन में 63 नई वृहद एवं 25 संशोधित वृहद सिंचाई परियोजनाएं मूल्यांकनाधीन थीं। 4 वृहद सिंचाई परियोजना प्रस्तावों के लिए सैद्धांतिक रूप में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग की सहमति सूचित की गई थी। नई वृहद सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार वितरण चित्र 7.1 पर दर्शाया गया है।



*fp= 7-1 ew; kaduk/khu ubZogn ifj; kt ukvksa dk jkt; &okj forj.k
¼2007-2008 rd½*

7-3 e/; e fl plbZifj; kt ukvksa dk ew; kadu


अन्तर्राज्यीय नदी बेसिनों में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (2000 से 10,000 हैक्टे. कृ.क.क्षे.) के लिए राज्य सरकारों को यह जरूरी है कि वे केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय संगठनों के मूल्यांकन एवं प्रबोधन यूनितों को केवल प्रोफार्मा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वर्ष 2007-08 के दौरान, 53 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में किया जा रहा था, जिसके लिए परियोजना मूल्यांकन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई थी। मूल्यांकन के पश्चात परियोजनाओं को परियोजना मूल्यांकन संगठन द्वारा सलाहकार समिति को विचारार्थ एवं स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। मूल्यांकनाधीन नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार वितरण चित्र 7.2 में दिया गया है।

7-4 jkt; @ifj; kt uk iM/kckj; kds l Mfk ijLij&okrWZ

सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारी, राज्य सरकार के इंजीनियरों के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श करते हैं और परियोजना स्वीकृति संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए अन्तर्राज्यीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है। राज्य सरकारों को भी यह सलाह दी गई है कि वे राज्य केन्द्रीय अभिकल्प संगठन के जरिए परियोजनाओं पर कार्रवाई करें और राज्य स्तरीय बहुविषयी समिति का गठन करें ताकि केन्द्र द्वारा संवीक्षा की सीमा को कम किया जा सके।

*eW; kduku/ku ubZe/; e ifj; kt uk
2007&08 ds nks ku 1/2*

चित्र 7.2



dy ifj; kt uk & 5;

fp= 7.2 मूल्यांकनाधीन नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार वितरण
(31.03.2008 तक)

7.5 *lygdhij l fejr dh c&d*

नवम्बर, 1987 में जल संसाधन मंत्रालय ने सिंचाई, बहुउद्देश्यीय एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं से संबंधित सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, जिसके अध्यक्ष, सचिव, (जल संसाधन) हैं और मुख्य अभियंता (परियोजना मूल्यांकन संगठन), केन्द्रीय जल आयोग इसके सदस्य-सचिव हैं। इस समिति को केन्द्रीय जल आयोग में संवीक्षा किए गए प्रस्तावों की जांच करने तथा परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी निर्णय की सूचना देने का कार्य सौंपा गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की दिनांक 27.06.07, 26.09.2007, 07.11.2007 तथा 27.02.2008 को बैठक आयोजित की गई और 40 परियोजनाओं पर विचार किया गया, जिसमें से 3 मध्यम परियोजनाएं आस्थगित कर दी गईं तथा 37 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं जिसमें 15 प्रमुख, 16 मध्यम सिंचाई और 6 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं शामिल हैं।

इन स्वीकृत 37 परियोजनाओं में से 31 सिंचाई परियोजनाएं हैं जो बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों में 1525728 हैक्टेयर का अतिरिक्त वार्षिक सिंचाई लाभ उपलब्ध कराएंगी। बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में 6 बाढ़ नियंत्रण स्कीमें 142,997 हैक्टेयर क्षेत्र में संरक्षण उपलब्ध कराएंगी जिससे सालाना औसत लगभग 270.78 करोड़ रुपये बचत होगी। परियोजनाओं का विवरण तालिका 7.1 में दिया गया है।

7.6 *fo/q ifj; kt uk vldk eW; kdu*

मार्च, 2008 तक 21 जल विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 3470 मै0 वा0 की कुल संस्थापित क्षमता वाली 4 परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अन्ततः स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त 12 ताप विद्युत स्कीमें मूल्यांकनाधीन हैं।

7-7 *ck+izak ifj; kt ukvha dk ew; krlu , oaLokdfr*

बाढ़ प्रबंधन के सभी पाँच निदेशालयों सहित मुख्य अभियंता (एफ.एम.) के अधीन बाढ़ प्रबंधन संगठन, केंद्रीय जल आयोग के नदी प्रबंधन स्कंध के अधीन कार्य कर रहा है। केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ प्रबंधन संगठन को सौंपे गए उत्तरदायित्वों में से एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व नदी प्रबंधन स्कंध के तहत बाढ़ प्रबंधन संगठन, बाढ़ नियंत्रण पहलुओं वाली वृहद, मध्यम एवं लघु बाढ़ प्रबंधन स्कीमों एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने हेतु जांच करना है।

वर्ष 2007-08 में 35 बाढ़ प्रबंधन स्कीमों/मास्टर योजनाओं की जांच/मूल्यांकन किया गया।

7-8 *ck+ izaku ij dk Zy ny@dVlo fu; &.k rFlk bl dh vuqld kvha dk dk kb; u*

वर्ष 2004 में असम, बिहार तथा देश के कुछ अन्य भागों में अभूतपूर्व बाढ़ तथा अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बिहार तथा असम के दौरे के दौरान की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने आदेश दिनांक 11.08.2004 के द्वारा असम तथा पड़ोसी राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ तथा क्षरण की समस्या को देखने के लिए अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में 21 सदस्यों का कार्यबल दल गठित किया। कार्य बल दल ने अपनी रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत की।


कार्यबल दल की अनुशंसाओं की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में फरक्का बराज परियोजना के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया। संशोधित स्कीमों नामशः रू0 225 करोड़ की (i) क्रिटिकल बाढ़ नियंत्रण तथा ब्रह्मपुत्र तथा बराक घाटी में क्षरणरोधी स्कीमों तथा (ii) रू0 305.03 करोड़ की गंगा बेसिन राज्यों में क्रिटिकल क्षरणरोधी कार्य वर्ष 2006-07 में कार्यान्वित की गई। इन स्कीमों के शेष कार्य XI वीं योजना के दौरान "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" में जोड़ दिए गए।

rkfydk 7-1 सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	परियोजना की श्रेणी	अनुमानित लागत (रूपये करोड़)	लाभ (हेक्टेयर)
I.	<i>21-06-2007 dks vk kft r 89 olacBd</i>				
1.	डिसूजा सिंचाई स्कीम	नागालैंड	मध्यम	95.20	101.46
2.	पनपन बराज परियोजना (संशोधित)	बिहार	वृहद	199.41	13680
3.	मध्यगंगा नहर परियोजना चरण- II	उत्तर प्रदेश	वृहद	1095.41	146532
4.	निम्न इंदिरा सिंचाई परियोजना (संशोधित)	उड़ीसा	वृहद	521.13	38870
5.	थुवल बहुउद्देश्यीय परियोजना (संशोधित)	मणीपुर	वृहद	715.81	33449
6.	चंद्राभागा सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	188.925	8135
7.	सपन सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	200.70	7195
8.	उत्तरमन सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	123.169	5280 / 0.5 मे.वा.
9.	वांग सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	162.782	7068 / 3.00 मे.वा.
10.	मोरना (गुरेघार) सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	129.641	3075 / 0.80 मे.वा.
11.	पेंटाकली सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	169.67	14332
12.	सिंघाटा सिंचाई परियोजना	हिमाचल प्रदेश	मध्यम	66.35	5348
II.	<i>26-09-2007 dks vk kft r 90 olacBd</i>				
1..	शाह नहर सिंचाई परियोजना (संशोधित)	हिमाचल प्रदेश	वृहद	310.89	24772
2.	चांगर क्षेत्र एलआईएस (संशोधित)	हिमाचल प्रदेश	मध्यम	88.09	3041
3.	बादेश्वर स्थान गंगा पम्प नहर, फेज- I (संशोधित)	बिहार	वृहद	389.31	27603
4.	बनसागर नहर परियोजना (संशोधित)	उत्तर प्रदेश	वृहद	1674.11	150132 (अतिरिक्त)
5.	परकाचिक खवास सिंचाई नहर	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	35.44	2362
6.	दक्षिण सरस्वती नदी का सुधार	पश्चिम बंगाल	बाढ़ सुरक्षा	32.10	—
7.	महानदी जलाशय परियोजना (संशोधित)	छत्तीसगढ़	वृहद	845.00	26400
8.	संगोला ब्रांच नहर परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	287.77	11288

9.	सलवादे बराज	महाराष्ट्र	मध्यम	290.88	8533
10.	सरखाड़े बराज	महाराष्ट्र	मध्यम	202.48	11320
11.	प्रवक्षा बराज	महाराष्ट्र	मध्यम	178.91	10180
III.	<i>01-11-2007 dks vk kft r 91 olacBd</i>				
1.	बागमती बहुउद्देश्यीय परियोजना का घटक	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	135.16	----
2.	कमला नदी के साथ स्थित तटबंध का उत्थापन एवं सुदृढीकरण	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	520926	----
3.	महानंदा बेसिन/उप-बेसिन में बाढ़ नियंत्रण	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	603.88	----
4.	चंदन नदी प्रणाली में स्थित दांयें तथा बाएं का उत्थापन एवं सुदृढीकरण तथा विस्तार	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	147.6868	----
5.	गेरुआ नदी के साथ स्थित दांयें तटबंध का उत्थापन एवं सुदृढीकरण तथा विस्तार	झारखंड	बाढ़ नियंत्रण	20.123	----
6.	पूर्णा सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	213.10	7530
IV.	<i>21-02-2008 dks vk kft r 92 olacBd</i>				
1.	गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना (संशोधित)	महाराष्ट्र	वृहद	7777.8525	250800
2.	दूधगंगा सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	1460.57	46937
3.	कन्हीरापुजहा सिंचाई परियोजना (ई.आर.एम.)	केरल	मध्यम	30.00	----
4.	भद्रा जलाशय परियोजना (ई.आर.एम.) की नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	कर्नाटक	वृहद	951.00	177337
5.	हिपारजी सिंचाई परियोजना	कर्नाटक	वृहद	1521.78	74742
6.	रंगाली उप-परियोजना आर.बी.सी (संशोधित)	उड़ीसा	वृहद	1290.93	143490
7.	छेलीगड़ा बांध परियोजना	उड़ीसा	मध्यम	201.01	3876
8.	खुगा बहुउद्देश्यीय परियोजना (संशोधित)	मणीपुर	मध्यम	335.15	14775 / 1.5 मे.वा.

जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं (पाई चार्ट)
(2007-08 के दौरान)
कुल परियोजनाएं- 37



v/; k & v/B *ifj; k ukvædk izklu*

8-1 ogn , oae/; e fl plbZifj; k ukvædk izklu

1975 में वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का प्रबोधन करने के लिए केन्द्र, राज्य और परियोजना स्तर पर एक त्रि-स्तरीय प्रबोधन प्रणाली प्रारम्भ की गई थी। केन्द्रीय स्तर पर यह कार्य केन्द्रीय जल आयोग को सौंपा गया था। प्रबोधन का मुख्य उद्देश्य वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करना तथा सिंचाई क्षमता के सृजन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आशा है कि प्रबोधन से आवश्यक आगमों का पता लगाने, किसी कमी/बाधाओं हेतु कारणों का विश्लेषण करने और उपचारी उपाय आदि सुझाने में मदद मिलेगी ताकि समयबद्ध ढंग से परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।

केन्द्रीय जल आयोग में की गई वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मुख्यालय के प्रबोधन एकक द्वारा अन्तर्राज्यीय, बाह्य सहायता प्राप्त और केन्द्र प्रायोजित सिंचाई परियोजनाओं तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अन्य परियोजनाओं का प्रबोधन किया जा रहा है। 2006-07 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कुल 104 सिंचाई परियोजनाओं का प्रबोधन किया गया (तालिका 8.1)। प्रबोधित परियोजनाओं की सूची की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है।

प्रबोधन के लिए शुरू की गई 104 वृहद, मध्यम और विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाओं में से 15 परियोजनाओं (9 वृहद और 6 विस्तार/नवीकरण एवं आधुनिकीकरण) का प्रबोधन मुख्यालय द्वारा किया गया और शेष 89 परियोजनाओं (60 वृहद, 26 मध्यम और 3 विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण) का प्रबोधन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया गया।

वर्ष 2003-04 के दौरान, दसवीं योजना के अंत तक पांचवीं योजना के पूर्व/पांचवीं योजना की चालू 30 वृहद परियोजनाओं को 10 वीं योजना में पूरा करने के लिए अभिज्ञात किया गया एवं प्रबलता से प्रबोधन किया गया। इन 30 परियोजनाओं में से 12 परियोजनाओं को वर्ष 2006-2007 के अंत तक पूरा किया गया और शेष 18 परियोजनाओं को 104 परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया जिन्हें वर्ष 2007-08 के दौरान प्रबोधित किया गया।


केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा वर्ष में एक बार सभी अभिज्ञात परियोजनाओं के प्रबोधन हेतु दौरा किया जाता है। तत्पश्चात, क्षेत्र के दौरे तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ किए गए विचार-विमर्श के आधार पर परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा उनकी प्रगति में तीव्रता लाने हेतु राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए निर्माण कार्य में आने वाली विभिन्न बाधाओं एवं सुधारात्मक उपायों आदि संबंधी सुझावों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट तैयार की जाती है। केन्द्रीय जल आयोग (मु0) अथवा क्षेत्रीय यूनिटों द्वारा प्रबोधित की गई चालू वृहद, मध्यम एवं ईआरएम परियोजनाओं का राज्य-वार विहरण दर्शाने वाले चार्ट चित्र 8.1, 8.2 और 8.3 में दिए गए हैं।

rkfydk 8-1
dlh; ty vk; lx }hjk izk/kr ifj; kt ukv/h dh jkt; &okj l d; k 2006&07½


क्र०सं०	राज्य	के०ज०आ० द्वारा प्रबोधित परियोजनाओं की संख्या								
		वृहद			मध्यम			विस्तार (नवीकरण) आधुनिकीकरण		
		मु०	क्ष० का०	कुल	मु०	क्ष० का ०	कुल	मु०	क्ष० का०	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1	3	4	—	1	1	1	—	1
2.	असम	—	3	3	—	1	1	—	—	—
3.	बिहार	—	4	4	—	—	—	—	1	1
4.	छत्तीसगढ़	—	2	2	—	—	—	—	—	—
5.	गोवा	—	2	2	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	—	—	1	1	1	—	1
7.	हरियाणा	—	1	1	—	—	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	1	—	1	—	—	—	—	—	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	झारखंड	1	2	3	—	3	3	—	—	—
11.	कर्नाटक	—	6	6	—	7	7	—	1	1
12.	केरल	—	2	2	—	1	1	—	—	—
13.	मध्य प्रदेश	1	9	10	—	1	1	1	—	1
14.	महाराष्ट्र	2	13	15	—	3	3	1	—	1
15.	मणिपुर	—	2	2	—	—	—	—	—	—
16.	मेघालय	—	—	—	—	1	1	—	—	—
17.	उड़ीसा	1	4	5	—	1	1	—	—	—
18.	पंजाब	—	1	1	—	—	—	—	1	1
19.	राजस्थान	1	2	3	—	—	—	1	—	1
20.	तमिलनाडु	—	—	—	—	1	1	—	—	—
21.	त्रिपुरा	—	—	—	—	1	1	—	—	—
22.	उत्तर प्रदेश	1	3	4	—	—	—	1	—	1
23.	प० बंगाल	—	1	1	—	4	4	—	—	—
	<i>dy</i>	<i>9</i>	<i>66</i>	<i>69</i>	<i>&</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>9</i>
	<i>dy ; lx</i>	<i>69 %gn; \$ 26 %/; e; \$ 9 foLrkj @uokdj. k@ vk/hudhj. k dy & 104</i>								

10 d10 क्षेत्रीय कार्यालय, *ef&* मुख्यालय

fp= 8-1
dshz ty vk lx }kjk izck/kr ogn ifj; kt uk a 1/2=1; dk lz; , oaed; ky; 1/2




fp= 8-2
 केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रबोधित मध्यम परियोजनाएं



fp= 83

*dāh t y vk k ds {k-l; dk k; k r f k e f; ky; } l j k i z k / k r
foLrj@uohdj.k@vklqudhdj.k i fj; kt uk a*

**dāh t y vk k } l j k i z k / k foLrj uohdj.k vklqudhdj.k i fj; kt uk a {lsh
dk k; k, oae f; ky; 1/2
fp= 8.3**



8-2 fl plbZ {l r k ds l e j; kt u dk e v; k a u

सिंचाई के मौजूदा आधारभूत ढाँचे पर आधारित प्रामाणिक और वास्तविक डाटा-बेस प्रदान करके मौजूदा प्रबोधन प्रणाली को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं में सिंचाई क्षमता सृजन के मूल्यांकन के लिए दूर संवेदन तकनीक का उपयोग करना आवश्यक समझा गया। सबसे पहले योजना आयोग के अनुरोध पर दो परियोजनाओं अर्थात ऊपरी कृष्णा (कर्नाटक) परियोजना और तीस्ता बराज (पश्चिम बंगाल) परियोजना के संबंध में नरसा हैदराबाद द्वारा सेटालाइट आंकड़ों का प्रयोग करते हुए मार्गदर्शी अध्ययन सफलतापूर्वक किए गए। दोनों मूल्यांकनों के अध्ययन के नतीजे संतोषजनक थे और आधारभूत वास्तविकताओं के अनुरूप थे।

मार्गदर्शी अध्ययन से प्राप्त परिणामों के महत्व और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग द्वारा निर्णय लिया गया था कि परियोजनाओं को राष्ट्रीय पैमाने पर लिया जाए जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों की 10 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता को शामिल किया जाए। प्रथम चरण में वर्ष 2007 से 2008 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त 53 चालू परियोजनाओं के संबंध में प्रगति को प्रबोधन हेतु सिंचाई के आधारभूत ढाँचे के मानचित्रण द्वारा सिंचाई क्षमता सृजन के मूल्यांकन का कार्य एन.आर.एस.ए., हैदराबाद को सौंपा गया है। यह न केवल सृजित क्षमता प्रदान करता है बल्कि आगे प्रभावकारी प्रबोधन के लिए संकटपूर्ण अंतराल क्षेत्रों को भी बताता है।

सिंचाई क्षमता समुपयोजन के निर्धारण के लिए सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को प्रबोधन के दौरान इसे शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

8.3 *clg; l gk rki Mr ifj; kt ukv l d k iz l w ku*

विश्व बैंक आसान शर्तों पर ऋण देने वाले अपने संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.)के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक बहुत लम्बे समय से बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को ऋण प्रदान कर रहा है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी बैंक (जे.बी.आई.सी.) भी कुछ बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। जबकि ये परियोजनाएं राज्य द्वारा निष्पादित की जाती हैं, बाह्य सहायता प्राप्त सभी सिंचाई परियोजनाओं के प्रबोधन का कार्य केन्द्रीय जल आयोग को सौंपा गया है ताकि वित्तीय सहायता देने वाली विदेशी एजेंसियों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार निवेश के लक्ष्यों और निर्माण-कार्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा सके और निर्माण-कार्य के दौरान यदि कोई कठिनाइयां सामने आती हैं तो उनको दूर किया जा सके।

उड़ीसा और तमिलनाडु में दो जल संसाधन एकीकृत परियोजनाएं तथा राजस्थान व उत्तर प्रदेश में दो जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजनाएं, जिनमें अनेक बृहत व मध्यम परियोजनाएं शामिल हैं, का प्रबोधन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 2006-07 के दौरान किया गया जिसमें बहुविषयक प्रकार के मुद्दे शामिल थे।

8.4 *Rbfjr fl plbZyMk dk Zle*

1996-97 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उन परियोजनाओं, जो राज्यों की संसाधन क्षमता से परे हैं अथवा पूर्ण होने के अंतिम चरण में हैं, के त्वरित क्रियान्वयन कराने के उद्देश्य से देश की वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया। परियोजनाओं का चयन करते समय पांचवीं योजना से पूर्व तथा पांचवीं योजना की परियोजनाओं पर विशेष बल दिया गया है। उन परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है जिनसे आदिवासी और सूखा-प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंच रहा है। तथापि, वर्ष 1999-2000 के बाद से संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता के विशेष वर्ग के राज्यों (उत्तरी-पूर्वी राज्यों और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड के पर्वतीय राज्यों तथा उड़ीसा के बी के के जिलों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं) की सिंचाई परियोजनाओं के तहत लघु सतही के लिए भी विस्तार किया जा सकता है। तथापि बाद में 1.4.2005 से गैर विशेष वर्ग के राज्यों को भी आदिवासी क्षेत्रों को सूखा प्रवण क्षेत्रों, जिनसे पूर्णतः दलितों और आदिवासियों को लाभ पहुंचता है, के संदर्भ में 100 हैक्टेयर से ज्यादा की क्षमता वाली लघु सतही सिंचाई स्कीमों को शामिल किया जा सकेगा। 2004-05 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान घटक शुरू किया गया था तथा केन्द्र ने ऋण भाग तथा केन्द्रीय सहायता अनुदान घटक दोनों को उपलब्ध कराया था। तथापि, वर्तमान नीति के अनुसार केन्द्र केवल 2006-07 से ही अनुदान घटक उपलब्ध करा रहा है और राज्य विपणन उधार द्वारा ऋण घटक एकत्र करने के लिए अधिकृत है।

सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर 2006 से केन्द्रीय सहायता के लिए मानदंडों में और छूट दी है। पहले के दिशा-निर्देशों जिनमें ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत नई परियोजना शामिल करने हेतु ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत चल रही परियोजनाओं को पूरा करने संबंधी दिशा-निर्देशों दिए गए थे उनमें छूट दी गई है। ये छूट ऐसी परियोजनाओं को दी गई है जो (क) सूखा-प्रवण क्षेत्रों (ख) आदिवासी क्षेत्रों (ग) राष्ट्रीय औसत के तुलना में निम्न सिंचाई विकास वाले राज्यों और (घ) कृषि समस्याग्रस्त जिलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के अन्तर्गत पहचान किए गए जिलों को लाभ पहुंचाती हैं। चित्र 8.4 में ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत वर्तमान में चल रही वृहद, मध्यम और विस्तारण, नवीकरण, आधुनिकीकरण परियोजनाओं का राज्यवार व्यौरा दिया गया है। तालिका 8.3 में ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत पूरी हो चुकी वृहद और मध्यम परियोजनाओं की राज्यवार सूची दी गई है।

वर्ष 2007-08 के दौरान 31.03.2008 तक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन 129 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को रू० 4483.95 करोड़ का अनुदान दिया गया है। राज्यों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन आरंभ से 31.03.2008 तक 253 परियोजनाओं को प्रदान की

गई कुल संचयी केंद्रीय सहायता/अनुदान रू0 25198.209 है। विवरण तालिका 8.4 तथा चित्र 8.5 में दिए गए हैं।


इस कार्यक्रम से लाभान्वित राज्यों की संख्या दिनांक 31.03.2008 तक 24 है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 253 परियोजनाओं में से 91 परियोजनाएं 31.03.2008 तक पूर्ण की जा चुकी हैं। जैसा कि राज्य सरकारों ने रिपोर्ट दी है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम के आरंभ से मार्च, 2007 तक 4.46 मि. हे. की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है।

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। केन्द्रीय जल आयोग को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान प्राप्त करने वाली परियोजनाओं का व्यापक प्रबोधन करें। वर्तमान में ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत 157 चालू परियोजनाएं हैं जिन्हें अनुदान दिया जा रहा है और जिनका प्रबोधन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया जा रहा है। ए.आई.बी.पी. के अधीन परियोजनाओं का प्रबोधन केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा वर्ष में दो बार किया जाता है। उसके पश्चात् कार्य-स्थिति रिपोर्ट तैयार करके सभी संबंधितों को जारी की जाती हैं।

fp= 8-4

Rofjr fl plbZyktk dk De dsrgr izqW e/; e rFlk foLrkj uohdj. k vkhudldj. k ifj; kt uk a

, vlbZli h ds varxZ py jgh izqW e/; e/ foLrkj uohdj. k vkhudldj. k ifj; kt uk a 31-03-2008 rd½



dy ifj; kt uk a & 15;

रह्यदक 8-3 रररर रर रररररर रर रर रररर रररररर रररररर; रर रर रररर
e; e ifj; k uk a

001	राज्य	परियोजना	क0सं0	राज्य	परियोजना
1	आंध्र प्रदेश	चेय्यरू (अन्नामाया)	47.		परवाल लिफ्ट
2		नागार्जुन सागर	48.		लेथोपोरा
3		श्रीराम सागर स्टेज- I	49.		कोइल लिफ्ट
4		मड्डुवालासा	50.		प्रताप नहर का आधुनिकीकरण
5		प्रियादर्शनी जुराला	51.		कथुआ नहर का आधुनिकीकरण
6		मड्डीगेडा	52.		आईगोफे
7		सोमासिला	53.	कर्नाटक	मसकिनाल्लह
8		गंडालावागु	54.		हीरबाला
9		अलीसागर	55.	केरल	कलादा
10	असम	बोर्डीकराई	56.	मध्यप्रदेश	बंजर
11		रूपाही	57.		अपर वाणगंगा
12		हवाईपुर लिफ्ट	58.		उर्मिल
13		कोलांगा	59.		वाणसागर यूनिट-I
14		कोलांग बेसिन में समेकित सिंचाई योजना	60.		सिंध फेज-I
15	बिहार	बिलासी	61.	महाराष्ट्र	जवालगाँव
16.		उर्नी जलाशय	62.		जयकवाडी चरण-II
17.		अपर कियूल	63.		कडवी
18.	छत्तीसगढ़	शिवनाथ डिवीजन	64.		कसारी
19.		हसदियो बांगो	65.		कसारसाई
20.		जोंक विपथन	66.		खडकवासला
21.		बरनाई	67.		अपर तापी
22.	गोआ	सलोली	68.		वाण
23.	गुजरात	दमनगंगा	69.		विष्णुपुरी (वर्क्स)
24.		दियू	70.		बाडुला
25.		हरनव-II	71.		कुंभी
26.		झुज	72.		सूर्या
27.		कर्जन	73.		भीमा
28.		सियू	74.		पटगांव
29.		सुखी	75.	उड़ीसा	अपर कोलाब
30.		उमरिया	76.		पोटेरू
31.		वातरक	77.		सेसन नहर
32.		मुक्तेश्वर	78.		सल्की सिंचाई
33.	हरियाणा	गुडगाँव नहर	79.		नाराज
34.		डब्ल्यू आर.सी.पी	80.		सालादी लेफ्ट मुख्य नहर अम्बाहता
35.	झारखंड	लतरातू	81.	पंजाब	रंजीत सागर
36.		तपकारा जलाशय	82.		यू.बी.डी.सी की रिमॉडलिंग

37.	जम्मू एवं कश्मीर	जैनगिर नहर का आधुनिकीकरण	83.	राजस्थान	गंभीरी आधुनिकीकरण
38		जैसामंद आधुनिकीकरण	84.		मध्यगंगा तथा अपरगंगा का आधुनिकीकरण
39.		छापी	85.		राजघाट बांध
40.		पंचाना	86.		शारदा सहायक
41		छौली	87.		एच.के. दोआब में खरीफ चैनल उपलब्ध करना
42		माही बजाज सागर	88.		टिहरी
43.		विलासपुर	89		जराला पंप नहर
44..	तमिलनाडु	डब्ल्यू.आर.सी.पी.	90.	पश्चिम बंगाल	कंगसाबती
45.	उत्तरप्रदेश	गुंटानाला	91.		बराज तथा डीवीसी की सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण
46		ज्ञानपुर पंप नहर			


rkfydk 84 %cgn@e/; e fl plbZifj; kt ukvladsfy, l kkl; vlf QM V&I Rofjr fl plbZyktk dk De dsrgr o"lklj dktk _ .k l gk rk dk forj. k

kljkt: i, est

<i>o'</i>	<i>dy dktk _ .k l gk rk@forfjr vupku</i>
1996-97	500.00
1997-98	952.190
1998-99	1119.180
1999-2000	1392.065
2000-01	1791.605
2001-02	2554.226
2002-03	3015.138
2003-04	3023.284
2004-05	2773.129
2005-06	1709.225
2006-07	1884.221
2007-08*	4483.947
<i>dy</i>	<i>25198.216</i>

(o"l 2006&07 dsnlflu ikr izrlkadsfy, 1/2*

*fp= 8-5 Rofjr fl plbZykkl dk De dsrgr fuePr jkt; okj l p; h dthz _ . .
l gk rk 191 ekpZ 2008 rd½*



*dy fuePr dthz _ . k l gk rk 25198-209
djkm*

8-5 fl plbZfodkl dh jkt; &okj flFkr fjiW

परियोजना प्रबोधन संगठन राज्य-वार वार्षिक स्थिति रिपोर्टें तैयार करता है जिनमें राज्य में बृहद और मध्यम परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई विकास को दर्शाया जाता है। इन रिपोर्टों में राज्य के सतही जल संसाधन, चरम सिंचाई क्षमता, सृजित क्षमता/उपयोग की गई क्षमता एवं किए गए खर्च के संबंध में योजना-वार सिंचाई विकास, भूमि उपयोग वर्गीकरण, सूखा-संभावित और आदिवासी क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाएं, अन्तर्राज्यीय/विदेशी सहायता प्राप्त/केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रबोधित बृहद परियोजनाएं आदि के विवरण के साथ-साथ उन गंभीर मुद्दों और संबंधित मुद्दों की जानकारी भी दी जाती है जिनपर राज्य सरकारों द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है।

8-6 izdku l puk izkkyh

केन्द्रीय जल आयोग त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों द्वारा प्राप्त सूचना/आंकड़ों का रख-रखाव करता है जो कि प्रबोधित परियोजनाओं के लिए राज्य/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा तथा ए.आई.बी. पी. के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय जल आयोग की क्षेत्रीय यूनिटों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इससे निर्माण कार्य के आयोजन, परियोजना कर्मचारियों की भर्ती, भू-अधिग्रहण समस्याएं, गुणवत्ता नियंत्रण मुद्दे आदि जैसी अत्यावश्यक निर्माण गतिविधियों, जो कि केन्द्रीय जल आयोग की प्रबोधन-स्थिति रिपोर्टों में दर्शायी गई हैं, की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई का प्रबोधन करने के लिए उनके साथ लगातार तालमेल रखना सुनिश्चित होता है। तथापि एक विस्तृत प्रबंधन सूचना प्रणाली को अभी विकसित किया जाना है।

8-7 dthz } jk ik ktr deku {k fodkl ifj; kt ukvkd ikzku

133 परियोजनाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रबोधन स्थिति रिपोर्टों के संबंध में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रबोधन से संबंधित कार्य और समन्वय की जांच भी की गई और जहां भी आवश्यक था टिप्पणियां भी भेजी गईं। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लगभग उन सभी परियोजनाओं का प्रबोधन कर लिया गया है जो केन्द्रीय जल आयोग को सौंपी गई थी। वर्ष 2007-08 के दौरान

क्षेत्रीय कार्यालयों से 54 अर्धवार्षिक कार्य-स्थिति रिपोर्टें प्राप्त की गई, इन रिपोर्टों की जांच की गई जहां भी आवश्यक था टिप्पणियां भेजी गई।

8-8 *t y fudk; kadh ejfer/ uoklj. k, oai q:) kj*

विभिन्न राज्यों में लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत "कृषि से सीधे जुड़े जल निकायों की मरम्मत नवीकरण और पुनरुद्धार" के समन्वय का कार्य और इससे जुड़े अन्य कार्य हाल ही में केंद्रीय जल आयोग को सौंपे गए। इस स्कीम के लिए प्रस्तावित वित्त पोषण का अनुपात केन्द्र:राज्य :: 75:25 है। इस संबंध में केंद्रीय जल आयोग द्वारा जल संसाधन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों, संबंधित राज्य सरकारों के प्राधिकारियों और केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय संगठनों के अनुसार योजनाओं की जांच के पश्चात् की गई सिफारिशों के बाद 15 राज्यों को 26 जिलों के 1079 प्रस्तावों को जिनकी कुल लागत रु0 299.075 करोड़ है, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है।

8-9 *t yok qifjorũ l y*

भारतीय नदी प्रणालियों में बर्फ के पिघलने तथा ग्लेशियर के योगदान के अध्ययनों के विशेष संदर्भ सहित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के निर्धारण के लिस केंद्रीय जल आयोग में एक सेल का गठन किया गया। एक प्रायोगिक बेसिन के लिए अध्ययन आरंभ करना तथा बर्फ के पिघलने तथा ग्लेशियर का नदी प्रणाली में योगदान के लिए पद्धति को अंतिम रूप देना तथा सभी क्रियाकलापों का समन्वय करना तथा आयोग/जल संसाधन मंत्रालय को रिपोर्ट देना जलवायु परिवर्तन सेल के कार्य है।

8-10 *t yk'k; k ds l oãk k f0; kcyki k ds izkku ds fy, l fefr dh rdudh Lohdfr dsfy, t yk'k; {lerkvdsl oãk k; ij fji kZdk v/; ; u@t k*

"मुख्य अभियंता (पीएंडडी) जलाशयों के सर्वेक्षण क्रियाकलापों के प्रबोधन के लिए तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य है। बदुआ जलाशय पर एक रिपोर्ट की जांच की गई तथा अवधि के दौरान ही टिप्पणियाँ की गई।"

v/; k & uk
fuelzk miLdj vk kt uk, oai raku

केन्द्रीय जल आयोग निर्माण उपस्कर की आयोजना और प्रबंधन के विभिन्न कार्यकलापों में सक्रिय रूप से कार्यरत है, जिनमें संयंत्र आयोजन की दृष्टि से प्राप्त परियोजना रिपोर्टों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन, उपस्करों के आयोजन में परामर्श, उपस्करों के कार्य निष्पादन का प्रबोधन, उपस्करों व स्पेयर पार्ट्स मंगाने में सहायता, जन शक्ति का आयोजन, संविदा प्रबंध, लागत/अनुमान तैयार करना और डाटा प्रोसेसिंग शामिल है।

9-1 ifj; kt uk eW; kudu

वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों की सिंचाई, ऊर्जा और बहउद्देश्यीय परियोजनाओं की 87 परियोजना रिपोर्टों की संयंत्र आयोजन की दृष्टि से तकनीकी जांच की गई थी। इनमें से 33 परियोजना रिपोर्टों की अर्थमूविंग व निर्माण उपकरणों के संबंध में 213269.202 लाख रुपये के प्रावधान के साथ स्वीकृति की सिफारिश की गई थी। शेष 42 परियोजना के संबंध में टिप्पणियां अनुपालना और आगे समीक्षा हेतु परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई थी।

9-2 ijle 'kZl ok a

- (i) निर्माण पद्धति विज्ञान पर अंतिम रिपोर्ट तथा तुईवाल जल विद्युत शक्ति परियोजना, मिजोरम का उपस्कर आयोजना पहलू तैयार किया गया तथा मुख्य अभियंता, बी एवं बी बी संगठन, के.ज.आ., शिलांग को प्रस्तुत किया गया।
- (ii) निम्नलिखित दो अध्ययनों के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा केन बेतवा के डीपीआर को तैयार करने के संबंध में निदेशक सीएमसी निदेशलाय, के.ज.आ. तथा एस.ई.एन. डब्ल्यू.डी.ए., ग्वालियर के मध्य एक समझौता ज्ञापन दिनांक 19.06.2007 को हस्ताक्षरित किया गया।
(क) जन शक्ति आयोजना।
(ख) निर्माण पद्धतियाँ, उपस्कर आयोजना तथा कार्यक्रम निर्माण।
- (iii) शक्ति परियोजना-II, कोलोडाइन जल विद्युत, मिजोरम की निर्माण पद्धतियों तथा उपस्कर आयोजना पहलुओं पर अध्याय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

9-3 izkhu fu'iknu vkf miLdjlk dk l eq; kt u

नदी घाटी परियोजनाओं में उपलब्ध भारी अर्थमूविंग और निर्माण उपस्करों के समुपयोजन का प्रबोधन करने हेतु केन्द्रीय जल आयोग प्रत्येक तिमाही के आधार पर उपस्करों के कार्यनिष्पादन संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। इन आंकड़ों का विश्लेषण केन्द्रीय यांत्रिकी संगठन (सीएमओ) के संयंत्र एवं मशीनरी निदेशालय द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य उपस्करों के कम कार्यनिष्पादन/समुपयोजन के कारणों का पता लगाना है।

वर्ष 2007-08 के दौरान पंजाब राज्य से 6 त्रैमासिक रिपोर्टें और एक वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनका विश्लेषण किया जा चुका है।

9-4 ty l d kku ds {k= eavf/k kfk miLdjlk vkf Lisj i kZl dk fui Vku

उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के सिंचाई विभाग में पूरे राज्य की सिंचाई परियोजनाओं में बहुत बड़ी संख्या में अर्थमूविंग और निर्माण उपस्कर व उनके स्पेयर पार्ट अधिशेष में/बेकार स्थिति में पड़े हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड की राज्य सरकारों ने विभिन्न निपटान समितियों का गठन किया है, जिनमें केन्द्रीय यांत्रिकी संगठन का एक अधिकारी अर्थात् निदेशक (पीएम) सदस्य के रूप में है।

वर्ष 2007-08 के दौरान इन समितियों की 7 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें विभिन्न बेकार पड़े उपस्करों/संयंत्रों का सुरक्षित मूल्य 419.90 लाख रूपए निश्चित किया गया। केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनिधियों ने इन बैठकों में भाग लिया। फरक्का बराज परियोजना, पश्चिम बंगाल के उपस्करों, वाहनों और अन्य विविध प्रकार की मदों के निपटान हेतु सुरक्षित मूल्य निर्धारित करने में भी सहायता दी जा रही है।

9.5 t u & 'kDr v k k uk

वर्ष के दौरान "वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में प्रचालन एवं अनुरक्षण स्तर पर रोजगार उत्पन्न करने हेतु" एक विशेष अध्ययन शुरू किया गया। अध्ययन हेतु चयनित 36 परियोजनाओं में से 22 वृहद् एवं मध्यम परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों/परियोजना प्राधिकारियों से आंकड़ें/सूचना व्यक्तिगत रूप से दौरे करके प्राप्त/समेकित किए गए।

पूर्ण 22 वृहद् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से समेकित आंकड़ों के आधार पर पी.एंड.एम निदेशालय के जनशक्ति आयोजन सेल में एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की गई।

9.6 vU fØ; kdyki

टेहरी जलविद्युत विकास कॉरपोरेशन (टीएचडीसी) द्वारा गठित समिति को संदर्भित टेहरी जल विद्युत परियोजना तथा कोटेश्वर बांध परियोजना के एच.पी.पी सिविल कार्यों पैकेज-I, II तथा III के समय विस्तार प्रस्ताव पर संविदात्मक मामलों को अंतिम रूप दिया गया तथा अनुशंसा टेहरी जल विद्युत कापेरिया लिमिटेड को प्रस्तुत की गई।

केन्द्रीय जल आयोग मुख्यालय के लिए भंडार सामग्री जैसे कि स्टेशनरी, फर्नीचर आदि की खरीद। फोटोकॉपियर, फैक्स, मशीन, वातानुकूलन, मोटर वाहन, वाटर प्योरिफायर, कूलर, इंटरकाम आदि की खरीद/अनुरक्षण तथा अन्य हाउस कीपिंग क्रियाकलाप पी.सी.पी. निदेशालय द्वारा किए गए। वर्ष 2007-08 के दौरान उपर्युक्त पर लगभग 2.80 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

v/; k; &nl *vlt;rl; l; ekeys*

10-1 vlt;rl; l; unh t y fookn

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल संसाधन मंत्रालय को राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय जल विवादों का सौहार्दपूर्ण तरीके से हल निकालने में तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित के संबंध में सहायता प्रदान की गई है:

10-1-1 dkojh t y fookn vl/kdj. k

भारत सरकार द्वारा 2 जून, 1990 का अन्तर्राज्यीय कावेरी नदी तथा इसकी नदी घाटी के संबंधित विवाद का अधिनिर्णय करने के लिए कावेरी जल विवाद अधिकरण (सी.डब्ल्यू.डी.टी.) की स्थापना की गई थी। अधिकरण ने 05.02.2007 को अपने निर्णय सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने निचले कोलरून अनीकट डेल्टा पर 740 टीएमसी कावेरी जल के 50 प्रतिशत जल उत्पाद होने का अनुमान लगाया गया है तथा इसका बेसिन राज्यों में बंटवारा निम्नानुसार किया गया है:

तमिलनाडु	: 419 टीएमसी
कर्नाटक	: 270 टीएमसी
केरल	: 30 टीएमसी
पाण्डिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र	: 7 टीएमसी
पर्यावरण सुरक्षा	: 10 टीएमसी
समुद्र में जल का अनिवार्य प्रवाह	: 4 टीएमसी

तथापि कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतिम निर्णय को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है क्योंकि सहभागी राज्यों द्वारा उच्चतम न्यायालय में अलग-अलग विशेष अनुमति हेतु याचिकाएँ दायर करने के अलावा अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूटी) अधिनियम, 1956 की धारा 5 (3) के तहत अधिकरण से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सी.डब्ल्यू.डी.टी. का अंतिम पंचाट प्रतीक्षित है।

10-1-2 d".kk t y fookn vl/kdj. k

अन्तर्राज्यीय नदी कृष्णा और उसकी नदी घाटियों के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद के संबंध में निर्णय लेने हेतु कृष्णा जल विवाद अधिकरण का गठन 2 अप्रैल, 2004 को किया गया था। अधिकरण ने बेसिन राज्यों द्वारा दायर की गई सात अंतरिम आवेदनों के संबंध में 09.06.2006 को आदेश जारी किए हैं। इन आवेदनों के द्वारा प्रत्येक राज्य ने मुख्य रूप से अन्य बेसिन राज्यों को कुछ परियोजनाओं को आगे बढ़ने से रोकने हेतु मांग की थी। अधिकरण ने सभी राज्यों की प्रार्थना पर अंतरिम राहत प्रदान करने से मना कर दिया है। अधिकरण के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।

10-1-3 elMbh unh t y fookn

मांडवी एक अन्तर्राज्यीय नदी है जिसका उद्गम कर्नाटक में है और गोवा में प्रवाहित होने के पश्चात् यह अरब सागर में जाकर मिलती है। आवाह क्षेत्र का एक छोटा हिस्सा महाराष्ट्र में है। कर्नाटक सरकार ने मांडवी के जल के प्रवाह को मोड़ने संबंधी प्रस्ताव पहले तैयार किया था। अप्रैल, 2002 में जल संसाधन मंत्रालय ने पेय जल के प्रयोजनों के लिए मांडवी बेसिन से 7.56 टीएमसी जल को साथ में लगे मालप्रभा उप-बेसिन (कृष्णा बेसिन) की ओर प्रवाहित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दी थी। गोवा सरकार के कड़े विरोध को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन मंत्रालय

ने सितम्बर, 2002 के दौरान "सैद्धांतिक सहमति" को लंबित रखा। गोवा सरकार ने भी विवादों पर निर्णय के लिए एक अधिकरण के गठन की मांग की।

बाद में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने दिसम्बर, 2002 में एक अन्तर्राज्यीय बैठक की, जिसके दौरान यह निर्णय लिया गया कि गोवा सरकार और केन्द्रीय जल आयोग मिलकर आंकड़ों में विसंगतियां आदि को ठीक करने का प्रयास करें और प्राप्त अंकों तथा आंकड़ों के आकलन का कार्य मार्च, 2003 तक पूरा कर लें। चूंकि गोवा सरकार केन्द्रीय जल आयोग की साइट के रन ऑफ आंकड़ों की मूल रिकार्ड से विशेष रूप से जांच करना चाहती थी, इसलिए जल संसाधन मंत्रालय ने जुलाई, 2003 में केन्द्रीय जल आयोग के गंगिम स्थल के सभी अपरिष्कृत गेज आंकड़ों को गोवा को देने की अनुमति दे दी। हाल ही में गोवा सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने मई, 2003 तक के आंकड़े एकत्र कर लिए हैं और इन आंकड़ों को परिष्कृत करने के लिए और अधिक समय की जरूरत है तथा इस मामले पर किसी अन्तर्राज्यीय बैठक में इसे संप्रेषित करने से पहले केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के साथ पुनः विचार-विमर्श करना होगा।

संसद सदस्यों/विधान परिषद के सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर माननीय जल संसाधन मंत्री ने इच्छा व्यक्त की थी कि सचिव, जल संसाधन और अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, गोवा और कर्नाटक के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करें लेकिन ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। बाद में माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने बेसिन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ 4 अप्रैल, 2006 को बैठक की। लेकिन किसी समझौते या निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सका। बैठक में व्यक्त की गई इच्छानुसार अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिनांक 26.04.2006 को एक अधिकारिक स्तर की बैठक के आयोजन का प्रस्ताव किया गया जिसे गोवा सरकार के बैठक में भाग लेने की सूचना मिलने पर मुलतवी कर दिया गया। गोवा राज्य द्वारा विवाद पर अधिनिर्णय लेने संबंधी अधिकरण का गठन किए जाने का आग्रह किया गया है।

10-1-4 oEl /Mjk unh t y fooln

फरवरी, 2006 के दौरान, उड़ीसा सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत उड़ीसा तथा आंध्रप्रदेश राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदी वम्सधारा तथा इसकी नदी-घाटियों के संबंध में अधिनिर्णय लेने संबंधी एक जल विवाद अधिकरण का गठन करने का अनुरोध किया गया है। अनुरोध में प्रस्तुत मुद्दों में वम्सधारा तथा इसकी घाटियों कटरागाड तथा गोटा बराज को उपलब्ध जल का पुन-आंकलन तथ 30.09.1962 को हुए समझौते के अनुसार उड़ीसा तथा आंध्रप्रदेश जल की कुल मात्रा को समान रूप से बंटवारा किया जाना शामिल है।

सचिव (जल संसाधन) भारत सरकार द्वारा विवाद को बातचीत के जरिए हल करने के लिए 24.04.2006 को आंध्रप्रदेश तथा उड़ीसा सरकार के सिंचाई/जल संसाधन विभाग के सचिवों के साथ एक अंतर्राज्यीय बैठक की आयोजना की गई थी। बैठक में यह सहमति हुई कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वम्सधारा बेसिन के उत्पाद का पुनआंकलन किया जाएगा। कटरागाडा में साईड वीयर के निर्माण किए जाने की वजह से नदी के प्रवाह को मोड़ने संबंधी अध्ययन केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला द्वारा अध्ययन किए जाने के मामलों पर भी सहमति जताई गई है तथा आंध्र प्रदेश द्वारा उड़ीसा को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का एक सेट उपलब्ध कराया जाएगा। अप्रैल, 2006 की उपर्युक्त बैठक के निर्णयों के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग ने वम्सधारा बेसिन के 75 प्रतिशत आश्रित उत्पाद का गोटा बराज में 105 टीएमसी पुनआंकलन किया है तथा आंध्र प्रदेश द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का एक सेट उड़ीसा को भेजा गया है। केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला पुणे द्वारा प्रस्तुत माडल अध्ययन रिपोर्ट में कुछ पहलुओं का जिक्र किया गया है।

जल संसाधन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिनांक 17.12.2007 को नई दिल्ली में एक अंतर्राज्यीय बैठक का संयोजन किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पूणे द्वारा परिकल्पित स्त्राव उत्पन्न होने की अवस्था पर विचार करते हुए कटरागाडा वीचर से प्रवाहित जल की मात्रा के आकलन संबंधी अतिरिक्त अध्ययन किया जाएगा। इस बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में दिनांक 22.01.2008 को मुख्य अभियंता (एमईआरओ) केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक

अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई थी। दो राज्यों ने आपस में बातचीत करके एक सौहार्दपूर्ण हल निकालने में सहयोग करने की इच्छा प्रकट की थी। आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को उड़ीसा द्वारा दोनों कटरागाडा वीचर तथा नरोबी बराज विकल्पों के संबंध में सुझाए गए अतिरिक्त अध्ययनों के बारे में समुचित कार्रवाई करने को कहा गया था। आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को नेराबी में रूढ़ीगत बराज की बजाए रबड़ के बॉध बनाने संबंधी विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी कहा गया है।

10-1-5 ikylj ty lookn

पालार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में बहने वाली एक अंतर्राज्यीय नदी है। तमिलनाडु सरकार ने फरवरी, 2006 में केंद्र सरकार को शिकायत की थी कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उनकी बिना सहमति के पालार नदी पर एक जलाशय का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे राज्य में जल की मौजदा उपयोगिता प्रभावित होगी और यह 1892 के करार के खिलाफ भी है। तमिलनाडु ने उसी महीने उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा भी दायर किया है। अतः जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है क्योंकि यह अभी न्यायाधीन है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा 07.01.2008 को मुकदमें की सुनवाई की गई तथा आदेश पारित किया है कि केंद्र सरोर तमिलनाडु के अभ्यावेदन पर विचार कर सकती है तथा मामले का समाधान करने का प्रयत्न करें। तदनुसार 1.03.2008 को पहली अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि दोनों राज्य आगे के विचार-विमर्श के लिए संबद्ध आंकड़ें उपलब्ध कराएंगे।

10-2 NUH x<+dstxnyig 'lgj dsfy, is ty dh vli frZ

मध्य प्रदेश सरकार (जिसे अब छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है) द्वारा 1999 में सूचित किया गया था कि पिछले वर्षों के दौरान इन्द्रावती नदी में मानसून के पश्चात् जल का प्रवाह लगातार कम होता जा रहा है जिसका कारण इन्द्रावती नदी "जौरानल्ला" नामक एक छोटी नदी के माध्यम से दिशा बदलना है जो कि कोलाब-सबरी नदी से जुड़ती है तथा परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के निचले प्रवाह क्षेत्र में गांवों और जगदलपुर शहर में पेय जल आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो रही है।

उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यों के बीच दिनांक 09.12.1975 को हुए समझौते तथा गोदावरी जल विवाद अधिकरण पंचाट के प्रावधानों के अनुसार उड़ीसा को मध्य प्रदेश के साथ जुड़ी सीमा पर मध्य प्रदेश द्वारा इन्द्रावती और इसकी सहायक नदियों में 45 टीएमसी जल को उपलब्ध कराने तथा इसको इस्तेमाल करने की 75 प्रतिशत की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाए। तथापि उपलब्ध कराए जाने वाले जल की मासिक मात्रा के लिए कोई विशेष शर्त नहीं है।

सदस्य (जल आयोजन व परियोजना) ने अप्रैल, 2003 तक उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के सचिवों और केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के साथ चार अन्तर्राज्यीय बैठकें की। 24 दिसम्बर, 2003 को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता के स्तर पर एक अन्तर्राज्यीय बैठक रायपुर में आयोजित की गई जिसमें अन्य मुद्दों के अलावा जगदलपुर शहर और अनुप्रवाह क्षेत्र में जल आपूर्ति की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय जल आयोग से यह अनुरोध किया जाएगा कि वह डिजाइन का कार्य करे और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को परामर्श का खर्च दिया जाए। तदनुसार, निदेशक, बीसीडी (पूर्व एवं पूर्वोत्तर), केन्द्रीय जल आयोग ने मार्च, 2004 में प्रस्तावित संरचनाओं के स्थान का निरीक्षण किया तथा निरीक्षण संबंधी टिप्पणी दोनों राज्य सरकारों को भेजी जिसमें क्षेत्रीय तथा प्रयोगशाला अन्वेषणों के किए जाने तथा डिजाइन कार्य के लिए एकत्र किए जाने वाले और भेजे जाने वाले आंकड़ें आदि दर्शाए गए। सचिव (जल संसाधन) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 20.03.2007 को भू-तकनीकी आंकड़ें प्रस्तुत करने की समय सीमा तय करने के संबंध में एक अंतर्राज्यीय बैठक बुलाई गई थी। तदनुसार उड़ीसा सरकार द्वारा अपेक्षित भू-तकनीकी अन्वेषण आंकड़े मई, 2007 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किए गए। केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधानशाला ने

भी मॉडल अध्ययन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी केंद्रीय जल आयोग में जाँच की गई। उड़ीसा सरकार तथा केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला पूर्ण के आदानों के अनुसार केंद्रीय जल आयोग द्वारा इन्द्रावती तथा जौरानल्ला नदियों पर नियंत्रण संरचना हेतु निविदा प्रयोजनों के लिए विशिष्ट ड्राईंग कार्य किया गया है तथा नवम्बर, 2007 में परियोजना प्राधिकारियों को भेजा।

10-3 *ikuj csl u dh fp=lorh unh ij ijksMvi fj; kt uk*

कर्नाटक सरकार ने पेन्नार नदी की एक सहायक नदी चित्रावती पर एक लघु परियोजना के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है जो कि एक अन्तर्राज्यीय नदी है (कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच)। इस परियोजना में एक टैंक के निर्माण के जरिए 88 ग्रामों और 2 नगरों में पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार परियोजना के निर्माण से आंध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त अनन्तपुर जिले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सदस्य (जल आयोजन एवं परियोजना) के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के प्रतिनिधियों के साथ एक केन्द्रीय दल ने जून, 2003 में परियोजना क्षेत्र का दौरा किया। इस विषय पर बाद में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा ली गई एक अन्तर्राज्यीय बैठक में चर्चा की गई। चर्चा के आधार पर संशोधित परियोजना रिपोर्ट जनवरी, 2004 में प्राप्त हुई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत की विष्वसनीयता के लिए परियोजना की आयोजना तैयार की गई थी और केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पेय जल आपूर्ति के मानदंड नहीं अपनाए गए थे। राज्य सरकार से कहा गया है कि परियोजना आयोजन को संशोधित करके 95 प्रतिशत विश्वसनीयता की जाए और भारत सरकार के षहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के मानकों के अनुसार पेय जल मानदंड अपनाए जाए। संशोधित परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

10-4 *unh ckMv/Mu; e/ 1956*

अन्तर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों के विनियमन व विकास के लिए संविधान की सूची-1 की प्रविष्टि 56 के तहत नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 बनाया गया था। केन्द्र सरकार राज्य सरकार की सहमति से नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत नदी बोर्ड का गठन कर सकती है। तथापि, केन्द्र सरकार अब तक इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी नदी बोर्ड का गठन नहीं कर सकी है। जैसा कि उक्त अधिनियम में निहित है, नदी बोर्ड केवल एक सलाहकार के रूप में है। एकीकृत जल संसाधन विकास योजना हेतु राष्ट्रीय समिति ने मौजूदा नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 के स्थान पर "अन्तर्राज्यीय नदी और नदी घाटी (एकीकृत और सहभागितापूर्ण प्रबंध)" नामक एक नया अधिनियम बनाने की सिफारिश की है।

10-5 *vUjM; h; ij; kt ukv hds fy; fu; &. k ckM*

10-5-1 *ck hl kxj fu; &. k ckM*

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों के बीच हुए अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसरण में बाण सागर नियंत्रण बोर्ड का गठन बाणसागर बांध और उससे जुड़े कार्यों के कुशल मितव्यायी और शीघ्र निष्पादन हेतु जनवरी, 1976 में तत्कालीन कृषि और सिंचाई मंत्रालय के संकल्प के अनुसार किया गया था। बोर्ड का मुख्यालय रीवा (मध्य प्रदेश) में स्थित है।

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं और केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री, जल संसाधन राज्य मंत्री, मुख्य मंत्री एवं तीनों राज्यों के सिंचाई एवं वित्त प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी विद्युत मंत्री इसके सदस्य हैं। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं।

सोन नदी पर बाणसागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त उपक्रम है, का कार्य निष्पादन जल संसाधन विभाग द्वारा बाणसागर नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अन्तर्गत किया जा रहा है। नहरों और ऊर्जा प्रणाली का निष्पादन कार्य संबंधित राज्यों द्वारा स्वतंत्र

रूप से और विद्युत गृह के कार्य का एमपीईबी द्वारा किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास सहित बांध की लागत और लाभ में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का 2:1:1 के अनुपात में हिस्सा होगा।

बाढ़ संबंधी कार्यों में जून, 2006 तक क्रेस्ट फाटको के बनाने का कार्य पूर्ण करना तथा जलाशय को वर्ष 2007 की मानसून के दौरान 341.50 मी0 एफ आर एल की तुलना में 333.40 मी0 तक भरना शामिल है। वर्ष 2007-2008 के दौरान 1268.989 लाख यूनिट विद्युत निर्माण किया गया था।

अभी तक 72 कार्यकारी समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं। 1.09.2007 को आयोजित 72 वीं बैठक में समिति ने बोर्ड के वित्तीय, तकनीकी तथा प्रशासनिक मामलों पर विचार-विमर्श किया। बांध परियोजना के शेष कार्य को जून, 2008 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है।

10-5-2 crok unh ckm

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच 1973 में हुए समझौते के अनुसरण में राजघाट बांध परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक अन्तर्राज्यीय परियोजना है, के कार्यान्वयन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, परियोजना के दक्षतापूर्ण, मितव्ययी और शीघ्र निष्पादन के लिए बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम 1976 के अधीन बेतवा नदी बोर्ड का गठन किया गया था। इस बोर्ड का मुख्यालय झांसी (उत्तर प्रदेश) में है।

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं और केन्द्रीय विद्युत मंत्री, जल संसाधन राज्य मंत्री, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एवं वित्त, सिंचाई तथा विद्युत प्रभारी मंत्री इसके सदस्य हैं।

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग बेतवा नदी बोर्ड की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं। बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम 1976 के अनुसार बोर्ड के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के आधार पर बोर्ड के प्रबंध संबंधी मामले कार्यकारी समिति द्वारा देखे जाएंगे और अध्यक्ष समिति के अन्य सदस्य बोर्ड की आवश्यकता के अनुसार उसकी सहायता करेंगे। बोर्ड की नियमावली और निर्देशों के आधार पर कार्यकारी समिति किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकती है या किसी भी प्रकार का कार्य कर सकती है, जो कि बोर्ड द्वारा किए गए जाते हैं। अध्यक्ष, कार्यकारी समिति को कार्यकारी समिति द्वारा अभिसमर्थन के आधार पर अत्यावश्यक प्रस्तावों पर निर्णय लेने हेतु आपात्कालिक अधिकार प्रदान किया गया है।

राजघाट बांध परियोजना जून, 2005 में पूर्ण हो गई है तथा अब यह संगठन एवं पद्धति की अवस्था में है। कार्यकारी समिति ने इच्छा प्रकट की है कि तुंगभद्रा बोर्ड की भांति एक मॉडल संयुक्त बोर्ड गठित किया जाए। तदनुसार प्रस्ताव मसौदा तैयार करने संबंधी कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2007-2008 के दौरान जलाशय (एफआरएल 371.00 मी0) को 366.75 मी0 तक भरा गया था। वर्ष 1999-2000 के दौरान बिजली घर के तीन एककों का परीक्षण किया गया तथा इन्हें चालू किया गया है। वर्ष 2007-2008 के दौरान 1518 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया था।

बेतवा नदी बोर्ड की अब तक 79 बैठकें हो चुकी हैं इसकी 79 वीं बैठक 11.09.2007 को हुई थी। समिति द्वारा बोर्ड के वित्तीय, तकनीकी तथा प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की गई थी।

10-6 vUjkk; h I fefr; ka

कुछ महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय समितियों की गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है।

10-6-1 ?kk; LFkk; h I fefr

फरवरी 1990 में घग्घर स्थाई समिति का गठन घग्घर बेसिन में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास संबंधी कार्यों की जांच, समन्वय तथा इसके कार्यान्वयन में प्राथमिकता निर्धारित करने

और अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से घग्घर बेसिन में अलग-अलग स्कीमों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। इस समिति के सदस्य, जल संसाधन मंत्रालय, उत्तर रेलवे, केन्द्रीय जल आयोग और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के सिंचाई विभागों से लिए गए हैं।

घग्घर स्थाई समिति की 20वीं बैठक सदस्य (नदी प्रबंध) की अध्यक्षता में 11.03.2008 को आयोजित की गई थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मास्टर योजना के मसौदे की प्रतियां पुनः परिचालित की जाएं ताकि सदस्य के विचार/टिप्पणियों पर अगली बैठक में भली-भांति चर्चा की जा सके। समिति ने पंजाब सरकार के मकरूर गाँव के निकट घग्घर स्थाई समिति की 17 वीं बैठक में पहले से अनुमोदित 20 कि०मी० क्षेत्र के अतिरिक्त बी आर ब्रिज तक 2.45 कि०मी० स्थान पर तटबंध के निर्माण तथा भाखड़ा मेन लाईन की मौजूदा आरडी 460.793 एक्वीडक्ट के साथ एक नया एक्वीडक्ट बनाने के प्रस्ताव पर भी सहमति जताई।

गंगा नदी की जल गुणवत्ता का प्रबोधन करने तथा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपचारात्मक सुझाव देने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.12.2005 को घग्घर स्थायी समिति की एक उप समिति का गठन किया गया था।

फरवरी, 2006 से सितंबर, 2007 की अवधि के दौरान उप समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं तथा घग्घर नदी में प्रदूषण की मसौदा रिपोर्ट तैयार की गई तथा घग्घर स्थाई समिति के सदस्यों की स्वीकृति के लिए परिचालित की गई थी। घग्घर स्थाई समिति की 11.03.2008 को हुई 20 वीं बैठक में समिति द्वारा रिपोर्ट स्वीकृत की गई तथा रिपोर्ट को संबंधित बेसिन राज्यों को इसके कार्यान्वयन के लिए परिचालित करने का निर्णय लिया गया।

10-6-2 ; epk LFbbZI fefr

यमुना स्थायी समिति का गठन दिल्ली और इसके उप नगर तथा उत्तर रेलवे पुल के हितों का अध्ययन करने तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यों के प्रतिप्रवाह के कारण दिल्ली में यमुना में अधिकतम बाढ़ स्तर में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि के संबंध में अन्य अध्ययन करने, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के हितों में इन क्षेत्रों में से किसी में भी बाढ़ नियंत्रण कार्यों के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षा करने और यमुना नदी पर किए गए किसी नये निर्माण के लिए पर्याप्त जल मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

इस समिति के सदस्य, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, उत्तर रेलवे, केन्द्रीय जल आयोग, भू तल परिवहन मंत्रालय और हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सिंचाई विभाग से लिए गए हैं। यमुना स्थायी समिति की 73वीं बैठक सदस्य (नदी प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 18.03.2008 को आयोजित की गई थी। बैठक के कार्यवृत्त को अंतिम रूप देकर समिति के सदस्यों को परिचालित किया गया है।

10-6-3 I Hgch LFbk h I fefr

वर्ष 1977 के दौरान साहिबी बेसिन में अप्रत्याशित बाढ़ के बाद राजस्थान और हरियाणा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अत्यधिक क्षेत्रों के प्रभावित होने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय जल आयोग ने साहिबी नदी नजफगढ़ नाला जल निकास बेसिन की एक एकीकृत मास्टर प्लान तैयार की है। इस समिति के अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (नदी प्रबंध) हैं तथा निदेशक (बाढ़ प्रबंध-1) सदस्य सचिव है तथा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य हैं। साहिबी नदी -नजफगढ़ नाला की मास्टर योजना के सभी तत्वों के क्रियान्वयन की देखरेख करने और केन्द्र बिन्दु पर प्रवाहों का विनियमन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1978 में कृषि और सिंचाई मंत्रालय, सिंचाई विभाग द्वारा इस समिति का गठन किया गया था ताकि सभी संबंधित राज्यों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सके। वर्ष 1978 से बेसिन में कोई बड़ी बाढ़ नहीं आई है।

10-6-4 *lryt vlf jloh ds ck+ l jfkk rVcalk ds fy, fo'kk mipkjh dk l ij* *l febr*

दिसम्बर, 1989 में मुख्य अभियंता (बाढ़ प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सतलुज तथा रावी के बाढ़ संरक्षण तटबंध के लिए विशेष उपचारी कार्यों संबंधी समिति का गठन किया गया था ताकि चालू तथा पूर्ण किये गये कार्यों का आवधिक निरीक्षण करके ऐसे कार्यों हेतु उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता का पंजाब द्वारा किये गये उपयोग का प्रबोधन करने के लिए इस क्षेत्र में विकास कार्यों की जांच करने के पश्चात् पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत सतलुज तथा रावी पर बाढ़ संरक्षण तटबंध हेतु विशेष उपचारी कार्यों संबंधी प्रस्तावों की तकनीकी रूप से जांच की जा सके। समिति के सदस्य जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे, केन्द्रीय जल आयोग, रक्षा मंत्रालय तथा पंजाब राज्य के सिंचाई विभाग से हैं। समिति ने 1996 के दौरान सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा गृह मंत्रालय से भी सदस्य लिए हैं।

मुख्य अभियंता (बाढ़ प्रबंध संगठन) की अध्यक्षता में 16.01.2008 से 19.01.2008 तक आयोजित सतलुज और रावी नदियों पर बाढ़ सुरक्षा तटबंधों के लिए विशेष उपचारी कार्यों की समिति की 28वीं बैठक की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा समिति के सभी सदस्यों तथा जल संसाधन मंत्रालय और गृह मंत्रालय को भेज दी गई है।

10-7 *nleknj ?kWh t yk'k; fofu; eu l febr*

सदस्य (नदी प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति दामोदर घाटी जलाशय के प्रचालन के संबंध में आवश्यक निर्देश देती है। जलाशयों के दिन प्रतिदिन प्रचालन के लिए मैथन स्थित अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुदेश दिए जाते हैं।

v/; k; &11
t y l d kku ifj; kt ukv h d k lk; kbj. kt izak


11-1 lk; kbj. kt izaku

11-1-1 unh ?WWh ifj; kt ukv h d s fy, jkVh; lk; kbj. kt izaku l febr ¼u bZ, e l h vly oh i hz


नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति का गठन फरवरी, 1990 में सिंचाई, बहुउद्देश्यीय एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के पर्यावरणीय रक्षोपायों के क्रियान्वयन के प्रबोधन के लिए किया गया था। इस समिति को पर्यावरणीय रक्षोपायों के क्रियान्वयन के प्रबोधन के लिए राज्य सरकारों एवं परियोजना प्राधिकारियों द्वारा संस्थापित तंत्र की समीक्षा करने एवं 21 राज्यों (चित्र 11.1) में स्थित चुनिंदा 85 परियोजनाओं के संबंध में अतिरिक्त प्रतिपूरक उपाय सुझाने का कार्य सौंपा गया है। 85 चुनिंदा परियोजनाओं में से 17 परियोजनाओं का गहन प्रबोधन किया जा रहा है। (चित्र 11.2)

fp= 11-1

unh ?WWh ifj; kt ukv h d s fy, jkVh; lk; kbj. kt izaku l febr } ljk izk/kr jkt; olj ifj; kt uk, a



unh ?kWh i fj; kt ukv h d s fy, jk'Vh It; k'j. It; izk'ku l febr } jk'k xgu izk'ku ds varxz jk't; olj i fj; kt uk a



kdj %17½

11-1-2 unh ?kWh i fj; kt ukv h d s fy, jk'Vh It; k'j. It; izk'ku l febr dk xBu

सदस्य (ज.आ. एवं परि.), के.ज.आ. नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबोधन समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति में योजना आयोग एवं केन्द्रीय जल आयोग के अलावा कृषि एवं सहकारिता, पर्यावरण एवं वन, जल संसाधन, जन-जातीय कल्याण मंत्रालयों के प्रतिनिधि सदस्य हैं। मुख्य अभियंता, (पर्या.प्रबो.स.), केन्द्रीय जल आयोग इसके उपाध्यक्ष है एवं निदेशक, (पर्या. प्रबोधन) सदस्य-सचिव हैं। पर्यावरणीय प्रबंधन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सचिवालयी कार्य किया जाता है।

11-1-3 l febr ds dk Z

नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति ने परियोजनाओं का दौरा किया और पर्यावरण एवं वन स्वीकृति के लिए यथा निर्धारित पर्यावरणीय रक्षोपायों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों एवं परियोजना प्राधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की थी। समिति ने 57 जल संसाधन विकास परियोजनाओं का दौरा किया जिसमें पिछले 17 वर्षों के दौरान सभी गहन प्रबोधित परियोजनाएं शामिल हैं। इसके द्वारा वर्ष 1990 से 59 बैठकें आयोजित की गई हैं। यह समिति राज्य पर्यावरणीय प्रबोधन समिति (एसईएमसी) एवं परियोजना पर्यावरणीय प्रबंधन समिति के गठन को प्रोत्साहित करती है तथा इन समितियों के क्रियाकलापों का प्रबोधन करती है। उपर्युक्त क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप सचिव, राज्य जल संसाधन/सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में 21 राज्यों ने पहले से ही राज्य पर्यावरणीय प्रबोधन समितियों का गठन कर लिया है। छत्तीसगढ़ के लिए राज्य पर्यावरणीय प्रबोधन समिति का गठन अभी हाल ही में किया गया है। नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति द्वारा चुनिंदा 85 परियोजनाओं में से 68 परियोजनाओं के लिए परियोजना पर्यावरणीय प्रबोधन समितियों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य परियोजनाओं के लिए 48 अतिरिक्त परियोजना पर्यावरणीय प्रबोधन समितियों का भी

गठन किया गया है। परियोजना के लिए निर्धारित पर्यावरणीय रक्षोपायों के क्रियान्वयन में परियोजना पर्यावरणीय प्रबोधन समितियां सक्रिय भूमिका अदा करती हैं। मुख्य अभियंता, (ईएमओ)/निदेशक (ईएम), केन्द्रीय जल आयोग राज्य पर्यावरणीय प्रबोधन समितियों के सदस्य हैं जहां क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग इन समितियों के विशेष अतिथि हैं। क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक (मूल्यांकन/प्रबोधन) परियोजना पर्यावरणीय प्रबोधन समितियों में केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को वार्षिक रिपोर्टों के रूप में वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है जिसमें दौरों एवं बैठकों का विस्तृत विवरण दिया जाता है। पर्यावरणीय रक्षोपायों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित राज्य एवं परियोजना प्राधिकारियों को दिए गए निर्देशों को वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित किया जाता है। पर्यावरण संबंधी स्थिति रिपोर्टों एवं संबंधित पहलुओं को भी वार्षिक रिपोर्टों में दर्शाया जाता है।

भारत में नदी घाटी परियोजनाएं तथा पर्यावरणीय मामलों के बारे में संतुलित वैज्ञानिक जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रकाशन निकाले गए हैं। यह नदी घाटी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों को स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है।

निदेशक पर्यावरणीय प्रबंधन नव गठित "जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ" के सदस्य हैं।

11-2 *कृषि, वन, मत्स्य एवं पशुधन*

जल संसाधन मंत्रालय की एक अनुसंधान एवं विकास स्कीम के तहत परामर्शदाताओं के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निदेशालय द्वारा पूर्ण जल संसाधन परियोजनाओं का पर्यावरणीय (सामाजिक सहित) प्रभाव अध्ययन प्रारंभ किए गए हैं। तीन परियोजनाओं अर्थात् जयकवाड़ी चरण-1 (महाराष्ट्र), बर्ना (मध्य प्रदेश) और सालंडी (उड़ीसा) का कार्य प्रगति पर है। तीन और परियोजनाओं का अध्ययन कार्य शीघ्र ही प्रारंभ करने का प्रस्ताव है जिसके लिए बोली की क्रिया पहले ही प्रारंभ कर ली गई है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गई 57 परियोजनाओं की ईआईए/ईएमपी रिपोर्टों की जांच की गई और टिप्पणियां मंत्रालय में भेजी गयीं। नदी घाटी और जल विद्युत संबंधी विशेषज्ञ समिति की 12 बैठकें आयोजित की गयीं और समिति ने पर्यावरणीय/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए 42 परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 'सैद्धांतिक रूप' से सहमति प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से 7 व्यवहार्यता रिपोर्टों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच की गई है।

11-3 *पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन*

केन्द्रीय जल आयोग विभिन्न राज्यों में जल संसाधन परियोजनाओं के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना मामलों का सक्रिय रूप से प्रबोधन कर रहा है। इस संबंध में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अपनाए गए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना उपायों का अनुपालन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वृहद/मध्यम सिंचाई तथा बहुदेशीय परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के संबंध में अपनाए गए मानदंडों/अधिनियमों/नीतियों का संग्रहण तथा विश्लेषण किया गया है। 240 विद्यमान/चालू एवं मध्यम जलाशय परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास उपायों का संग्रहण तथा एक डेटाबेस तैयार किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गई परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2007 की संवीक्षा करने में सहायता प्रदान की गई थी। केन्द्रीय जल आयोग की छानबीन समिति द्वारा लेन्डी परियोजना (महाराष्ट्र) नामक एक सिंचाई परियोजना रिपोर्ट की विस्तृत जांच के वास्ते उनकी उपयुक्तता संबंधी निर्णय लेने के लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति देने हेतु पुनर्वास और पुनर्स्थापना की दृष्टि से जांच की गई है।

वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त पुनर्वास एवं पुनःस्थापना कार्यक्रमों संबंधी 18 परियोजनाओं की अर्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की जांच की गई थी।

v/; k; &12 clg; 1 gk rk

12-1 ty 1 d k/kuk dsfodkl dsfy, clg; 1 gk rk

देश को विभिन्न रूपों में बाह्य सहायता प्राप्त होती है। जैसे बहुपक्षीय या द्विपक्षीय सहायता, ऋण, अनुदान तथा विभिन्न देशों एवं अन्य प्रदाता अभिकरणों से पण्य सहायता। भारत में सिंचाई क्षेत्र में बाह्य सहायता का प्रमुख स्रोत अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे सामान्य रूप से विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, इसकी सुलभ ऋणदाता संबद्ध, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) है। विश्व बैंक के अतिरिक्त, अन्य निधिकरण अभिकरण जैसे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, यूरोपियन आर्थिक समुदाय, (ईईसी), यू एन डी पी तथा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक, (जेबीआईसी) भी सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। परियोजनाओं को फ्रांस, आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी तथा नीदरलैंड के द्विपक्षीय सहयोग के द्वारा भी निधि प्रदान की जा रही है। देश में जल संसाधनों के त्वरित विकास के लिए निधि तथा तकनीकी आधुनिकीकरण दोनों के संबंध में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय तथा इसके संगठन, राज्य सरकारों को विभिन्न निधिदाता अभिकरणों से बाह्य सहायता उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करते हैं।

12-1-1 dthz ty vk lx dh Hwedk

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में केन्द्रीय जल आयोग के महत्वपूर्ण कार्य—कलाप निम्नलिखित हैं :-

- (क) जल क्षेत्र परियोजनाओं के लिए बाह्य सहायता प्राप्त करने के संबंध में परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करना।
- (ख) बाह्य सहायता के लिए प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक परीक्षण तथा राज्य तथा संबंधित विभागों/मंत्रालयों जैसे केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आदि से समन्वय करना।
- (ग) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का प्रबोधन करना तथा परियोजनाओं के निष्पादन में विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति करना।

12-1-2 ifj; kt ukv kh dh rduldh vkhfztl ew; kolu , oaLokdfr

वर्ष 2006-07 के दौरान विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित 3 वृहद परियोजनाएं और जेवीआईसी से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित 11 मध्यम परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकनाधीन थी। परियोजनाओं के विस्तृत विवरण तालिका 12.1 एवं 12.2 में दिए गए हैं।

rkfydk 12-1 fo'o csl 1 gk rk dsfy, izrkfor ogn ifj; kt uk a

Øe 1 a	ifj; kt uk dk uk	vukfur ykxi %djkhk: i; sedk
1.	आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना	4444.41
2.	उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में जल निकास विकास संबंधी मास्टर योजना	856.43
3.	महानदी बेसिन विकास योजना उड़ीसा	3493.10

rkfydk 12-2 t.shvkbZ h l gk rk ds fy, i Zrkfor e/; e Idlea

Øe 1 a	ifj; kt uk dk uke	vuqkur ykxi kdjkbk: i; sedk
1.	वीरा	46.00
2.	तालीपेरू	13.20
3.	कनापा सथनाला	48.39
4.	जोवली स्वर्ण	14.50
5.	लंकासागर	12.00
6.	मल्लुरुवागू	12.00
7.	लोअर सांगिलेरू	19.00
8.	स्वर्णमुखी अनिकट प्रणाली	27.55
9.	दिंडी	15.00
10.	गंडीपालेम	29.30
11.	गजुलाडिन्ने	55.00
12.	पालेरू बित्तागंडा अनिकट प्रणाली	19.00
13.	कूमबूम मध्यम सिंचाई परियोजना	16.00
14.	पाखल मध्यम सिंचाई परियोजना	45.60
15.	रालापपाडु सिंचाई परियोजना	34.60

12-2 fo'o csh l gk rk

जल संसाधन के क्षेत्र में बाह्य सहायता के लिए विश्व बैंक अभी भी प्राथमिक स्रोत बना हुआ है। विश्व बैंक द्वारा क्रेडिट अथवा ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। सिंचाई के लिए विश्व बैंक की वित्तीय नीतियां समय-समय पर बदलती रही हैं। प्रारंभ में इसके द्वारा एक-एक सिंचाई परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया और तत्पश्चात् इसने संयुक्त परियोजनाओं को वित्त पोषित करना शुरू किया जिसके अंतर्गत प्रमुख, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं को एक एकल क्रेडिट/ऋण करार के तहत वित्तपोषित किया गया। इसके बाद इसने जल संसाधन समेकन परियोजनाओं को वित्तपोषित करना शुरू किया जिसमें पूरे राज्य के सिंचाई क्षेत्र को एक क्रेडिट/ऋण करार के तहत सम्मिलित किया गया। अब विश्व बैंक की नीति बदलकर जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की है जिसके अंतर्गत समूचे राज्य के सिंचाई क्षेत्र में सुधार पर बल दिया गया है।

12-2-1 ca gks pqds ØMM@_ .k djkj

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 41 परियोजनाओं में से बंद हो चुकी 38 परियोजनाएं समाप्त हो चुकी हैं और उपयोग की गई सहायता का विवरण तालिका 12.3 में दर्शाया गया है।

rkfydk 12-3 l ekr djkj kd ds C; kfs

de l d; ;	jkt; dk uke	ifj; kt ukvkd dh l d; ;	fefy; u vesj du Mxyj ea l gk r	
			, l, vlx ds vuq ky	mi HØr
1	आंध्रप्रदेश	6	995.30	802.62
2	बिहार	2	142.00	158.61
3	गुजरात	7	921.50	805.82
4	हरियाणा	3	519.00	505.98
5	कर्नाटक	2	451.00	291.96
6	केरल	1	80.00	79.08
7	मध्यप्रदेश	2	360.00	318.18
8	महाराष्ट्र	4	453.00	480.75
9	उड़ीसा	5	544.90	457.55
10	पंजाब	2	294.00	290.06
11	तमिलनाडु	3	340.90	268.36
12	उत्तर प्रदेश	1	125.00	126.76
	dy	38	6051.66	5211.33

12-22 ~~ty~~ {~~h~~ i q~~l~~ j~~puk~~ i f~~j~~; k~~t~~ uk

जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, जल संसाधन विकास तथा प्रबंध के क्षेत्र में नवीनतम अवधारणा है तथा यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित की जा रही नवीनतम पीढ़ी की सिंचाई परियोजनाएं हैं। जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजनाओं का आयोजन जल क्षेत्र सुधारों का ध्यान रखने, राज्य जल नीति का उचित क्रियान्वयन करने, शीर्ष जल संस्थाओं का सृजन करने तथा बहुक्षेत्रीय जल संसाधनों एवं पर्यावरणीय क्षमता के सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। वर्तमान में विश्व बैंक के सहयोग से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में चार ऐसी परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

1. समेकित जल संसाधन प्रबंधन हेतु राज्य में जल क्षेत्र सुधारों के लिए एक समर्थ संस्थागत एवं नीतिगत ढांचे की रूपरेखा तैयार करना।
2. सतही तथा भू-जल संसाधनों की नीतिबद्ध आयोजना एवं सतत विकास तथा प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाना।
3. उन्नत सतही सिंचाई प्रणाली निष्पादन द्वारा सिंचित कृषि की पैदावार बढ़ाने तथा सेवा प्रदान करने में उपभोक्ताओं एवं निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के द्वारा कृषि सहायक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य में सिंचाई एवं जल-निकास उप-क्षेत्र सुधारों को प्रारंभ करना।

12-23 ~~phyo~~ ~~W~~ ~~@~~ . k ~~dj~~ ~~kj~~

विश्व बैंक द्वारा चार परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया गया है। प्रयुक्त सहायता का विवरण तालिका 12.4 में दिया गया है:-

rkfydk 12-4 परियोजनाओं को बाह्य सहायता (विश्व बैंक)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्रेडिट / ऋण संख्या	अभिकरण	समयावधि		अनुमानित लागत (मिलियन रूपयों में)		सहायता (अमेरिकन मिलियन डालर में)	
				प्रारंभन माह	समापन माह	कुल अद्यतन एसएआर के अनुसार	कुल 03/07 के अंत तक उपभुक्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना	एल 4796-आईएन	आईडीए	09.2005	3..2012	18595.58	18595.58	यूएसडी 325.00	यूएसडी 43.44
2	राजस्थान जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना	क्रेडिट 3603-आईएन	आईडीए	03.2002	03.2008	8305.07	8305.07	; <i>wl Mh</i> 140-00	यूएसडी 85.67
3.	उत्तरप्रदेश जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना	क्रेडिट 3602-आईएन	आईडीए	03.2002	10.2008	8351.00	8351.00	यूएसडी 149.20	यूएसडी 44.93
3	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	ऋण 4750-आईएन	आईबीआरडी	01.2005	03.2011	20402.23	20402.23	यूएसडी 394.02	यूएसडी 45.47
	<i>dy</i>							; <i>wl Mh</i> 1008-22	; <i>wl Mh</i> 219-51

12-3 ~~t~~ ~~k~~ ~~i~~ ~~k~~ ~~v~~ ~~a~~ ~~r~~ ~~j~~ ~~W~~ ~~t~~ ~~l~~ ~~g~~; ~~lx~~ ~~ca~~ ~~l~~ ~~l~~ ~~s~~ ~~l~~ ~~g~~ ~~k~~ ~~r~~ ~~k~~

जल संसाधन के क्षेत्र में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक वृहत मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है तथा इसका उद्देश्य मुख्य रूप

से सिंचाई प्रणाली में सिविल कार्यों के निर्माण को वित्तपोषित करके कृषि की पैदावार बढ़ाना है। इन परियोजनाओं के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं :-

- सिविल कार्यों का निर्माण
- प्रशिक्षण
- परामर्शी सेवाएं
- कृषि तीव्रीकरण कार्यक्रम
- फार्म पर विकास

12-3-1 पियुव्जि

जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) के अंतर्गत तीन चालू परियोजनाओं को वित्त पोषण किया गया है। प्रयुक्त सहायता का विवरण तालिका 12.5 में दिया गया है।

रक्युडक 12-5 परियोजनाओं को बाह्य सहायता (जेबीआईसी)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आई-डी-पी क्र. एवं आईडी-पी	आरंभ/समाप्त		कुल व्यय (₹)	व्यय (₹)	अनुदान (₹)	स्थिति
			आरंभ	समाप्त				
1.	रेंगाली सिंचाई परियोजना, नहर-II के बायें किनारे, फेज-I, उड़ीसा	आई-डी-पी 135 एवं आईडी-पी 154	6/04	6/2011	6580	7760	6844.23	समाप्त
						6342	4042	चालू
2.	कें. सी. नहर आधुनिकीकरण परियोजना, आंध्रप्रदेश	आई-डी-पी 113 एवं आईडी-पी 155	3/04	3/09	11070	16049	15728.65	समाप्त
						4773	2350	चालू
3.	ए पी सिंचाई तथा आजीविका सुधार परियोजना	आई-डी-पी 181	3/07	07/13	11377	23974	38	चलू
	कुल				58898	29002-88		

13-1 Hwedk

भारत की तीन मुख्य नदी प्रणालियाँ नामशः गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती हैं। जल संसाधन मंत्रालय इन नदियों के जल से संबंधित मामलों को पड़ोसी देशों से बातचीत के जरिए हल करने, जल संसाधन विकास परियोजनाओं तथा जल संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रचालन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।

13-2 Hkjr rFlk us ky ds clp l g: kx %

- नेपाल से निकलने वाली अधिकांश नदियों के कारण भारत में उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों में बाढ़ आती है। ये नदियाँ घाघरा, शारदा, राप्ती, गंडक, बुरहि गंडक, बागमती, कामला, कोसी एवं महानन्दा नदियाँ हैं। नेपाल से प्रवाहित होने वाली उपर्युक्त नदियों के बाढ़ मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ पूर्वानुमान एवं अग्रिम चेतावनी देने के लिए वर्ष 1989 से एक स्कीम अर्थात् “भारत और नेपाल के बीच साझी नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली” चल रही है, जिसमें नेपाल के 42 मौसम विज्ञानीय/हाइड्रोमेट स्थल और भारत के 18 जल विज्ञानीय स्थल शामिल हैं। इस प्रकार संग्रहीत आंकड़ें आवाह के अनुप्रवाह में बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी जारी करने में सहायक होते हैं। इस स्कीम की समय-समय पर नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।
- मौजूदा करारों एवं समझौतों के क्रियान्वयन सहित जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने की दृष्टि से दोनों देशों के जल संसाधन सचिवों की अध्यक्षता में भारत-नेपाल संयुक्त जल संसाधन समिति सभी समितियों एवं दलों की अम्ब्रेला समिति के रूप में अधिदेश के साथ कार्य कर रही है। केन्द्रीय भू-जल आयोग भारत-नेपाल संयुक्त जल संसाधन समिति एवं संयुक्त विशेषज्ञ दल के क्रियाकलापों के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय को सहायता प्रदान करता है।
- शारदा बैराज, टनकपुर बैराज एवं पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना सहित महाकाली (शारदा) नदी पर एकीकृत विकास संधि पर भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच फरवरी, 1996 में हस्ताक्षर किया गया था जो जून, 1997 (महाकाली संधि) से लागू है। यह संधि इसके लागू होने की तिथि से 75 वर्षों के लिए वैध है। पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना महाकाली संधि का एक केन्द्र बिन्दु है। पंचेश्वर में सिंचाई और आकस्मिक बाढ़ नियंत्रण लाभों एवं उत्तर प्रदेश में बनबासा के अनुप्रवाह पर सिंचाई संबंधी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पुनर्विनियमित संरचना के साथ पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए 5600 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाले अपेक्षित क्षेत्र अन्वेषण संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। सिंचाई एवं विद्युत तथा साथ ही साथ भारत और नेपाल के बीच पुनर्विनियोजित बांध स्थल, लागत प्रभाजन को अंतिम रूप देने संबंधी लंबित मुद्दों को परस्पर हल करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना है। सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में भारत-नेपाल जल संसाधन विकास परियोजना संबंधी नई दिल्ली में 01.10.2007 को हुई दूसरी अंतमंत्रालयी बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि भारत तथा नेपाल सरकार के बीच हुई महाकाली संधि के अनुसार दोनों देश पंचेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा परियोजना के वित्त तथा कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। पंचेश्वर विकास प्राधिकरण न केवल संबंधित मुद्दों का निपाटारा करता है अपितु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की अवस्था से परे कार्यान्वयन को शीघ्रता से कराने की चेष्टा करता है।
- भारत सरकार, सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना एवं सन कोसी भण्डारण सह व्यपवर्तन स्कीम का संयुक्त अन्वेषण प्रारंभ करने के लिए भी नेपाल के साथ विचार-विमर्श कर रही है। स्वीकृत संयुक्त प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र अन्वेषण एवं संयुक्त विस्तृत

परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए नेपाल में अगस्त, 2004 में एक संयुक्त परियोजना कार्यालय (जीपीओ) खोला गया है। संयुक्त परियोजना कार्यालय के गठन की तिथि से 30 महीने के अंदर संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया है। सिंचाई एवं विद्युत लाभ के अतिरिक्त, उक्त परियोजना से, विशेष रूप से उत्तरी बिहार में बाढ़ नियंत्रण में अत्यधिक लाभ होगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्षेत्र अन्वेषण संबंधी कार्य चल रहा है। तथापि नेपाल में सुरक्षा कारणों तथा अन्दरूनी राजनैतिक-सामाजिक अवस्था की वजह से कार्य की प्रगति में व्यवधान आया था। कार्य की धीमी प्रगति के मद्देनजर 10 वीं योजना के दौरान 12.44 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। कमला बहुप्रयोजनीय परियोजना के अध्ययन संबंधी अतिरिक्त कार्य जल संसाधन संबंधी संयुक्त समिति (जेसीडब्ल्यूआर) को तथा भागमती बहुप्रयोजनीय परियोजना के प्रारंभिक अध्ययन का कार्य संयुक्त परियोजना अधिकारी-एस के एस के आई को सौंपा गया। भारत सरकार द्वारा 70.55 करोड़ रुपये की राशि के सीपीआईबी के एक संशोधित ज्ञापना का अनुमोदन किया गया है।

- नेपाल की ओर से लालबेकेया, भागमती, खाण्डों तथा कमला नदियों से बिहार में बाढ़ के जल के उत्प्लावन को रोकने के लिए भारत और नेपाल इन नदियों के तटबंधों का विस्तार करने के लिए सहमत हुए हैं। नेपाल में कार्यों का वित्त विदेश मंत्रालय तथा भारत में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में तटबंधों के निर्माण संबंधी एक स्थाई समिति (एससीईसी) गठन किया गया है जो इन तटबंधों की आयोजना, अभिकल्प तथा निर्माण के लिए जिम्मेदार है।

13-2 *High riparian disciplines*

- बाढ़ मौसम में यालुजंगबू/ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा भारत के साथ जल विज्ञानीय सूचना आपस में बांटने के लिए 2002 में भारत सरकार ने चीन के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। समझौता ज्ञापन में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 01 जून से 15 अक्टूबर तक यालुजंगबू/ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित तीन केन्द्रों नामः नुगेषा, यंगकुन और नक्सिया के संबंध में चीनी पक्ष जलविज्ञानीय सूचना (जल स्तर, निस्सरण और वर्षण) उपलब्ध करा रहा है। वर्ष 2005 तक के आवश्यक आंकड़े प्राप्त किए गए और बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करने में केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसका उपयोग किया गया।
- अप्रैल, 2005 में चीन के माननीय राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान बाढ़ मौसम में सतलुज/लैंगकेन जैंगबो नदी की जल विज्ञानीय सूचना के लिए दोनों देशों ने अप्रैल, 2005 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुसार चीनी पक्ष वर्तमान प्रबोधन एवं आंकड़ा संग्रहण सुविधाओं के आधार पर जल स्तर/निस्सरण में किसी असामान्य चढ़ाव/उतार के संबंध में तथा ऐसी कोई अन्य सूचना, जब अचानक बाढ़ आने की संभावना हो, वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। इसके अतिरिक्त चीनी पक्ष वर्ष 2006 के बाढ़ मौसम से पहले सतलुज/लैंगकेन जैंगबो नदी पर एक जलविज्ञानीय केंद्र बनाने और भारतीय पक्ष को जलविज्ञानीय सूचना उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। आंकड़ों के आदान-प्रदान हेतु कार्यान्वयन योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। पलानजंगबू और लोहित में साइट स्थापित करने हेतु चीन से बातचीत जारी है।
- इसके अतिरिक्त, परीछू नदी पर वर्ष 2004 में बनी कृत्रिम झील और तत्पश्चात उसमें दरार आने के कारण परीछू नदी के जल स्तर का प्रबोधन करने के लिए वास्तविक समय आंकड़ा संचरण हेतु तिब्बत (चीन) में दो स्थल, अर्थात् भूस्खलन बांध /झील स्थल के अनुप्रवाह एवं निर्मित झील के प्रतिप्रवाह पर एवं भारत में दो स्थल एक जम्मू और कश्मीर में और दूसरा हिमाचल प्रदेश में (बांध के अनुप्रवाह) स्थापित किये गये हैं।
- नवंबर, 2006 में चीन गणतंत्र के माननीय राष्ट्रपति के भारत के दौरे के दौरान एक संयुक्त घोषणा जारी की गई जिसमें दोनों पक्ष बाढ़ मौसम जल विज्ञानीय आंकड़ों के प्रावधान

आपातकाल प्रबंधन तथा सीमा पार की नदियों से संबंधित अन्य मुद्दों के लिए परस्पर संवाद तथा सहयोग संबंधी विशेषज्ञ स्तर की प्रक्रिया के गठन के लिए सहमत हुए। विशेषज्ञ स्तरीय प्रक्रिया संबंधी पहली बैठक पेंचींग चीन में 19.09.2007 से 21.09.2007 तक आयोजित की गई जिसमें सीमापार नदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और लैंगकेन जैंग्बो/सतलुज नदी की योजना के कार्यान्वयन मसौदे सहित जलविज्ञानीय सूचना का आदान-प्रदान हेतु विचार-विमर्श किया गया था।

13-3 *Hār vāḥ cāyknāḥ dsclp 1g; lx*

Ū vāḥMā dk gLrkrj. k

भारत और बंगलादेश के बीच एक संयुक्त कार्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 1972 से मानसून मौसम के दौरान बंगलादेश को जल स्तर, निस्सरण और वर्षण आंकड़ों के हस्तांतरण की व्यवस्था है। यह व्यवस्था बंगलादेश के एक संप्रभु राज्य बनने से पूर्व से ही विद्यमान है। बंगलादेश को मानसून मौसम (15 मई से 15 अक्टूबर तक) के दौरान जल स्तर का निस्सरण और वर्षण आंकड़ों का हस्तांतरण जारी है।

Ū xak ty dk la ḡr iḥk k

गंगा/गंगा जल के बंटवारे के संबंध में संयुक्त समिति द्वारा बनाई गई प्रक्रिया और मार्गदर्शिकाओं के अनुसार फरक्का और हार्डिंग पुल पर स्थित संयुक्त प्रेक्षण दल प्रतिवर्ष 01 जनवरी से 31 मई तक संयुक्त प्रेक्षण करता है। वर्ष के दौरान हार्डिंग पुल पर संयुक्त प्रेक्षण के लिए केंद्रीय जल आयोग के 6 अधिकारियों को भेजा गया।

भारत की ओर से पहले बांग्लादेश को आर्सनिक परीक्षण किट तथा आर्सनिक खत्म करने वाले पौधे मुफ्त उपलब्ध कराने की सदभावना की अभिव्यक्ति के रूप में पेशकश की गई थी। इस संबंध में उपर्युक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बांग्लादेश के वैज्ञानिकों द्वारा कोलकाता के केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान में उपस्करों की जांच की गई है। इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों देशों के जल संसाधन मंत्रियों द्वारा तटीय सुरक्षा/लघु लिफ्ट सिंचाई/पेय जल आपूर्ति स्कीमों संबंधी प्रस्तावित कार्य स्थलों का व्यक्तिगत रूप से दौरान करेंगे और दोनों सरकारों को कार्रवाई के संबंध में अपना उचित निर्णय प्रदान करेंगे।

भारत द्वारा बांग्लादेश को मानसून के दौरान गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी मुख्य नदियों से संबंधित बाढ़ पूर्वानुमान आंकड़ों के हस्तांतरण की मौजूदा प्रणाली को जारी रखा गया था। भारत द्वारा मानसून के दौरान बांग्लादेश को हस्तांतरित बाढ़ पूर्वानुमान सूचना से बांग्लादेश की सिविल तथा सेना प्राधिकारियों को बाढ़ प्रभावित जनसंख्या को सुरक्षित स्थानों पर भेजने में सहायता मिलती है। जेआरसी की 36 वीं बैठक के दौरान गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की सतह, प्रवाह और पूर्वानुमान संबंधी सूचना तथा फरक्का में गंगा के पूर्वानुमान की सलाह उपलब्ध कराने की पेशकश की है ताकि बाढ़ पूर्वानुमान की चेतावनी की समयावधि में बढ़ोत्तरी की जा सके।

13-4 *Hār vāḥ Hāḥu dsclp 1g; lx*

- “भारत और भूटान की साझी नदियों पर जल मौसम विज्ञानीय एवं बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क स्थापित करने की समेकित योजना” नामक एक समेकित योजना वर्ष 1979 से ही चल रही है। इस नेटवर्क में भूटान में स्थित 35 जल-मौसमविज्ञानीय/मौसमविज्ञानीय केन्द्र शामिल हैं जिनका रख-रखाव भूटान की शाही सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसका वित्त पोषण भारत द्वारा किया जा रहा है। इन केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग भारत में केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करने में किया जाता है। भारत सरकार तथा भूटान की शाही सरकार के अधिकारियों वाला एक संयुक्त विशेषज्ञ दल इस योजना की प्रगति एवं अन्य आवश्यकताओं की लगातार समीक्षा करता है।

- भूटान से निकलने वाली एवं भारत में आने वाली नदियों से होने वाली बाढ़ की समस्या से संबंधित मामला भूटान की शाही सरकार के साथ उठाया गया। इस संबंध में भारत और भूटान के बीच बाढ़ प्रबंधन पर एक संयुक्त विशेषज्ञ दल (जे जी ई) का गठन किया गया जो भूटान के दक्षिणी पादगिरि एवं भारत के साथ लगते मैदानों में बार-बार आने वाली बाढ़ों और कटाव के संभावित कारणों एवं प्रभावों पर चर्चा एवं मूल्यांकन करेगा और दोनों सरकारों को उपयुक्त एवं दोनों तरफ से स्वीकार्य उपचारी उपायों की सिफारिश करेगा। संयुक्त विशेषज्ञ दल की पहली बैठक भूटान में नवम्बर, 2004 में हुई। जे जी ई ने इस विषय पर लगातार चर्चा की है और कुछ प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्र भ्रमण किए हैं जिसमें भू-स्खलन संभावित क्षेत्र एवं डोलोमाइट खनन क्षेत्र शामिल हैं। इन सिफारिशों के आधार पर जे जी ई ने यह महसूस किया है कि और अधिक विस्तृत तकनीकी जांच की आवश्यकता है और तदनुसार सदस्य (पी आई डी), उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता में एक संयुक्त तकनीकी दल (जे टी टी) का गठन करने पर सहमति हुई है, जिसमें केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) और मंडलीय आयुक्त, जलपाईगुडी में से प्रत्येक का प्रतिनिधि शामिल है।
- भूटान में जलविद्युत क्षमता के विकास के संबंध में भी केन्द्रीय जल आयोग तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है। भूटान अन्वेषण मंडल, फुंटषोलिंग, भूटान की शाही सरकार से समन्वय कर रहा है और इस संबंध में अपेक्षित क्षेत्र-कार्य कर रहा है। अभी हाल ही में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निष्पादित नौ लघु जल-विद्युत परियोजनाएं भूटान की शाही सरकार को सौंपी गईं। चुकखा बांध और इससे संबंधित संरचनाओं के लिए स्थाई उपचारी उपायों हेतु क्षेत्र अन्वेषण पूरा कर लिया गया है और इसके अभिकल्प/आरेखन का कार्य प्रगति पर है। पुनातसांगचू जल-विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए भू-वैज्ञानिक एवं नींव अन्वेषण के तहत 1385 मी. खुदाई की जा चुकी है और शेष कार्य प्रगति पर है। पारो हवाई अड्डे के लिए नदी नियंत्रण कार्यों के सुदृढीकरण की तैयारी और निष्पादन भी जारी है। ताला जल-विद्युत परियोजना (1020 मेगावाट) के विनिर्देशन/निर्माण चरण कार्य के लिए अभिकल्प परामर्श भी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। निर्माण के दौरान आई सभी प्रमुख समस्याओं को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नवाचारी समाधानों के साथ संबोधित किया गया। परियोजना का निर्धारित समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग ने स्थल आवश्यकताओं के अनुसार सभी सिविल घटकों के लिए सभी आवश्यक अभिकल्प और आरेखन समय पर जारी कर दिए हैं।

13-5 *Hydrological discharge*

- सिंधु जल संधि 1960 के तहत भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल के लिए आयुक्त के दो पद, एक भारत में और एक पाकिस्तान में सृजित किए हैं। प्रत्येक आयुक्त इस संधि के तहत उठने वाले सभी मामलों के लिए अपनी सरकार के प्रतिनिधि हैं और ये संधि के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों में संपर्क के लिए नियमित माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। दोनों आयुक्तों से मिलकर स्थाई सिंधु आयोग बना है।
- सिंधु जल संधि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, सिंधु प्रणाली के झेलम और चिनाब बेसिनों के केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुरक्षित किए जा रहे 26 जल-विज्ञानीय स्थलों के दैनिक आंकड़े पाकिस्तान को भेजे गए।
- नियमित आधार पर नदी आंकड़ों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच 1962 से ही सहयोग जारी है। भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 10 अक्टूबर तक पाकिस्तान को बाढ़ संदेशों का संप्रेषण कर रहा है। सिंधु नदी प्रणाली की अखनूर साइट के प्रवाह आंकड़ों को प्राथमिकता प्राथमिकता आधार पर तार/प्रसारण/दूरभाष द्वारा संप्रेषित किया जाता है।

13-6 fons kh i frfut/keMy dk nk/k

13-6-1 nk/k k vQhdk

दक्षिणी अफ्रीका के जल मामलों तथा वन विभाग के क्षेत्रीय उप-महानिदेशक सुश्री टी म्बासा की अध्यक्षता में छः सदस्यीय दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल ने 8 मई, 2007 को केंद्रीय जल आयोग का दौरा किया। केंद्रीय जल आयोग द्वारा जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग तथा राष्ट्रीय जल विकास अकादमी के क्रियाकलापों का प्रस्तुतीकरण किया गया।

13-6-2 dlfu; k

सूखा प्रबंध समन्वयकर्ता, एएलआरएमपी श्री जेम्स ओडूयर की अध्यक्षता में दस सदस्यीय एक कीनिया प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार द्वारा सूखा प्रबंधन के लिए किए गए उपक्रमों तथा आपदा संबंधी तैयारी का अध्ययन करने संबंधी अपने कार्यक्रम के तहत 21 जून, 2007 को केंद्रीय जल आयोग का दौरा किया। "बाढ़ पूर्वानुमान तथा बाढ़ प्रबंध के लिए केंद्रीय जल आयोग की भूमिका" के संबंध में प्रस्तुतीकरण पेश किया गया।

14-1 izkkyh izaku %

मानक साफ्टवेयर के अनुप्रयोग तथा प्रचालनात्मक उपयोग में और जल संसाधन तथा इससे संबंधित सांख्यिकी के डाटा बैंक के उन्नयन में सूचना प्रणाली संगठन के कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा उपयोगकर्ता निदेशालयों को तकनीकी सहायता देना जारी है। इस केन्द्र द्वारा इंटरनेट के उपयोग सहित मानक साफ्टवेयर के अनुप्रयोग तथा प्रचालनात्मक उपयोगों पर कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

14-2 dnh ty vk lx es dE; Wjhdj. k xfrfof/k la

सूचना और प्रौद्योगिकी में बहुत तेजी से प्रगति हो रही है तथा डेस्कटॉप पर उपलब्ध उत्तम सुविधाओं का स्तर इतना बढ़ गया है कि कुछ वर्ष पहले इसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग की अवसंरचना के आधुनिकीकरण के संबंध में योजना बनाई गई है। ई-गवर्नेन्स का कार्यान्वयन करने के साथ-साथ स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग का विश्लेषण/अभिकल्प/संख्या-माडलिंग तथा जल संसाधन संबंधी सूचना प्रसार के क्षेत्रों को कुशल एवं प्रभावी बनाने पर ध्यान दिया गया है। ग्यारहवीं योजना काल के प्रथम वर्ष के अंत तक सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी सामानों के रख-रखाव तथा लेन (एलएएन) के विस्तार के लिए कुल 46.77 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

केंद्रीय जल आयोग के "संगम" नामक इन्ट्रानेट पोर्टल के कार्यान्वयन संबंधी कार्य अग्रसर है। केंद्रीय जल आयोग के साफ्टवेयर प्रबंधन निदेशालय द्वारा बांध सुरक्षा कार्यकलापों के राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस प्रबंधन के वास्ते एक साफ्टवेयर का आंतरिक विकास किया गया है।

14-2 ty l d k/ku vka/Ms

14-2-1 ty&foKkuh vka/Ms

त्वरित रूप से आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु सूचना प्रणाली संगठन के अंतर्गत जल विज्ञानीय आंकड़ा निदेशालय द्वारा अवर्गीकृत बेसिनों के लिए जल-विज्ञानीय आंकड़ों का एक एकीकृत केन्द्रीय आंकड़ा बैंक का रख-रखाव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त "जल विज्ञानीय आंकड़ा पुस्तक-2005" भी केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है जिसमें निम्नलिखित सूचना दी गई है:-

1. विभिन्न नदी बेसिनों का विवरण
2. आवासादीकरण सांख्यिकी
3. जल गुणवत्ता सांख्यिकी
4. भूमि उपयोग सांख्यिकी

आंकड़ों के और आगे विश्लेषण में रुचि रखने वाले प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंकड़ा बैंक अद्यतन किया गया।

जल-विज्ञान परियोजना-1 के अंतर्गत, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के आधुनिकीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया गया। क्षेत्रीय आंकड़ा केन्द्रों से वास्तविक समय आधार पर जुड़ा हुआ एक समर्पित आंकड़ा संचयन एकक नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। विभिन्न प्रायःद्वीपीय बेसिनों का मेटा डाटा ऑन लाइन पर उपलब्ध है।

14-2-2 *ty rFlk bl lsl xh/kr l kf; dh*

जल तथा इससे संबंधित संसाधनों जैसे देश के विभिन्न मौसम-विज्ञानीय उपमंडलों में वर्षा, भारत के नदी बेसिनों में जल संसाधन क्षमता, भारत में बेसिन-वार तथा राज्य-वार संचयन, राज्य-वार चरम सिंचाई क्षमता, बेसिन-वार जल विज्ञानीय एवं अवसाद प्रेक्षण तथा केन्द्रीय जल आयोग के जल गुणवत्ता केन्द्रों, से संबंधित सूचना प्रदान करने वाला डाटाबेस केन्द्रीय जल आयोग में सृजित किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त नीचे दी गई सूचना/आंकड़े भी डाटाबेस में शामिल कर लिए गए हैं।

- योजना-वार/राज्य-वार सृजित क्षमता, प्रयुक्त क्षमता, वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (सतही जल) की सिंचाई क्षमता की उपलब्धियों समेत संसाधन उपयोगिता।
- उत्पादन संबंधी निष्पादन एवं आर्थिक दक्षता।
- वृहद् एवं मध्यम सिंचाई पर राज्य-वार तथा योजना-वार वित्तीय व्यय का वित्तीय निष्पादन
- जनजातीय उप-योजना क्षेत्र (अखिल भारतीय वित्तीय प्रगति और भौतिक लाभ) के अन्तर्गत वृहद् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सामाजिक एवं पर्यावरणीय निष्पादन का संकलन किया गया तथा उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

14-2-3 *vklMack iy/fku*

निम्नलिखित प्रकाशनों को अंतिम रूप दिया गया/अंतिम रूप दिया जा रहा है।

- (i) जल तथा संबंधित सूचना पर हैंड बुक, जनवरी, 2007।
- (ii) जल तथा संबंधित सांख्यिकी-2007, जैसा जुलाई, 2007 में अद्यतन किया गया है।

“जल संसाधन सांख्यिकी” हाईपर लिंक के अंतर्गत केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

14-3 *izaku grql puk l gk rk*

जल उपलब्धता एवं समग्र विकास में शामिल, उनसे संबंधित तथा उन पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न मुद्दों के एक समन्वित क्रमबद्ध विश्लेषण एवं संश्लेषण हेतु स्थानिक तथा समय प्रवृत्त परिदृश्य के साथ आयोजकों, प्रबंधकों, प्रशासकों और अनुसंधानकों की जल संसाधन संबंधी विस्तृत आंकड़ों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु ये प्रकाशन अभिप्रेत हैं।

14-4 *vklMk cSl*

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जल संसाधन सूचना प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2007 से शुरू होने वाली एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत जल संसाधन, भूमि, कृषि तथा संबंधित मामलों के आंकड़ों समेत प्रत्येक नदी बेसिन पर आंकड़ों का रख-रखाव किए जाने के लिए आई.एस.डब्ल्यू.डी, अधिनियम, 1956 द्वारा अनिवार्य एक आंकड़ा बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। केन्द्रीय जल आयोग मुख्यालय के आंकड़ा बैंक को राज्यों के स्रोत अभिकरणों से सूचना के आनलाईन संग्रहण तथा आदान प्रदान के लिए जोड़ा जाएगा।

15-1 i f' k k k

केन्द्रीय जल आयोग, कार्मिकों के ज्ञान, तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल का विकास करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग और अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों एवं संगठनों के सेवाकालीन अधिकारियों के लिए जल से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशालाओं का प्रबंध एवं समन्वय करता है। देश के अंदर एवं बाहर, दोनों जगह आयोजित किए जाने वाले विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं आदि में केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि का प्रायोजन करके अन्य व्यावसायिक संगठनों और संस्थाओं को भी सहायता प्रदान की गई। प्रशिक्षण निदेशालय, प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर के सहयोग से नए इंजीनियरों/ग्रेजुएट/डिप्लोमा धारकों/व्यावसायिक प्रमाणपत्र धारकों के लिए प्रशिक्षु प्रशिक्षण का प्रबंध भी करता है। इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों के कुछ विद्यार्थियों को केन्द्रीय जल आयोग में प्रत्येक वर्ष व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुबंध-15-1 (क) तथा (ख) में दिए गए हैं।

15-2 i n s k u i f' k k k @ m l e q k d j . k d k D e

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए गए सहायक निदेशकों के लिए प्रवेशन प्रशिक्षण का आयोजन प्रशिक्षण निदेशालय और पुणे स्थित राष्ट्रीय जल अकादमी द्वारा भी किया जाता है। 21 वें प्रवेशन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रथम भाग 3 जुलाई, 2007 से 5 अक्टूबर, 2007 तक राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे तथा दूसरा भाग 9 अक्टूबर, 2007 से 26 नवंबर, 2007 तक केन्द्रीय जल आयोग मुख्यालय में आयोजित किया गया जिसमें 12 अधिकारियों ने भाग लिया।

वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग के नए पदोन्नति हुए अतिरिक्त सहायक निदेशकों के लिए प्रथम उन्मुखीकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे में 21 जनवरी, 2008 से 15 फरवरी, 2008 तक आयोजित किया गया जिसमें 20 अधिकारियों ने भाग लिया।

15-3 j k' V t y v d k m e h

राष्ट्रीय जल अकादमी (रा.ज.अ.), जिसका जल विज्ञान परियोजना-एक के तहत विश्व बैंक की सहायता से नवीं योजना के दौरान केन्द्रीय प्रशिक्षण एकक (सी.टी.यू.) से उन्नयन किया गया था, अब जल संसाधन इंजीनियरी कार्मिकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय जल अकादमी, जल संसाधन विकास, आयोजना एवं प्रबंधन के विभिन्न पक्षों में केन्द्रीय तथा राज्य संगठनों के सेवारत अभियंताओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा साथ ही जल संसाधन क्षेत्र में नए उभरते हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सतत् आधार में संस्थागत क्षमताएं विकसित कर रहा है।

अतिरिक्त कम्प्यूटरों की संस्थापना, अतिरिक्त कक्षाएं, आधुनिक सुविधाओं वाले पुस्तकालय की स्थापना, प्रशिक्षु अधिकारियों एवं संकाय सदस्यों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था आदि जैसी अवसंरचना के विकास से प्रशिक्षण एवं अन्य संबंधित गतिविधियां विविध रूप से बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय जल अकादमी नियमित आधार पर दीर्घावधि तथा साथ ही साथ अल्पावधि वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करती है और जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में उभरते हुए तकनीकी क्षेत्रों के विषय में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित करती है। अकादमी विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जल विज्ञानीय परियोजना-II के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने वाली एक नोडल एजेंसी भी है।

वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय जल अकादमी द्वारा कार्यशाला/संगोष्ठी सहित 29 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय जल अकादमी द्वारा विभिन्न राज्यों/केन्द्र

सरकार संगठनों के 691 अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर कुल 1005 मानस सप्ताहों में कार्य किया गया। वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय जल अकादमी द्वारा 4 कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। राष्ट्रीय जल अकादमी में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जल विज्ञानीय परियोजना -II के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्ट संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय जल अकादमी द्वारा आयोजित 29 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से नए शामिल किए गए कार्यक्रम/कार्यशालाएं निम्नलिखित हैं:-

- जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जलविज्ञानीय परियोजना-II के अंतर्गत 24-25 मई, 2007 को वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कार्यशाला।
- "वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन" संबंधी कार्यशाला (9 जून, 2007)।
- "भू-तकनीकी/जलविज्ञानीय यन्त्रीकरण" संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला (6-7 सितंबर, 2007)।
- "जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन" संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी (5-6 दिसंबर, 2007)।
- "जलविज्ञानीय अभिकल्प सहायता" संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम (10-14 दिसंबर, 2007)।
- पंचायत राज संस्थान (26-28 फरवरी, 2008)।
- जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत संगठन के गैर-अभियांत्रिकी अधिकारियों के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम।

राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान आयोजित किए गए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों का विवरण अनुलग्नक XV-(2) में दिया गया है।

वर्ष 2007-08 के दौरान नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त आयोजित किए गए मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:-

- टैंक पुनर्वास परियोजना, पाण्डिचेरी के अंतर्गत दिनांक 19.09.2007 को 35 व्यक्तियों (किसानों) के समूह द्वारा राष्ट्रीय जल अकादमी का दौरा किया गया। पाण्डिचेरी में विभिन्न टैंक संगठनों से जुड़े प्रतिभागियों, जिसमें संगठनों के अध्यक्ष तथा सचिव सम्मिलित थे, को सिंचाई क्षेत्र में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के महत्व से अवगत करवाया गया।
- जल संसाधन संसदीय स्थाई समिति के माननीय सदस्यों द्वारा 15-20 जनवरी, 2008 को पुणे और मुम्बई का दौरा किया गया। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल द्वारा काकुडी परियोजना, नारायण गांव का भी दौरा किया गया। इस दौरे की आवश्यक व्यवस्था राष्ट्रीय जल अकादमी द्वारा की गई।

15.4 वर्ष 2007-08 के दौरान देश और विदेश में प्रशिक्षण, संगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन इत्यादि के लिए प्रतिनियुक्त किए गए केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों का समेकित विवरण तालिका 15.1 में दिया गया है।

तालिका 15.1 प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी

क्र.सं.	कार्य	अधिकारियों की संख्या
1	अन्य संगठनों द्वारा भारत में आयोजित किये गए प्रशिक्षण, सेमिनार/कार्यशाला आदि के लिए अधिकारियों को प्रायोजित करना	214
2	विदेश में प्रशिक्षण, सेमिनार/कार्यशालाओं आदि के लिए अधिकारियों को प्रायोजित करना	13

- (i) केन्द्रीय जल आयोग, प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए कुछ ग्रेजुएट/डिप्लोमा/10+2 उत्तीर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षुओं को काम पर लगाता है । वर्ष 2007-2008 के दौरान 24 ग्रेजुएट इंजीनियरों/डिप्लोमा धारकों/व्यावसायिक प्रमाण पत्र धारकों को प्रशिक्षण दिया गया ।
- (ii) शैक्षणिक संस्थानों के साथ विचार-विमर्श के एक भाग के रूप में विभिन्न संस्थानों के 50 इंजीनियरों और सचिवालयी पद्धति प्रशिक्षणार्थियों को 4 से 6 सप्ताह के कार्य का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया ।
- (iii) अध्ययन परिधि के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के लाभ हेतु विभिन्न विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए गए ।

vugak&15&1%dl½

o"KZ2007&08 dsnkfku dmk ty vk lx }ljk vk kft r iB; OeA

0-1 -	lf i{k k dk Oe	iB; Oe dh vof/k	iB; Oe dk LFku	ifrlhx; k dh l d; k
1.	हिन्दी कार्यशाला	20-22 जून, 2007	नई दिल्ली	30
2.	जल गुणवत्ता प्रबोधन स्तर-दो पैरामीटर	23-27 जुलाई, 2007	नोएडा	35
3.	हिन्दी कार्यशाला	18-19 सितम्बर, 2007	नई दिल्ली	30
4.	एडीसीपी का प्रयोग करते हुए निस्सरण मापन संबंधी प्रशिक्षण	24-26 सितम्बर, 2007	हैदराबाद	10
5.	बाढ़ पूर्वानुमान के लिए मार्च-11	8-12 अक्टूबर, 2007	गांधीनगर	11
6.	एसडब्ल्यूडीइएस	23-27 अक्टूबर, 2007	नोएडा	30
7.	एसडब्ल्यूडीइएस में आंकड़ा प्रविष्टि एवं वैधीकरण	27-28 नवम्बर, 2007	लखनऊ	30
8.	एसडब्ल्यूडीइएस	7-11 जनवरी, 2008	चेन्नई	20
9.	सर्तकता संबंधी मामलों पर कैप्सूल प्रशिक्षण कार्यक्रम	15-18 जनवरी, 2008	गंगटोक	25
10.	बाढ़ पूर्वानुमान के लिए मार्च-11 गणितीय मॉडल	10-14 मार्च, 2008	गुवाहाटी	9
11.	विश्लेषण गुणवत्ता नियंत्रण(एक्यूसी) और आंकड़ा वैधीकरण	13-14 मार्च, 2008	नोएडा	35

o"KZ2007&2008 dsnkflu fofHlu i f k k k@l feulj@l akBh@l Eeyu bR, Mn dsfy,
fons k ea i frfu; Dr vf/kdfj; kd h l ph %

Ø- I -	dk De dk fo'k @LFku@vof/	ifrHlx
1.	हार्डिंग ब्रिज पर संयुक्त जलवैज्ञानिक प्रेक्षण, बंगलादेश, 9 अप्रैल से 5 जून, 2007	श्री एस बी वी सोमायाजुलु, अधिशासी अभियंता श्री धनंजय कुमार, सहायक निदेशक
2.	विश्व मौसम विज्ञानीय कांग्रेस का 15 वां सत्र, जेनेवा, स्विट्जरलैण्ड, 10-16 मई, 2007	श्री आर के गुप्ता, निदेशक
3.	विश्व जल सप्ताह 2007, स्टॉकहोम, 12 से 18 अप्रैल, 2007	श्री एस के सिन्हा, मुख्य अभियंता
4.	ग्रामीण एवं कृषि विकास और जल संसाधनों के प्रबंधन पर जी-15 उच्च स्तरीय बैठक, तेहरान, 2-4 सितम्बर, 2007	श्री आर के खन्ना, मुख्य अभियंता
5.	सलमा बांध परियोजना, अफगानिस्तान, 29 सितम्बर से 07 अक्टूबर, 2007	श्री पी के सक्सेना, निदेशक श्री एस एस बक्शी, उपनिदेशक श्री रमेश कुमार, उपनिदेशक
6.	आई एस ओ/टीसी/113 की 25वीं समूह बैठक, चीन, 22-26 अक्टूबर, 2007	श्री ए के गंजू, मुख्य अभियंता
7.	हार्डिंग ब्रिज पर संयुक्त जलवैज्ञानिक प्रेक्षण, बंगलादेश, 29 दिसम्बर 2007 से 23 फरवरी, 2008	श्री आर अजगेसन, अधिशासी अभियंता श्री कैला श्रीनादुधु, सहायक अभियंता
8.	आपदा प्रबंधन-जलवायु पूर्वानुमान पर प्रशिक्षण, यू.एस.ए., 21-25 जनवरी, 2008	श्री भोपाल सिंह, निदेशक श्री पी दोरजी, अधिशासी अभियंता

o"KZ2007&08 dsnkflu jkVt ty vdknelh iqk }kjk vk ktr i k; De

Ø- I -	if'kk k dk De	frfHk	vf/kdfj; kd h l q; k
1.	झीलों तथा जलाशयों के लिए जल गुणवत्ता प्रबंधन	16-20 अप्रैल, 2007	32
2.	जल संसाधन विकास में कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग	23-27 अप्रैल, 2007	16
3.	बहुदेशीय जल संसाधन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी	24 अप्रैल से 4 मई, 2007	24
4.	जल क्षेत्र में भू-सूचना विज्ञान का प्रयोग	1-11 मई, 2007	29
5.	स्वदेश साफ्टवेयर के प्रयोग समेत हाइड्रोमीटरी में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8-18 मई, 2007	13
6.	वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण	21-25 मई, 2007	35

7.	नदी बेसिनों के आईडब्ल्यूआरडीएम के लिए डीएसएस आयोजना	5-15 जून, 2007	22
8.	बांधों का अभिकल्प	12-22 जून, 2007	22
9.	सहभागी सिंचाई प्रबंधन में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	26-29 जून, 2007	28
10.	के ज आ के नवनियुक्त केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारियों के लिए 21 वां प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम	3 जुलाई से 5 अक्टूबर, 2007	12
11.	पर्यावरणीय प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	9-13 जुलाई, 2007	18
12.	हाईमोस साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए सतह जल आंकड़ा संसाधन	20-31 अगस्त, 2007	8
13.	जल क्षेत्र में भू-सूचना विज्ञान का प्रयोग	18-28 सितम्बर, 2007	31
14.	निष्पादन मूल्यांकन एवं बैचमार्किंग	10-12 अक्टूबर, 2007	29
15.	अपशिष्ट जल का पुनःचक्रण एवं पुनःप्रयोग	22-26 अक्टूबर, 2007	21
16.	बांध सुरक्षा यंत्रीकरण	12-16 नवम्बर, 2007	32
17.	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	15-18 नवम्बर, 2007	23
18.	जल विज्ञानीय अभिकल्प सहायक सामग्री	10-14 दिसम्बर, 2007	26
19.	बाढ़ पूर्वानुमान	10-19 दिसम्बर, 2007	26
20.	सिंचाई परियोजनाओं का सामाजिक आर्थिक विश्लेषण	17-21 दिसम्बर, 2007	9
21.	केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा/केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए छठा प्रबंधन विकास कार्यक्रम	7-11 जनवरी, 2007	17
22.	हाइमोस साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए एसडब्ल्यूडीईस में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8-18 जनवरी, 2008	16
23.	केंद्रीय जल आयोग के नव-पदोन्नत अतिरिक्त सहायक निदेशकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम	21 जनवरी-15 फरवरी, 2008	20
24.	पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	26-28 फरवरी, 2008	17
25.	जल क्षेत्र में भू-सूचना विज्ञान का प्रयोग	4-14 मार्च, 2008	20
26.	जल विभाजक विकास संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	10-14 मार्च, 2008	17
	<i>dk Zkyk @l feuh</i>		
27.	"वर्षा में परिवर्तन" संबंधी कार्यशाला	9 जून, 2007	50
28.	"भू-तकनीकी/जल वैज्ञानिक यंत्रीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला	6-7 सितम्बर, 2007	40
29.	जलवायु परिवर्तन अपनाने संबंधी राष्ट्रीय सेमिनार	5-6 दिसम्बर, 2007	38
		कुल प्रशिक्षित अधिकारी	691

16-1- vuqll fud ekeys

केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से संबंधित प्राप्त हुए सतर्कता/अनुशासनिक मामलों तथा शिकायतों पर तत्काल समुचित ध्यान दिया गया । वर्ष 2007-2008 के दौरान 08 शिकायतें प्राप्त हुई जिनकी जांच की गई । 12 मामलों में अंतिम निर्णय लिए गए जिसमें से 5 मामलों में कर्मचारियों को दोषी पाया गया तथा उन्हें छोटा/बड़ा दण्ड दिया गया । विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संदर्भ में सतर्कता/अनुशासनिक मामलों का विवरण इस प्रकार है :-

अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणी

क्र.स.	विवरण	श्रेणी 'क'	श्रेणी 'ख'	श्रेणी 'ग'	श्रेणी 'घ'
क.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या	22	16	18	5
ख.	वर्ष के दौरान शामिल किए गए मामलों की संख्या	4	—	1	3
ग.	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	4	1	5	2
घ.	वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या (क+ख-ग)	22	15	14	6

केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में दिनांक 12.11.2007 से 16.11.2007 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया ।

16-2 f'kd; rkd; fui Vlu

केन्द्रीय जल आयोग में सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान संबंधी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं । सचिव, केन्द्रीय जल आयोग को सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित ऐसे मामलों, जिनका निपटान सामान्य माध्यमों से नहीं हो सका है, के निपटान हेतु कर्मचारी शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है । सार्वजनिक तथा कर्मचारियों से संबंधित दोनों प्रकार की शिकायतों का निपटान उचित रूप से किया गया है ।

31.3.2008 तक शिकायत के 86 मामलों में से 56 मामलों का निपटान किया गया तथा 30 मामले लंबित हैं ।

केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में कार्यरत महिला कर्मचारियों के साथ-साथ इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान हेतु अवर सचिव की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है ।

v/; k & l=g

fofHlu l fefr; kae dthz ty vk lx dk i frfu/AB

17-1 *dst -vk ds vf/kdkj; k}lk i frfu/kr l fefr; ka*

केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष, एवं सदस्य, अन्य संगठनों की विभिन्न तकनीकी समितियों में अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी समितियों की सूची नीचे दी गई है :-

क्र सं	समिति/बोर्ड/ पैनल/तकनीकी समूह आदि का नाम	के.ज.आ. का प्रतिनिधित्व	
		अधिकारी	समिति में पद
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, पुणे की शासी परिषद के लिए तकनीकी सलाहकार समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
2.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की तकनीकी सलाहकार समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
3.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य(जल आयो.एवं परि.) सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष सदस्य सदस्य
4.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अन्तर्बसिन जल अंतरण प्रस्तावों पर राज्यों के बीच सहमति बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु समूह	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य(जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष सदस्य
5.	बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (एनसीडीएस)	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष उपाध्यक्ष
6.	बी आई एस की जल संसाधन मण्डलीय परिषद (डब्ल्यू आर डी सी)	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष सदस्य
7.	भाखड़ा नांगल और ब्यास परियोजना (सिंचाई स्कंध) के संगठन और पद्धति से संबंधित समस्याओं पर सलाह देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
8.	राष्ट्रीय जल बोर्ड का कार्य समूह	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य(जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष उपाध्यक्ष
9.	जल विज्ञान पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आई एन सी ओ एच)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
10.	सिंचाई और जलनिकास पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (इनसिड)	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष सदस्य
11.	1.जैन-इनसिड सूक्ष्म सिंचाई पुरस्कार 2.जैन-इनसिड कृषि सिंचाई विकास पुरस्कार के लिए चयन समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष

12.	बेतवा नदी बोर्ड की कार्यकारी समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष सदस्य
13.	बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की कार्यकारी समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य(जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष सदस्य
14.	बाणसागर जलाशय की नियामक समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य(जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष उपाध्यक्ष
15.	शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर स्थाई समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
16.	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की पर्यावरण/वन स्वीकृति तेजी से प्राप्त करने हेतु समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
17.	राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे का सलाहकार बोर्ड	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
18.	केंद्रीय जल आयोग की कार्यालय परिषद	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (ज.आ.एवं.परि.) सदस्य (अभि एवं अनु.) सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य
19.	सिंचाई में निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ को इष्टतम बनाने से संबंधित समस्याओं संबंधी आई.सी.ए.आर.-के.ज.आ. का संयुक्त पैनल	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य(ज.आ. एवं परि.)	अध्यक्ष/सह अध्यक्ष सदस्य
20.	पंचेष्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पर विशेषज्ञों का संयुक्त दल	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (नदी प्रबंध)	दल नेता विशिष्ट आमंत्रित
21.	जल संसाधन आवश्यकताओं और शहरी क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए संचालन समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष सदस्य
22.	केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला के लिए शासी परिषद	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य(अभि. एवं अनु.)	उपाध्यक्ष सदस्य

23.	अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग	अध्यक्ष, के.ज.आ.	उपाध्यक्ष
24.	बाढ़ प्रबंधन के समेकित अभिगमों पर आई.सी.आई.डी. कार्य समूह (डब्ल्यू.जी.-सी.ए. एफ.एम.)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
25.	जल संसाधन मंत्रालय की विभागीय परिषद	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
26.	केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, पुणे की शासी परिषद	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
27.	राष्ट्रीय जल विज्ञान सोसाइटी संस्थान	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य(अभि. एवं अनु.)	सदस्य सदस्य
28.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का शासी निकाय	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
29.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना(एन.आर.सी.पी.) की प्रबोधन समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
30.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना(एन.आर.सी.पी.) की संचालन समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
31.	जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण (डब्ल्यू.क्यू.ए.ए.)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
32.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड का उच्च अधिकार प्राप्त पुनरीक्षा बोर्ड	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (नदी प्रबंध)	सदस्य स्थायी आमंत्रित
33.	राष्ट्रीय निर्माण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (एन.आई.सी.एम.ए.आर.) की शासक समिति (बी.ओ.जी.)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
34.	जल संसाधन पर भारत-नेपाल संयुक्त समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
35.	फरक्का बराज नियंत्रण बोर्ड	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
36.	सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य आमंत्रित
37.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण संस्था	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (अभि एवं अनु.) सदस्य (ज.आ.एवं.परि.)	सदस्य सदस्य सदस्य

38.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का शासी निकाय	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (ज.आ.एवं.परि.) सदस्य (अभि एवं अनु.)	सदस्य सदस्य सदस्य
39.	राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का राष्ट्रीय जल बोर्ड (एन.डब्ल्यू.बी.)	अध्यक्ष,के.ज.आ. सदस्य (ज. आ.एवं.परि.)	सदस्य सदस्य सचिव
40.	यमुना नदी के न्यूनतम प्रवाह के रखरखाव हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच.पी.सी.)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
41.	कावेरी प्रबोधन समिति (सी.एम.सी.)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
42.	योजना आयोग की राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली की आयोजना समिति (पी. सी.-एन .एन.आर.एम.एस) की जल संसाधन पर स्थायी समिति (एस सी डब्ल्यू)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
43.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देश्यीय परियोजना प्रस्तावों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करने हेतु सलाहकार समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (ज.आ.एवं.परि.) सदस्य (नदी प्रबंध) सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य विशेष आमंत्रित विशेष आमंत्रित विशेष आमंत्रित
44.	गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड	अध्यक्ष, के.ज.आ.	आमंत्रित
45.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	अध्यक्ष, के.ज.आ.	आमंत्रित
46.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	आमंत्रित
47.	बेतवा नदी बोर्ड	अध्यक्ष, के.ज.आ.	आमंत्रित
48.	बाणसागर कंट्रोल बोर्ड	अध्यक्ष, के.ज.आ.	आमंत्रित
49.	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
50.	राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
51.	रिहन्द बांध के लिए संयुक्त प्रचालन समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
52.	बेतवा नदी बोर्ड की संविदा कार्य उप समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
53.	बाणसागर कंट्रोल बोर्ड के सामान और उपकरणों की खरीद के लिए निविदाओं और प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए उप-समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
54.	राजघाट बांध परियोजना के मिट्टी बांध-भूखंड में मैसर्स एच.एस.सी.एल के दावों पर विचार करने के लिए अधिकारियों की उप समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
55.	बेतवा नदी बोर्ड के मैसर्स एन.पी.सी.सी. लिमिटेड के दावों का निपटान करने हेतु समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
56.	बाण सागर नियंत्रण बोर्ड के ठेकेदारों के दावा मामलों की जांच और कार्रवाही करने के लिए उप-समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष

57.	प्रस्तावित तिपाईंमुख बहुउद्देशीय परियोजना के असंरचनात्मक पक्षों के लिए प्रबोधन समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
58.	सामाजिक-आर्थिक, कृषि-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन पर तकनीकी सलाहकार समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
59.	पंचाट बोर्डों में मध्यस्थों के चयन के लिए छानबीन समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
60.	चांडिल बांध और गलुडिह बराज की संयुक्त नियामक समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
61.	खरकाई बांध की संयुक्त नियामक समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
62.	सिंचाई, निष्पादन मूल्यांकन, इतिहास, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास पर उप-समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
63.	के.ज.आ. की स्थाई परियोजना मूल्यांकन समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
64.	जल संसाधन आयोजना प्रबंधन और मूल्यांकन सेक्शनल समिति-डब्ल्यू आर डी-06 (बी आई एस)	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
65.	एक समान रूप में सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता की सिंचाई के आंकड़ों की रिपोर्टिंग के लिए मार्गदर्शिकाओं की रिपोर्टिंग हेतु समेकित जल संसाधन विकास कार्यबल पर राष्ट्रीय आयोग (एन सी आई डब्ल्यू आर डी पी) की सिफारिश	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
66.	देश (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र) में बाढ़ प्रबंध के लिए कार्यबल	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
67.	हथिनीकुंड बराज के लागत बंटवारे हेतु समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
68.	आमंत्रित आरक्षित वर्ग के तहत अनुसंधान विषयों के लिए उप-समूह-1	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
69.	वर्षा जल संचयन के लिए उप-समूह-2	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
70.	पुनर्गठित यू पी/उत्तरांचल राज्यों के लिए समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
71.	पुनर्गठित बिहार/झारखंड राज्यों के लिए समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
72.	ऊपरी यमुना पुनरीक्षण समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य सचिव
73.	क्षमता निर्माण पर इनसिड का कार्य समूह	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
74.	सामाजिक-आर्थिक प्रभावों एवं नीति संबंधी मुद्दों पर कार्य दल (आई सी आई डी)	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
75.	जल के विविध प्रयोग के संबंध में समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य जल आयोजना और समन्वय के लिए स्थायी समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
76.	डब्ल्यू पी सं. 914/96 (सेक्टर 14 निवासी कल्याण संघ नोएडा बनाम संघ सरकार तथा अन्य) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य

111.	तीस्ता पर निर्मित विभिन्न जल-विद्युत परियोजनाओं से निर्मुक्ति के नियमन का अध्ययन करने हेतु उच्च स्तरीय समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
112.	भूटानी डायरा (पश्चिम बंगाल) और मजोली द्वीप (आसाम) की कटाव समस्या के अध्ययन हेतु समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
113.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा शुरू किए जाने वाले बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव रोधी कार्यों के लिए मार्गदर्शिकाएं तथा योजनाओं की प्राथमिकता तैयार करने वाली स्थायी समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
114.	सी एस एम आर एस, नई दिल्ली की शासिक परिषद की स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
115.	यंत्रिकरण केंद्र (आई डी सी) के लिए यंत्र तथा कार्य प्रतिरूपों की अधिप्राप्ति हेतु तकनीकी समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
116.	राष्ट्रीय ष्वेल यांत्रिकी संस्थान (एन आई आर एम) का ष्वासी निकाय	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
117.	राष्ट्रीय ष्वेल यांत्रिकी संस्थान (एन आई आर एम) का सामान्य निकाय	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
118.	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण का प्रबंधन बोर्ड	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
119.	सीमेंट और बिल्डिंग सामग्री राष्ट्रीय परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति (आर ए सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
120.	कोयना बांध एवं इसके अनुबद्ध कार्यों तथा कोयना विद्युत समेत उपकरण/मशीनरी उत्पन्न करने के लिए परामर्षदाता बोर्ड	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
121.	द्रविकी अनुसंधान पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आई एन सी एच)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
122.	आर एण्ड डी कार्यान्वयन और प्रबोधन समिति (आर आई एम सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
123.	नदी घाटी परियोजनाओं के भूकम्पीय अभिकल्प पैरामीटरों पर राष्ट्रीय समिति (एन सी एस डी पी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
124.	बी आई एस की डब्ल्यू आर डी 09, बांध एवं जलाशय सेक्शनल समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
125.	बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना(डी आर आई पी) हेतु राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (एन एल एस सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
126.	बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना(डी आर	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष

	आई पी) हेतु तकनीकी समिति (टी सी)		
127.	पी एम पी एटलस की तैयारी के लिए तकनीकी सलाहकार एवं पुनरीक्षण समिति (टी ए आर सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
128.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एन आई एच सोसाईटी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
129.	जल विज्ञान संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समिति (इनकोह)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
130.	इनकोह की संचालन समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
131.	विश्व मौसम विज्ञानीय संस्था	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	प्रतिनिधि
132.	बड़े बांधों, भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
133.	टिहरी जल विकास निगम निदेशक बोर्ड	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अंशकालिक निदेशक
134.	ऊर्जा पर भारत-फ्रांस कार्यसमूह	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
135.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी समूह	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
136.	भारतीय मानक ब्यूरो, डब्ल्यू आर डी-15	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
137.	फरक्का बराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
138.	ताला जल विद्युत परियोजना, भूटान की तकनीकी समन्वय समिति (टी सी सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सह अध्यक्ष
139.	ताला जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण (टी एच पी ए), भूटान की परिषद बैठक	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	आमंत्रित
140.	विद्युत योजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की स्वीकृति के लिए सी ई ए की समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	स्थायी विषिष्ट आमंत्रित
141.	एन एच पी सी निष्पादन पुनरीक्षण समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
142.	फरक्का बराज परियोजना की निविदा समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
143.	फ्लाइंग एश उपयोग कार्यक्रम-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित तकनीकी सलाहकार समूह (एफएयूपी-टीएजी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
144.	फरक्का बराज परियोजना की प्रगति के प्रबोधन संबंधी समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
145.	बगलिहार जल विद्युत परियोजना (जम्मू एवं कश्मीर) से संबंधित तकनीकी/विधिक मामलों की जांच हेतु समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
146.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण संबंधी पुनरीक्षा समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	आमंत्रित

17-2 *dn egbi wZl fefr; k ds dk & dyki*

17-2.1 *jkVfr ty fodkl vffkdj. k dh rduldh l ygdj l fefr*

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, एनडब्ल्यूडीए की तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं तथा सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना) तथा सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग, इसके सदस्य हैं ।

तकनीकी सलाहकार समिति की 36वीं बैठक 19 जुलाई, 2007 को हुई । जिसमें निम्नलिखित रिपोर्टों के तकनीकी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया :

- उकई बांध तक तापी बेसिन का प्रारंभिक जल संतुलन अध्ययन ।
- पार-तापी-नर्मदा सम्पर्क परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट ।
- पार्वती-कालीसिंध-चंबल संपर्क परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट ।
- महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडर संपर्क की एक संपर्क प्रणाली की व्यवहार्यता रिपोर्ट ।
- दमन गंगा-पिन्जल संपर्क परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट ।
- एन पी पी के हिमालयी नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययनों की स्थिति ।
- जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का संपर्क परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट ।
- एन पी पी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययनों की स्थिति ।
- केन्द्रीय जल आयोग के साथ परामर्श में एन डब्ल्यू डीए के जल संतुलन अध्ययनों को अंतिम रूप देना ।

17-2.2 , *uvkbZp & rduldh l ygdj l fefr*

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा एनआईएच के अनुसंधान कार्यक्रम तथा अन्य तकनीकी कार्यक्रमों का प्रबोधन एवं दिशा-निर्देशन किया गया । सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) तथा मुख्य अभियंता, जल विज्ञानीय अध्ययन संगठन इसके सदस्य हैं । तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा सतही जल, भू-जल एवं जल वैज्ञानिक प्रेक्षण एवं यंत्रीकरण पर 3 कार्य दलों से मंतव्य (फीड-बैक) प्राप्त किया जाता है। मुख्य अभियंता, एचएसओ तथा मुख्य अभियंता, बीपीएमओ, सतही जल समूह के सदस्य हैं तथा मुख्य अभियंता (पी एण्ड डी), जल विज्ञानीय प्रेक्षण तथा यंत्रीकरण समूह के सदस्य हैं । तकनीकी सलाहकार समिति की 56वीं बैठक एन आई एच, रूड़की में 05.04.2007 को हुई। तकनीकी सलाहकार समिति की 57वीं बैठक एन आई एच, रूड़की में 12.09.2007 तथा 58वीं बैठक 18.03.2008 को नई दिल्ली में हुई। एन आई एच (सतही जल) के सतही जल कार्यकारी समूह की 26वीं, 27वीं एवं 28वीं बैठकें क्रमशः 26-27.09.2007, 9-10.10.2007 तथा 14-15.02.2008 एन आई एच, रूड़की में हुई।

17-2.3 *dnfr ty , oafog vuq alk'kyk & rduldh l ygdj l fefr*

तकनीकी सलाहकार समिति का गठन मुख्यतः द्रविकी अनुसंधान के क्षेत्र में सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य तथा तकनीकी मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से किया गया था । तकनीकी सलाहकार समिति में विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के 17 सदस्यों को लिया गया है । अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इसके अध्यक्ष हैं । सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग इसके एक सदस्य हैं। तकनीकी सलाहकार समिति की 29वीं बैठक अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में पुणे में 27 जून, 2007 को हुई। समिति के सदस्य-सचिव ने दसवीं योजना अवधि के दौरान पांच योजनाओं के तहत उद्देश्यों एवं गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण दिया ।

17-24 QjDdk cjkt ifj; kt uk & rdudlh lygdli 1 febr

सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में फरक्का बराज परियोजना—तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। इस बैठक में परियोजना के विभिन्न कार्यों के दक्ष एवं सुरक्षित निष्पादन हेतु निर्णय लिए जाते हैं। समय—समय पर विभिन्न समस्याएं, विशेष अध्ययन तथा अभिकल्प से संबंधित कार्य अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध को भेजे गए। सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) ने समय—समय पर फरक्का बराज परियोजना प्राधिकारियों से विचार—विमर्श किया और फरक्का बराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति की अध्यक्षता की। गंगा नदी के कटाव सुरक्षा कार्य करने हेतु फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह में 40 किलो मीटर तक तथा अनुप्रवाह में 80 किलो मीटर तक फरक्का बराज परियोजना का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान दो तात्कालिक बैठकें की गईं।

पश्चिम बंगाल के मालदा, उत्तरी दिनाजपुर एवं दक्षिणी दिनाजपुर जिलों में फुल्हर, महानंदा, कुलिक, नागर, टंगन, पुनर्भवा एवं अटरई के साथ सात प्राथमिकता प्राप्त नदी योजनाओं के निष्पादन संबंधी निर्णय लेने के लिए फरक्का बराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति की प्रथम तात्कालिक बैठक सदस्य (अभि. एवं अनु.) की अध्यक्षता में दिनांक 24.05.2007 से 26.05.2007 तक फरक्का में हुई।

बीरनगर एवं मानिकचाक घाट के निकट फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह में बाएं तट पर कटाव रोधी उपायों संबंधी निर्णय लेने हेतु फरक्का बराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति की दूसरी तात्कालिक बैठक सदस्य (अभि. एवं अनु.), के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 25.01.2008 को नई दिल्ली में हुई।

17-25 dñh; eink, oal kexh vuq akku 'kkyk dh LFkbZrdudlh lygdli 1 febr

स्थाई तकनीकी सलाहकार समिति का गठन मुख्यतः केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला में की जा रही अनुसंधान स्कीमों की तकनीकी जांच में सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य तथा मार्गदर्शन देने हेतु किया गया था। स्थाई तकनीकी सलाहकार समिति में विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के 11 सदस्यों को लिया गया है तथा इसके अध्यक्ष, सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग हैं।

17-26 Hkjrht jk'Vht tyht vuq akku 1 febr kbZ, u 1 h, p½

जल संसाधन मंत्रालय में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की आयोजना तथा प्रबोधन, विज्ञान एवं तकनीकी सलाहकार समिति (एस.टी.ए.सी.); (क) जलविज्ञान, (ख) सिंचाई एवं अपवाह, (ग) जलीय अनुसंधान, (घ) भू-तकनीकी अभियांत्रिकी, (ङ.) निर्माण सामग्री एवं संरचनाओं संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समितियों के सहयोग से स्थायी सलाहकार समिति (एस.ए.सी.) द्वारा की जाती हैं। जलीय अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाली जल संसाधन मंत्रालय, द्वारा गठित पांच राष्ट्रीय समितियों में से एक है जिसका उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन, जलीय संरचना और नदी द्रव इंजीनियरी, पर्यावरणीय द्रव इंजीनियरी, अपवाह और सुधार, तटीय तथा ज्वारनदमुखीय हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक्स मशीनरी, नगर जल आपूर्ति, बंदरगाहों एवं पोताश्रयों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना है। जलीय अनुसंधान संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समिति को उपर्युक्त क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने और निधिकरण का कार्य सौंपा गया है। सदस्य (अभि. एवं अनु.) इस समिति के अध्यक्ष हैं।

भारतीय राष्ट्रीय जलीय अनुसंधान समिति में विभिन्न केन्द्र एवं राज्य अनुसंधान संस्थानों से प्रतिनिधियों समेत हाइड्रोलिक्स क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल हैं। केन्द्रीय जल आयोग का एफ.ई. एण्ड एस.ए. निदेशालय सचिवालय के रूप में कार्य करता है। सचिवालय द्वारा प्राप्त अनुसंधान प्रस्तावों और चल रही अनुसंधान योजनाओं के प्रबोधन एवं समीक्षा हेतु विचार—विमर्श करने के लिए समय—समय पर अनुसंधान एवं विकास सत्र एवं बैठकें आयोजित की जाती हैं।

वर्ष के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के तहत वित्तपोषण हेतु सचिवालय द्वारा प्राप्त 5 नए अनुसंधान प्रस्तावों में से 3 प्रस्तावों को विशेषज्ञों के पास उनकी टिप्पणियों हेतु भेजा गया तथा 2 को अध्यक्ष, आई.एन.सी.एच. की अनुमति से वापस भेज दिया गया क्योंकि वे आई.एन.सी.एच. के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। अप्रयुक्त राशि के पुनः वैधीकरण और चल रही परियोजनाओं के लिए समय विस्तार हेतु सेवा अनुग्रह जल संसाधन मंत्रालय को भेज दिया गया। चल रही अनुसंधान योजनाओं (12 सं.) को उनकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के लिए प्रबोधन किया गया।

आई एन सी एच की 16वीं बैठक एवं 7 वां अनुसंधान एवं विकास सत्र पुणे में दिनांक 27-28 मार्च, 2008 तक आयोजित किया गया।

17-2-7 Hkjrlt jkVt ty foKku l fefr

वर्ष 1982 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति का गठन किया गया था। यह एक शीर्ष निकाय है, जो देश में जल विज्ञान से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इस समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति के सदस्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के साथ-साथ शैक्षणिक एवं अनुसंधान संगठनों के विशेषज्ञों में से लिए जाते हैं, इसके अलावा कुछ सदस्य गैर-सरकारी व्यवसायिक संगठनों से भी लिए जाते हैं। समिति को राज्यों से मंतव्य (फीड-बैक) प्राप्त होता है तथा राज्य समन्वयकों के माध्यम से राज्य स्तर पर कार्य-कलापों का समन्वय किया जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति यूनेस्को द्वारा प्रायोजित अन्तर्राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। समिति की सामान्यतः वर्ष में दो बैठकें होती हैं, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में 33वीं बैठक का आयोजन 19.12.2007 को नई दिल्ली में किया गया।

2007-08 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति की उप समिति की बैठकें इस प्रकार हैं:-

(क) संचालन समिति- यह भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति की एक उप समिति है। सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) इसके अध्यक्ष हैं तथा मुख्य अभियंता (जल विज्ञानीय अध्ययन संगठन) इस उप समिति के सदस्य हैं। इस उप-समिति की 26वीं बैठक 17.07.2007 को नई दिल्ली में हुई।

(ख) अनुसंधान समिति (सतही जल)- यह भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति की एक उप समिति है। निदेशक, जल विज्ञान (बांध सुरक्षा पुनर्वास) इस उप-समिति के सदस्य हैं। इस उप समिति की 16वीं बैठक 03.12.2007 को राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की में हुई।

17-2-8 Hkjrlt jkVt fl plbZ, oat y fudkl l fefr wkbZul lwkbMh

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 1990 में भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग को भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकास समिति (इनसिड) का अध्यक्ष तथा सदस्य, (जल आयोजना एवं परियोजना) को इसका सदस्य बनाया गया है। इनसिड का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत में इनसिड द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग (आईसीआईडी) के लक्ष्य तथा कार्य-कलापों का अनुसरण किया जाता है। यह सिंचाई एवं जल-निकास क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के कार्य-कलापों की भी जांच करती है। अनुसंधान स्कीमों को बढ़ावा देने तथा इन्हें तुरन्त तैयार एवं प्रबोधन करने के लिए इनसिड की निम्नलिखित चार उप-समितियों का गठन किया गया है :-

- (एक) सिंचाई निष्पादन मूल्यांकन, इतिहास, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास ।
- (दो) फसल, जल उपयोग एवं सूखा प्रबंधन, सूक्ष्म तथा यंत्रीकृत सिंचाई ।
- (तीन) बाढ़ प्रबंध, जल-निकास तथा पर्यावरण प्रभाव और
- (चार) निर्माण, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण, प्रचालन, रख-रखाव एवं प्रबंधन ।

इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक अनुसंधान पर कार्य करने हेतु दो उप-समूह तथा एक कार्यकारी समूह गठित किए गए।

वर्ष के दौरान सिंचाई एवं अपवाह संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समिति की गतिविधियां निम्न प्रकार रहीं :-

- अपनी गतिविधियों के प्रचार हेतु वर्ष के दौरान, इनसिड ने तिमाही सूचना पत्र : "इनसिड न्यूज" तथा वार्षिक रिपोर्ट का नियमित प्रकाशन किया।
- सिंचाई एवं जलनिकास के क्षेत्र में विषिष्ट योगदान देने वाले संस्थानों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, कृषिविज्ञानियों, अर्थशास्त्रियों इत्यादि को प्रोत्साहित करने के लिए इनसिड ने "जैन-इनसिड पुरस्कारों" की संस्थापना की। यह पुरस्कार, संस्थानों और व्यक्तियों को एकांतर वर्षों में प्रदान किए जाते हैं।
- "बाढ़ प्रबंधन, जल निकास एवं पर्यावरणीय प्रभाव" के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास स्कीमों के चयन एवं प्रबोधन हेतु सदस्य (नदी प्रबंध), के.ज.आ. की अध्यक्षता वाली बाढ़ प्रबंधन, जलनिकास एवं पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी इनसिड उप-समिति-III की 9वीं बैठक 12.11.2007 को हुई।
- " सिंचाई निष्पादन मूल्यांकन, इतिहास, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास " के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास स्कीमों के चयन एवं प्रबोधन हेतु सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), के.ज.आ. की अध्यक्षता वाली सिंचाई निष्पादन मूल्यांकन, इतिहास, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास संबंधी इनसिड उप समिति-I की 11 वीं बैठक 04.03.2008 को हुई।
- चल रही अनुसंधान एवं विकास स्कीमों की प्रगति की समीक्षा के लिए इनसिड का 8वां अनुसंधान एवं विकास सत्र हैदराबाद में 18-19 फरवरी, 2008 तक आयोजित किया गया जहाँ सभी प्रमुख अन्वेषकों ने अपना प्रस्तुतीकरण किया।

17-2-9 fo'o ty if'kn

विश्व जल परिषद एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जो जल पर नीति तैयार करती है और उसे अनुमोदित करती है। केन्द्रीय जल आयोग इस संगठन का सदस्य है। भारत में विश्व जल परिषद के कार्य-कलापों को बढ़ावा देने के लिए विश्व जल परिषद का केन्द्र नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। विश्वव्यापी जल सहभागिता एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है, जो स्वरूप में अर्ध-सरकारी है और विश्व स्तर पर जल के नीति संबंधी दस्तावेजों पर विचार-विमर्श करती है और आगे विचार हेतु इसे विश्व जल परिषद को प्रस्तुत करती है। भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकास समिति भारत की ओर से विश्व जल सहभागिता का सदस्य है। दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्र की तकनीकी सलाहकार समिति के साथ एक क्षेत्रीय जल सहभागिता है। देश स्तर पर एक गैर-सरकारी संगठन बनाया गया है, जिसका नाम भारत जल सहभागिता रखा गया है। केन्द्रीय जल आयोग का भारतीय जल सहभागिता - संचालन समिति में प्रतिनिधित्व है। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इस संचालन समिति के सदस्य हैं। सिंचाई आयोजना (दक्षिण) निदेशालय विश्व जल परिषद से संबंधित सभी कार्यों के लिए एक नोडल निदेशालय के रूप में कार्य करता है। विश्व जल परिषद, नई दिल्ली केन्द्र की एक महत्वपूर्ण गतिविधि गहन विचार सत्र का आयोजन करना है।

17-2-10 vlrjkwZ fl pkbZ, oat y&fudld vk lx

अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकास आयोग एक गैर-सरकारी संगठन है, जिसमें 80 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकास आयोग का एक संस्थापक सदस्य है। अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकास आयोग का लक्ष्य विश्व में दीर्घकालीन कृषि हेतु व्यापक परियोजनाओं को ग्रहण करके और उन्नत तकनीकी को बढ़ावा देकर अनुसंधान और विकास एवं क्षमता निर्माण के साथ सिंचाई जल-निकास, बाढ़ नियंत्रण और नदी नियंत्रण अनुप्रयोगों के प्रबंधन में कला, विज्ञान, अभियांत्रिकी की तकनीकें, कृषि, अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और समाजविज्ञान के विकास को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है।

U vtrjzvtr fl plbz, oat y&fudkl vk lx ds vtrxt I fefr; k@dk zy

अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकास आयोग द्वारा विभिन्न समितियां/कार्यदलों का गठन किया गया है, जिनमें उपर्युक्त कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकास आयोग की समितियों/कार्य दलों में केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	समिति का नाम	सदस्य
1.	कार्यनीति आयोजना एवं संगठनात्मक कार्यों पर स्थायी समिति (पी सी एस पी ओ ए)	अध्यक्ष, के.ज.आ. एवं इनसिड
2.	तकनीकी गतिविधियों पर स्थायी समिति (पी सी टी ए)	अध्यक्ष, के.ज.आ. एवं इनसिड
3.	बाढ़ प्रबंधन के लिए समेकित दृष्टिकोण पर कार्यकारी दल (डब्ल्यू जी-सी ए एफ एम)	अध्यक्ष, के.ज.आ. एवं इनसिड
4.	क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और शिक्षा पर कार्यकारी दल (डब्ल्यू जी-सी बी टी ई)	अध्यक्ष, के.ज.आ. एवं इनसिड
5.	जन संपर्क एवं प्रकाशन पर समिति	सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), के.ज.आ.
6.	सिंचाई, जल निकास तथा बाढ़ नियंत्रण के इतिहास संबंधी कार्यकारी दल (डब्ल्यू जी-एच आई एस टी)	मुख्य अभियंता (पोमियो), के.ज.आ.

17-2-11 Hkgrtr d'k , oa vuq akku if'kn Hkcd; oa vuqifj-&dthtr ty vk lx Ia@r isiy

कृषि मंत्रालय के फसल मौसम निगरानी समूह की बैठकों में केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व है, जिनमें के.ज.आ. द्वारा प्रबोधित 81 प्रमुख जलाशयों में जल की कमी की स्थिति से अवगत कराया गया।

भा.कृ.एवं अनु.परि.-केन्द्रीय जल आयोग संयुक्त पैनल का गठन पहली बार मार्च, 1979 में तीन वर्षों की अवधि के लिए मुख्य रूप से प्रभावी जल उपयोग प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने तथा वृहत्, मध्यम, लघु और अन्य सिंचाई कार्यक्रमों के तहतषामिल क्षेत्रों में सिंचाई पर हुए निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु उपाय सुझाने की दृष्टि से भा.कृ.एवं अनु.परि. द्वारा किया गया था। पैनल के कार्यों में सिंचाई कमानों में पर्याप्त एवं प्रभावी कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तारीकरण सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। प्रति इकाई जल से पैदावार को इष्टतम बनाने की दृष्टि से यह पैनल कृषि विष्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, केन्द्र

एवं राज्य भू-जल संगठनों तथा अन्योँ द्वारा किए गए कार्यों की भी समीक्षा करता है । तीन वर्षों की इसकी अवधि के समाप्त होने के पश्चात, इस पैनल को अब तक आठ बार पुनर्गठित किया गया है । महानिदेशक, भा.कृ.एवं अनु.परि. पहले एवं तीसरे वर्ष में पैनल के अध्यक्ष रहते हैं और अध्यक्ष, के.ज. आ. दूसरे वर्ष में पैनल के अध्यक्ष रहते हैं। केंद्रीय जल आयोग-भा.कृ. एवं अनु. परि. के संयुक्त पैनल का पुनर्गठन किया गया। नव गठित आठवें पैनल की प्रथम बैठक 03 मई, 2007 को आयोजित की गई।

17-2-12 Hhgrh ekud C jks %h/vbZl ½

केन्द्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में एक शीर्षस्थ तकनीकी निकाय होने के नाते भारतीय मानक ब्यूरो के जल संसाधन प्रभाग (डब्ल्यूआरडी) तथा सिविल इंजीनियरी प्रभाग (सीईडी) के कार्यकलापों में अपनी सहभागिता के माध्यम से जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन तथा इसके संबद्ध क्षेत्रों में मानकों का निरूपण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्तमान में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन प्रभाग परिषद के अध्यक्ष हैं। के.ज.आ. में भारतीय मानक ब्यूरो के जल संसाधन प्रभाग परिषद के कार्यों के लिए नींव अभियांत्रिकी एवं विशेष विश्लेषण नोडल निदेशालय है।

डब्ल्यूआरडी.सी. की 18 सेक्शनल समितियां हैं और इनमें केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व मुख्य अभियंता एवं निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

चूंकि अध्यक्ष, के.ज.आ. डब्ल्यू आर डी सी के अध्यक्ष हैं और इससे संबंधित कार्यों के लिए निदेशक (एफ. ई. एण्ड एस.) नोडल निदेशक हैं, मसौदा कोड को अपनाने एवं मुद्रण के लिए स्वीकृति/भारतीय मानक कोड में परिवर्तन के लिए स्वीकृति संबंधी कार्य एफ ई एण्ड एस ए में किए जाते हैं तथा अध्यक्ष की स्वीकृति से भारतीय मानक ब्यूरो को अवगत कराया जाता है। वर्तमान वर्ष में 15 मसौदा मानकों एवं भारतीय मानक कोड में 3 परिवर्तनों को अध्यक्ष, के.ज.आ. ने अपनाने एवं मुद्रण हेतु स्वीकृति प्रदान की।

17-2-13" vt/kd Qly , oat y dh i fr cam lsvk" l xalh mi & l fefr

माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। परिषद की प्रथम बैठक 22 जुलाई, 2006 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई जिसका उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री महोदय ने उल्लेख किया कि "हमें अपना जल उपयोग न्यूनतम करना होगा – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में निवेश करें ताकि हम कम जल द्वारा फसलें उगा सकें। दूसरे शब्दों में प्रति बूंद फसल उपयोगिता के रास्ते निकालें।" प्रधानमंत्री महोदय के सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु परिषद ने अपनी पहली बैठक में "अधिक फसल एवं जल की प्रति बूंद से आय" के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने हेतु डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया। मुख्य अभियंता (आई.एम.ओ.), केन्द्रीय जल आयोग, इसके सदस्य-सचिव थे। उप-समिति में इनके अंतर्गत विभिन्न संबंधित मंत्रालयों एवं संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति की दो बैठकें 9 एवं 20 सितम्बर, 2006 को हुईं तथा इनकी रिपोर्ट माननीय मंत्री (जल संसाधन) को 2 अक्टूबर, 2006 को प्रस्तुत कर दी गई।

उप समिति ने साथ ही साथ यह सिफारिश की कि कृषि विश्वविद्यालयों/भा.कृ. अनु. परि. संस्थानों/अभियांत्रिकी महाविद्यालयों/वाल्मी इत्यादि की सहायता से देश भर में 5000 कृषक सहभागिता कार्य अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किए जाएं जिनमें जल, फसल, कृषि-विज्ञान पद्धतियों, मृदा पोषकों, फसल विविधता और कार्यान्वयन इत्यादि के मध्य सहक्रिया उत्पन्न करके कृषि की उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बढ़ाने हेतु किसानों को वर्तमान उपलब्ध तकनीकों का प्रदर्शन किया जाए। उप-समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय परियोजना संचालन समिति का गठन किया। मुख्य अभियंता (आई एम ओ), के.ज.आ.। इस संचालन समिति में के.ज.आ. का प्रतिनिधित्व करते हैं। समिति ने दिनांक 05.02.2007 को अपनी प्रथम बैठक में विभिन्न संस्थानों से प्राप्त कृषक सहभागिता कार्य अनुसंधान कार्यक्रम (एफ-पीएआरपी) के प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु परियोजना कार्यान्वयन दल (पी आई टी) के गठन एवं कार्यक्रम को चलाने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की सिफारिश की।

जल संसाधन मंत्रालय ने मुख्य अभियंता (आई एम ओ) के साथ डॉ. के. पलानीसामी, निदेशक, सीएआरडीएस, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन दल (पीआईटी) का गठन किया। पी आई टी ने दिनांक 04.05.2007,

04.06.2007, 28.06.2007 एवं 16.07.2007 को चार बैठकें की और 85 संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों में से 63 संस्थानों के 5000 प्रदर्शनों को स्वीकृति दी। छॉटे गए 63 संस्थानों के 5000 प्रदर्शनों के लिए निधि की निर्मुक्ति के प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय को भेज दिए गए हैं। मंत्रालय ने 2060 प्रदर्शनों को शुरू करने के लिए 24 संस्थानों को 10.09.2007 को स्वीकृति आदेश जारी कर दिए हैं और कार्यक्रम को शुरू करने के लिए निधि की पहली किश्त जारी कर दी है।

18-1 epzk, oaizlk'ku

तकनीकी प्रलेखन निदेशालय के प्रकाशन प्रभाग के ऑफसेट प्रेस ने केंद्रीय जल आयोग एवं जल संसाधन मंत्रालय के प्रिंटिंग के विविध कार्य किए। वर्ष के दौरान लगभग 6310 कम्पोज पेज तथा विविध प्रकाशनों/फार्मों की 1,50,840 प्रतियां छापी गईं। प्रेस ने प्रकाशनों एवं रिपोर्ट इत्यादि की जिल्दसाजी/कतरने का कार्य भी किया।

वर्ष 2007-08 के दौरान मुद्रित किए गए कुछ प्रकाशन/रिपोर्ट/पत्रिकाएं/पम्फ्लेट/फोल्डर्स निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	प्रकाशन/कार्य का नाम
1.	जल संसाधन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2006-07 (अंग्रेजी)
2.	केन्द्रीय जल आयोग प्रशासनिक न्यूज बुलेटिन मई-जून, 2007 (अंग्रेजी)
3.	भागीरथ (हिन्दी) जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर, 2006 एवं जनवरी-मार्च, 2007
4.	भागीरथ (अंग्रेजी) जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर, 2006
5.	समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' अधिकारियों का गोपनीय रिपोर्ट फार्म
6.	जल संसाधन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2006-07 (अंग्रेजी एवं हिन्दी)
7.	केन्द्रीय जल आयोग प्रशासनिक न्यूज बुलेटिन (हिन्दी) खण्ड-9, सं0 2 मार्च-अप्रैल, मई-जून, जुलाई-अगस्त, सितम्बर-अक्टूबर एवं नवम्बर-दिसम्बर 2007
8.	केन्द्रीय जल आयोग प्रशासनिक न्यूज बुलेटिन (अंग्रेजी) खण्ड-9, सं0 2 मार्च-अप्रैल, मई-जून, जुलाई-अगस्त, सितम्बर-अक्टूबर एवं नवम्बर-दिसम्बर 2007
9.	पम्फ्लेट/फोल्डर्स : वर्षा जल संचयन
10.	केन्द्रीय जल आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी) 2005-06 एवं 2006-07
11.	जल संसाधन दिवस 2007 एवं 2008 का थीम पेपर
12.	भागीरथ (हिन्दी) राजभाषा विशेषांक, 2006 कवर
13.	केन्द्रीय जल आयोग जलाशय की भण्डारण स्थिति
14.	श्री जयप्रकाश नारायण यादव, माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन) द्वारा उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की एक झलक संबंधी विवरणिका
15.	कवर भागीरथ (हिन्दी) जुलाई-सितम्बर, 2006
16.	जलाशय की भण्डारण स्थिति-कवर

18-2 elbdhQYe cukuk

भविष्य के संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण आलेखनों तथा अन्य प्रलेखों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से तकनीकी प्रलेखन निदेशालय का माइक्रोफिल्म एकक उचित सूचकांक तथा कोड देकर प्रलेखों को माइक्रोफिल्म में रिकार्ड करता है। वर्ष 2007-2008 के दौरान, लगभग 898 इंजीनियरी आरेखों/प्रलेखों को माइक्रोफिल्म में रिकार्ड किया गया।

18-3 if=dk a

केन्द्रीय जल आयोग का तकनीकी प्रलेखन निदेशालय जल संसाधन विकास के क्षेत्र में विभिन्न तकनीकी तथा अर्ध-तकनीकी पत्रिकाएं एवं प्रकाशन प्रकाशित करता है। भागीरथ जो कि एक त्रैमासिक, अर्ध-तकनीकी पत्रिका है, वर्ष के दौरान अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2007-08 के दौरान द्विमासिक आधार पर प्रशासनिक समाचार बुलेटिन भी द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया गया।

18-4 , t kfiW

तकनीकी प्रलेखन निदेशालय के फ़ैरो प्रिंटिंग एककों में केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय के विभिन्न निदेशालयों से संबंधित आरेखों/अभिलेखों के अनुरेखणों से लगभग 6750 एजो प्रिंट विकसित किए गए।

18-5 iplj rllk tu&tk: drk

जल संसाधन पर प्रचार एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस संबंध में समाचार पत्रों/मैगजीन/पत्रिकाओं का दैनिक प्रदर्शन एवं समाचार पत्रों की कतरनों का प्रस्तुतीकरण, पेम्फ्लेट/पोस्टरों को तैयार करना (जब भी आवश्यकता हो)/रेडियों/टी.वी. वार्ताएं आयोजित की गईं।

18-6 ty l d kku ea=ky; dk efm; k ly:W 2007&08

जल संसाधन मंत्रालय के मीडिया प्लॉन 2007-08 के अनुसार, जल संसाधन मंत्रालय के अन्य विभागों के साथ केन्द्रीय जल आयोग ने निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भाग लिया।

- 14.11.2007 से 27.11.2007 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आई आई टी एफ 2007।
- 04.02.2008 से 17.02.2008 तक गुवाहाटी में असोम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला।

18-6-1 ba lfu; jh l agky;

वर्ष 2007-08 के दौरान कुछ मॉडल एवं अनुवाद दिनांक 28.09.2007 से 15.05.2008 तक मोबाइल प्रदर्शनी रेल के लिए भी भेजे गए।